राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth
(National Academy of Ayurveda)
An Autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India

Dhanvantari Bhavan, Road No.66, Punjabi Bagh (West), NEW DELHI – 110 026.
Phone: 011-25229753; 25228548; Fax: 011-25229753
E-mail: ravidyapeethdelhi@gmail.com Website : www.ravdelhi.nic.in

32वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report

2022-23

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth
(National Academy of Ayurveda)
An Autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth
(National Academy of Ayurveda)

32वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
32 Annual Report
2022-23

(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

(An Autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India)

धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली – 110026

Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi - 110026

विषय–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
(i)	**प्राक्कथन**	(iii)
1.	**प्रस्तावना**	1
2.	**विद्यापीठ के उद्देश्य**	1
3.	**समितियां**	2
(i)	शासी निकाय	2
(ii)	स्थायी वित्त समिति	4
4.	**विद्यापीठ के कार्य**	5
(i)	गुरु शिष्य परम्परा	5
(ii)	दीक्षान्त समारोह	13
(iii)	अध्येतावृत्ति पुरस्कार एवं जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार)	13
(iv)	सम्मेलन/संगोष्ठियां	15
(v)	सम्भाषा कार्यशालाएं	15
(vi)	संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	16
(vii)	शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	17
(viii)	चरक आयतनम (6–दिनों का कार्यक्रम)	18
(ix)	प्रकाशन	18
5.	**तकनीकी रिपोर्ट** (वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित क्रियाकलाप)	18
(i)	बैठकें	18
(ii)	गुरु शिष्य परम्परा के पाठ्यक्रम	25

(iii)	शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	41
(iv)	चरक आयतनम (6–दिनों का कार्यक्रम)	43
(v)	"रेडी टू ईट (आरटीई), आयुर्वेद बेकरी उत्पाद, आयुर्वेद पर आधारित फूड फोर्टिफिकेशन" पर अल्पकालिक व्यावहारिक प्रशिक्षण	44
(vi)	शिक्षकों, पीएचडी शोधकर्ताओं, और द्रव्यगुण–औषधीय पादप अनुशासन के पीजी विद्वानों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	45
(vii)	ज्ञान गंगा–एक ज्ञान यात्रा–साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला	46
(viii)	पुस्तकों का प्रकाशन/बिक्री	48
(ix)	आयुर्वेद प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एटीएबी)	48
(x)	अन्य क्रियाकलाप	49
6.	**बजट और व्यय**	53
7.	**पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**	54
8.	**लेखे**	60
(i)	31 मार्च, 2023 तक का तुलनपत्र	60
(ii)	31 मार्च, 2023 तक के आय एवं व्यय लेखे	61
(iii)	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूचियाँ	62
(iv)	31 मार्च, 2023 तक प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखे	75
(v)	31 मार्च, 2023 तक अंशदायी भविष्य निधि की प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र	77
(vi)	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	79
(vii)	आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ	80

प्राक्कथन

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (रा.आ.वि.), भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, जिसे शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल पद्धति के माध्यम से आयुर्वेद के परम्परागत कर्माभ्यास और ग्रन्थों (मूलपाठ) के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। यहां लक्षित शिक्षार्थी आयुर्वेद के ऐसे नए स्नातक और स्नातकोत्तर होते हैं, जो परम्परागत आयुर्वेदिक कर्माभ्यास और सिद्धान्तों में स्वयं को अधिक दक्ष बनाने में रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का सदस्य पाठ्यक्रम (एम.आर.ए.वी.) एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) दो ऐसे पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयुर्वेदिक शिष्यों को परम्परागत, कर्माभ्यास एवं ग्रन्थ संबंधी ज्ञान में और अधिक निपुण बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रारम्भ किया गया है। अब तक 1549 एवं 71 शिष्यों ने क्रमशः रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) और रा.आ.वि. का सदस्य पाठ्यक्रम (एम.आर.ए.वी.) पूर्ण कर लिया है। सत्र 2022–23 में, सीआरएवी पाठ्यक्रम के तहत 218 शिष्यों को 83 गुरुजनों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा सूचीबद्ध गुरुजनों के मार्गदर्शन में सभी शिष्य आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में कर्माभ्यास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

रोगी की जांच एवं तदंतर उपचार में प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धतियों का उपयोग कम किया जा रहा है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस अन्तराल को महसूस करने के बाद, आयुर्वेदिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए परम्परागत नैदानिक पद्धतियों से रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करने की कला को उन्नत करने के लिए एक कार्यक्रम शुरु किया है। इस कार्यक्रम में उन युवा संकायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो चिकित्सा विषयों से संबंध रखते हैं ताकि वे अपने चिकित्सा कर्माभ्यास में प्रयोग करने के लिए ऐसी प्रणालियों में दक्ष हो जाएं। सत्र 2022–23 तक देश में विभिन्न स्थानों पर ऐसे 19 नैदानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान विद्यापीठ ने 26वां दीक्षान्त समारोह के साथ अपने दो दिनों के राष्ट्रीय संगोष्ठी की नियमित गतिविधि के साथ मनाया। वैद्य प्रमोद पी. सावंत, माननीय मुख्यमंत्री, गोवा और शासी निकाय सदस्य, राआवि द्वारा दीक्षान्त समारोह का संबोधन किया गया। इस अवसर पर माननीय कैबिनेट

मंत्री, आयुष मंत्रालय एवं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानन्द सोनोवाल, माननीय राज्य मंत्री, आयुष मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्री मुंजपरा महेन्द्रभाई कालूभाई और वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय भी उपस्थित थे। इस साल, संगोष्ठी "तृण धान्य का समकालीन परिपेक्ष्य में उपयोग" पर आयोजित किया गया था। संगोष्ठी में आयुर्वेद के कई प्रतिष्ठित अधिकारियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम को आयुर्वेद के प्रतिष्ठित विद्वानों और आयुर्वेद के शोध विद्वानों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुति द्वारा विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण मुख्य विचारों द्वारा चिह्नित किया गया था। संगोष्ठी में 03 पोस्टर प्रस्तुतियों के साथ 20 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इस अवसर पर सभी 23 पत्रों का पूरा पाठ वाला स्मारिका भी जारी किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना हेतु प्रधान संस्था (नोडल एजेंसी) के रूप में भी कार्य करता है। वर्ष 2022–23 के दौरान, पात्र संस्थानों को प्रतिपूर्ति के साथ–साथ 65 सी. एम.ई कार्यक्रम/परियोजनाएं के संचालन/कार्यान्वयन के लिए कुल जी.आई.ए. ₹ 625.00 की निधियां जारी की गई थी।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुर्वेद प्रशिक्षण देने के अपने विभिन्न क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई नए तंत्र भी विकसित कर रहा है। यह मौजूदा प्रणाली में लगातार त्रुटियां ढूँढ रहा है और इसके समाधान के तरीके ढूँढ कर उनका संशोधन करता है। विभिन्न प्रतिपुष्टियों एवं मध्यावधि मूल्यांकन तंत्रों के जरिए रा.आ.वि. के कार्यकलापों की नियमित निगरानी भी की जा रही है। रा. आ.वि. अपने क्षेत्र में विशिष्ट बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन के माध्यम से देश और विश्व स्तर पर आयुर्वेद कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के समर्पित केन्द्र के रूप में उभरने के लिए प्रयत्नशील है। रा.आ.वि. इस दिशा में कई नई पहल कर रहा है जिनके भविष्य में वास्तविक परिणाम होने की आशा है। विद्यापीठ के क्रिया–कलापों एवं उपलब्धियों पर वर्ष 2022–23 का वार्षिक प्रतिवेदन, इसके लेखापरीक्षा संबंधी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया जा रहा है।

(डॉ. वन्दना सिरोहा)

निदेशक

प्रस्तावना

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त–पोषित है। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, सोसाइटी, दिल्ली प्रशासन में 11 फरवरी, 1988 को हुआ है। इसने वर्ष 1991 से धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110 026 में कार्य करना प्रारम्भ किया।

इस विद्यापीठ की स्थापना प्रख्यात आयुर्वेदिक विद्वानों एवं कर्माभ्यासियों के आयुर्वेदिक ज्ञान को संरक्षित रखने और उसे शिक्षा एवं ज्ञान अन्तरण की भारतीय परम्परागत गुरु शिष्य प्रणाली के जरिए युवा पीढ़ी को अन्तरित करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य आयुर्वेदिक प्राचीन ग्रन्थों एवं चिकित्सालयी (नैदानिक) कर्माभ्यासों में नई पीढ़ी के आयुर्वेदिक विद्वानों को कुशल बनाना है।

2. विद्यापीठ के उद्देश्य :

1. आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ाना।
2. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में निरन्तर शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना तथा इस प्रयोजन से परीक्षाएं आयोजित करना।
3. सफल अभ्यर्थियों को यथोचित मान्यता प्रदान करना।
4. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में योग्यता को मान्यता प्रदान करना एवं बढ़ावा देना।
5. आयुर्वेद में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक कार्य करना।
6. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां आयोजित करना।
7. आयुर्वेदिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं, समितियों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।

8. आयुर्वेद का संवर्धन करना और आयुर्वेद में निरन्तर शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए निधियां एवं धर्मदाय प्राप्त करना और उनका प्रबन्ध करना।

9. आयुर्वेदिक शिक्षा की नई प्रणालियों पर परीक्षण करना ताकि शिक्षा के सन्तोशजनक स्तर पर पहुँचा जा सके।

10. विद्यापीठ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आचार्य पद, अन्य संकाय स्तर की अध्येतावृत्तिएं (फेलोशिप), अनुसंधान संवर्ग पद एवं छात्रवृत्ति आदि प्रारम्भ करना, इत्यादि।

3. समितियां :

3.1 शासी निकाय

संस्था के बर्हिनियम व भारत सरकार के आदेशानुसार, विद्यापीठ के कार्यों का प्रबन्धन इसके शासी निकाय द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा शासी निकाय का पुनर्गठन पाँच (5) वर्षों के लिए 20 फरवरी, 2019 से निम्नानुसार किया गया था :–

शासी निकाय के अध्यक्ष

1. **वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा, (पद्मभूषण सम्मानित)**
   30, सुखदेव विहार,
   नई दिल्ली–110 025

भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति (पदेन सदस्य)

2. **विशेष सचिव (आयुष),**
   आयुष मंत्रालय,
   नई दिल्ली

3. **अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार,**
   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
   नई दिल्ली

4. **सलाहकार (आयुर्वेद),**
   आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली

5. **कुलपति,**
गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
जामनगर (गुजरात)

भारत सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ

6. **वैद्य प्रमोद पी. सावंत,**
माननीय मुख्य मंत्री,
सिविल सचिवालय, पणजी (गोवा)

7. **डॉ. के.के. अग्रवाल,**
जयपुर (राजस्थान)

8. **डॉ. सुभाष रानाडे,**
पुणे (महाराष्ट्र)

9. **वैद्य वर्षा देशपांडे,**
कराड (महाराष्ट्र)

10. **वैद्य राजेश गुप्ता,**
सावंतवाडी (महाराष्ट्र)

अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन (अ.भा.आ.म.) द्वारा मनोनीत सदस्य

11. **वैद्य राकेश शर्मा,**
एनसीआईएसएम, नई दिल्ली

12. **वैद्य दीनानाथ उपाध्याय,**
पुणे (महाराष्ट्र)

13. **वैद्य गोविंद प्रसाद उपाध्याय,**
नागपुर (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के रत्न–सदस्यों (फेलोशिप) में से एक सदस्य

14. **वैद्य सदानंद पी. सर्देशमुख,**
पुणे (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के पूर्व शिष्यों में से एक सदस्य

15. **प्रो. मोहन लाल जायसवाल,**
जयपुर (राजस्थान)

सदस्य सचिव

16. **निदेशक, रा.आ.वि.**

3.2. स्थायी वित्त समिति

आयुष मंत्रालय ने दिनांक 20 जनवरी, 2019 को 5 वर्ष के लिए स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) का पुनर्गठन किया था, जिसकी कार्यावधि वर्तमान शासी निकाय के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जायेगी। स्थायी वित्त समिति की संरचना निम्न प्रकार हैः–

1. **विशेष सचिव (आयुष),** — **अध्यक्ष (पदेन सदस्य)**
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन,
'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली–110 023

2. **अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार** — **सदस्य (पदेन सदस्य)**
अथवा उनके प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली–110 011

3. **सलाहकार (आयुर्वेद), अथवा** — **सदस्य (पदेन सदस्य)**
संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद), अथवा
उप–सलाहकार,
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन, 'बी' ब्लॉक,
जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली–110 023

4. **वैद्य दीनानाथ उपाध्याय,** **सदस्य (नामांकित)**
(शासी निकाय के विशेषज्ञों में से एक सदस्य)
पुणे (महाराष्ट्र)

5. **वैद्य वर्षा देशपांडे,** **सदस्य (नामांकित)**
(शासी निकाय के विशेषज्ञों में से एक सदस्य)
कराड (महाराष्ट्र)

6. **निदेशक,** **सदस्य सचिव**
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली

4. विद्यापीठ के कार्य

विद्यापीठ अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 'गुरु शिष्य परम्परा' के अधीन 'रा.आ.वि. का सदस्य' एवं 'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र' नामक दो प्रकार के पाठ्यक्रम चलाता है। इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए यह विद्यापीठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों एवं वैद्यों को गुरु के रूप में सूचीबद्ध करता है और इन पाठ्यक्रमों के लिए आयुर्वेद की अपेक्षित औपचारिक अर्हताएं रखने वाले शिष्यों को इसके लिए चयन करता है। इसके अतिरिक्त, यह विद्यापीठ संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशालाएं आयोजित करने, साहित्य का प्रकाशन करने और आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों को मान्यता देने/अभिनन्दन प्रदान करने का कार्य भी करता है। **एमआरएवी पाठ्यक्रम अस्थायी रूप से चालू नहीं है।**

4.1 गुरु शिष्य परम्परा

'गुरु शिष्य परम्परा' शिक्षा की परम्परागत आवासीय प्रणाली है, जिसमें शिष्य अपने गुरु के निवास स्थान के पास में ही रहता है और गुरु के नियमित चिकित्सकीय कार्य में उनके साथ रहकर एकैक शिक्षा प्राप्त करता है। गुरुकुल के विलुप्त होने के साथ ही यह प्रणाली भी समाप्त हो गई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने महसूस किया कि आयुर्वेद में ज्ञानान्तरण की यह प्रणाली अभी भी बहुत प्रभावी है। अतः यह विद्यापीठ अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से इस प्रणाली को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है।

शिक्षा प्राप्त करने के संस्थागत रूप में संहिताओं (आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों) का केवल प्रासंगिक भाग ही पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 'गुरु शिष्य परम्परा' कार्यक्रम में शिष्यों के लिए चुनी गई संहिता और उसकी टीका का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण ग्रन्थ के अध्ययन की व्यवस्था की गई है और उन्हें आयुर्वेदिक कर्माभ्यास के पारम्परिक कौशलों के बारे में भी बताया जाता है। अध्ययन की अवधि के दौरान शिष्यों को गुरुजनों से परस्पर बातचीत करने तथा रोगियों, जड़ी–बूटियों अथवा औषधि तैयार करने की विधि को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

4.1.1 पाठ्यक्रमः

(अ) आचार्य गुरु शिष्य परम्परा (रा.आ.वि. का द्विवर्षीय सदस्य पाठ्यक्रम– एम.आर.ए.वी.)

यह भागीदारों को आयुर्वेदिक संहिताओं और उन पर टीकाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए साहित्यिक अनुसंधान पर आधारित एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद संहिताओं में अच्छे शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता और विशेषज्ञ तैयार करना है। शिष्य अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता से सम्बन्धित संहिता का गुरु के मार्ग दर्शन में 2 वर्ष तक अध्ययन करता है। विद्यापीठ ने इस पाठ्यक्रम का प्रारम्भ वर्ष 1992 में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले वैद्यों को आयुर्वेदीय प्राचीन ग्रन्थों में विशेषज्ञ बनाने के उद्देश्य से की थी।

समुचित सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान रखने वाले तथा संस्कृत को अच्छी तरह समझने वाले अभ्यर्थियों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। पाठ्यक्रम के अन्त में, शिष्यों से एक शोध प्रबन्ध जमा करने की अपेक्षा की जाती है जिसे शिष्यों का योगदान माना जाता है। यद्यपि, शिष्य अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में सम्पूर्ण संहिता (ग्रन्थ) का अध्ययन करता है परन्तु वह विद्यापीठ द्वारा सम्बन्धित गुरु के साथ परामर्श करने के बाद दिए गए सुझाव के अनुसार ही निर्धारित अध्यायों/ शीर्षकों पर शोध प्रबन्ध लिखता है ताकि एक समान कार्य की पुनरावृत्ति न हो जाये।

(ब) **चिकित्सक गुरु शिष्य परम्परा** (रा.आ.वि. का एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम– सी.आर.ए.वी.)

यह पाठ्यक्रम फरवरी, 1999 से प्रारम्भ किया गया था। इस पाठ्यक्रम की अवधि आयुर्वेदिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों के लिए एक वर्ष की है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) **या** समतुल्य उपाधि/आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को विख्यात चिकित्सक/संस्थागत गुरु के रूप में सूचीबद्ध कर्माभ्यासरत वैद्यों के अधीन प्रशिक्षण हेतु चुना जाता है। अध्ययन अवधि के दौरान, शिष्य आयुर्वेदिक प्रणाली से संबंधित नाड़ी परीक्षा, औषध निर्माण, क्षारसूत्र, पंचकर्म, रोगों का उपचार, नेत्र चिकित्सा, अस्थि चिकित्सा इत्यादि प्रक्रियाओं को सीखते हैं। प्रशिक्षुओं से प्रत्येक महीने उनके अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले रोगियों का रिकार्ड तैयार करने और बाद में इन रिकार्डों को रा.आ.वि. में जमा करने की अपेक्षा की जाती है। शिष्यों द्वारा किया गया कार्य जैसे–रोगीवृत्त, मासिक अध्ययन रिपोर्ट इत्यादि की राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में जांच की जाती है। शिष्यों को उनके गुरुजनों के माध्यम से सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

4.1.2 गुरुजनः

(अ) रा.आ.वि. के सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के गुरुः

निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले विद्वानों को गुरु के रूप में नियुक्त किया जाता है–

वह व्यक्ति, रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के गुरु के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है, जो आयुर्वेद का सेवानिवृत्त आचार्य (प्रोफेसर) हो, जिसने स्नातकोत्तर (पी.जी.) या विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) उपाधि ग्रहण करने के साथ अच्छा प्रकाशित मान्यता प्राप्त अनुसन्धान कार्य किया हो और जिसे शैक्षणिक कार्य का उत्कृष्ट अनुभव हो या जो आयुर्वेद अनुसन्धान संस्था का सेवानिवृत्त निदेशक या आयुर्वेद में विख्यात अन्य कोई व्यक्ति हो, जो राज्य, केन्द्र/स्वायत्त संगठन एवं अन्य ख्याति प्राप्त कार्यालय में विभागाध्यक्ष के पद

पर हो और व्यापक ज्ञान के साथ समुचित शैक्षणिक अनुभव रखता हो अथवा आयुर्वेद में कोई विशेषज्ञता रखता हो या आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान हो।

गुरु को 60 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और संस्कृत एवं आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में निपुण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास विशेष ज्ञान एवं दक्षता होना आवश्यक है, ताकि चयन को न्यायोचित ठहराया जा सके। द्रव्यगुण, रस–शास्त्र, भैषज्य कल्पना और अन्य नैदानिक विषयों में गुरु के पास प्रदर्शन के लिए बुनियादी सुविधा होनी चाहिए अथवा आस–पास ऐसी सुविधा/संस्था तक पहुँच होनी चहिए।

(ब) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के लिए गुरुः

गुरुजनों के लिए पात्रता मानदण्ड (सी.आर.ए.वी.)

सी.आर.ए.वी. गुरुजनों के चयन के लिए निम्नलिखित दो पात्रता मानदण्डों को अपनाया गया हैः

1. वैयक्तिक गुरुजनों के लिए मानदण्ड।
2. संस्थागत गुरुजनों के लिए मानदण्ड।

1. वैयक्तिक गुरुजनों के लिए मानदण्डः

i. भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् (आई.एम.सी.सी.) अधिनियम 1970 की धारा 17 के तहत आयुर्वेद के चिकित्सक जो किसी भी राज्य के पंजी में नामांकित हों।

ii. आयु 50 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

iii. आयुर्वेद के किसी भी चिकित्सा विषय में आयुर्वेदिक सामान्य अथवा विशिष्ट चिकित्सालय कर्माभ्यास का न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव।

iv. किसी भी स्थान अथवा किसी भी पद पर नियमित आधार पर नियोजित नहीं होना चाहिए। यह शर्त रोजगार को छोड़कर अन्य मानार्थ पदों के लिए बाधक नहीं होगा।

v. रा.आ.वि. गुरु बनने के इच्छुक आयुर्वेद चिकित्सकों की प्रतिदिन कम से कम 40 रोगियों वाला एक बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) होना चाहिए।

vi. प्रतिदिन 25 रोगियों की बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) के अलावा सर्जिकल अभ्यास के मामले में, वैद्य को प्रतिदिन कम से कम 15 सर्जिकल/ पैरा–सर्जिकल/ क्षारसूत्र/ अग्नि कर्म प्रक्रियाएं होना चाहिए।

vii. आयुर्वेद फार्मेसी के मामले में वैद्य के पास स्वयं की फार्मेसी होनी चाहिए जो कम से कम 20 वर्ष से सक्रिय हो।

viii. युवा आयुर्वेदिक डॉक्टरों (शिष्यों) को स्वयं सीखे हुए ज्ञान का प्रशिक्षण देने के तरीके से प्रशिक्षित करने तथा बिना किसी आपत्ति के अपने चिकित्सा ज्ञान एवं कौशलों को सिखाने का इच्छुक होना चाहिए।

ix. गुरु को आईपीडी के साथ या बिना 02 शिष्य और 20 शय्याओं की अंतरंग विभाग (आई.पी.डी.) के साथ या ऊपर 04 शिष्य दिया जा सकता है।

2. संस्थागत गुरुजनों (संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्र) के लिए मानदण्डः

i. आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया उत्कृष्ट केन्द्र।

ii. न्यूनत्तम 50 शय्याओं वाला अंतरंग विभाग (आई.पी.डी.) और प्रतिदिन 200 रोगियों वाला बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) का आयुर्वेदिक चिकित्सालय।

iii. केन्द्र कम से कम 10 वर्ष से सक्रिय हो।

iv. केन्द्र की अच्छी ख्याति होनी चाहिए और उसे विभिन्न विशिष्ट दशाओं के आयुर्वेदिक उपचार के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए।

v. फार्मेसी के मामले में उसके पास जी.एम.पी. प्रमाणपत्र, औषध नियंत्रण निगरानी सुविधा तथा अनुसन्धान एवं विकास विभाग होना चाहिए।

vi. संस्थान के प्राधिकारियों को, रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए उनके चिकित्सालय/फार्मेसी प्रशिक्षण से संबंधित सभी स्थानों पर हर सम्भव पहुँच देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

vii. ऐसी संस्था को 08 शिष्य दिए जा सकते हैं और मुख्य चिकित्सक/संस्था का चिकित्सक और/अथवा अन्य वरिष्ठ चिकित्सक शिष्यों के प्रशिक्षण प्रभारी होंगे।

(स) सूचीबद्ध करनाः

किसी भी पाठ्यक्रम के लिए गुरु का चयन शासी निकाय के अध्यक्ष या शासी निकाय द्वारा नामित विशेषज्ञों की एक जांच–समिति (सर्च कमेटी) द्वारा किया जाता है। समिति विद्वानों और वैद्यों के जीवन–वृत्तों की जांच करती है और उनकी क्षमता पर समुचित विचार–विमर्श करने के बाद गुरु का चयन किया जाता है और शासी निकाय से उनको सूचीबद्ध करने के लिए संस्तुति की जाती है। शासी निकाय के अनुमोदन पश्चात्, गुरुपद एवं रा.आ.वि. के नियमों के अनुपालन के लिए उनकी इच्छा जानने तथा उनके पास प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में पता लगाने के उपरान्त, जब कभी भी रिक्त स्थान होता है तो उनके पास सूचीबद्ध करने के संबंध में पत्र भेजा जाता है। गुरु का चयन पूर्णतया अस्थायी आधार पर, सामान्यतः एक पाठ्यक्रम अवधि के लिए अर्थात् राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए एक वर्ष के लिए तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सदस्य पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष के लिए होता है। शासी निकाय या शासी निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा गुरु के कार्य की समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है तो उनकी कार्यावधि बढ़ाई जाती है। गुरु के पास कोई शिष्य नहीं होने या उनके अधीन सभी शिष्यों द्वारा अपना पाठ्यक्रम अध्ययन की अवधि पूर्ण कर लिए जाने पर, उनकी नियुक्ति पूर्ण मानी जाती है।

4.1.3 शिष्यः

सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदनपत्र आमंत्रित करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर समाचार–पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है।

सीआरएवी पाठ्यक्रम में आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष और स्नातकोत्तर उपाधि धारकों के लिए 32 वर्ष है। सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्रायोजित स्थायी रूप से नियुक्त वैद्यों (डाक्टरों) को आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जाती है। अभ्यर्थियों की अर्हताएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक हैं।

प्राप्त आवेदनपत्रों की जांच करने के बाद, पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाता है। वस्तुनिश्ठ प्रश्नों पर आधारित लिखित परीक्षा में, चिकित्सा विषयों पर विशेष बल देते हुए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम की विवरणिका में दिये गए विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। शिष्य के चयन में, शिष्य की चयन परीक्षा में श्रेष्ठता (मेरिट), 250 किमी की दूरी (शिष्यों और गुरुजनों के बीच) और विषय/गुरु की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है। सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम में चिकित्सा अधिकारियों को वरीयता दी जाती है।

चुने गए अभ्यर्थियों को इस आशय का एक बन्धपत्र (बाण्ड पेपर) जमा करना होता है कि यदि शिष्य बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है या उस शिष्य को विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने पर निष्कासित किया जाता है, तो उस शिष्य को विद्यापीठ से ली गई सम्पूर्ण शिक्षावृत्ति 12 प्रतिशत ब्याज सहित विद्यापीठ को लौटानी होती है। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद, शिष्यों को, देश के विभिन्न भागों में स्थित सम्बन्धित गुरुजनों के संरक्षण में प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाता है।

4.1.4 मानदेय एवं शिक्षावृत्तिः

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक माह गुरुजनों को मानदेय व शिष्यों को शिक्षावृत्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक गुरु को प्रशिक्षण देने के लिए 2 से 4 तक शिष्य दिये जाते हैं। गुरुजनों का मानदेय ₹15820/– मात्र तथा 6वीं सीपीसी के अनुसार समय–समय पर लागू महंगाई भत्ता एवं दो शिष्यों तक ₹5000/– है। यदि किसी गुरु के पास दो से अधिक शिष्य होते हैं तो उन्हें ₹2000/– प्रति शिष्य की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा। इसी प्रकार, सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए शिक्षावृत्ति ₹15820/– मात्र एवं 6वीं सीपीसी के अनुसार समय–समय पर लागू महंगाई भत्ता है। एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के लिए ₹15820/– मात्र एवं 6वीं सीपीसी के अनुसार समय–समय पर लागू महंगाई भत्ता एवं इसके अतिरिक्त ₹2500/– की शिक्षावृत्ति का भुगतान किया जाता है।

4.1.5. परीक्षाः

एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष के अन्त में शिष्यों की अन्तिम परीक्षा तीन भागों में आयोजित की जाती हैः–

(क) शिष्य द्वारा तैयार शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन

(ख) तीन घंटे की लिखित परीक्षा

(ग) मौखिक परीक्षा

अनुमोदन/अस्वीकरण के आधार पर शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन किया जाता है। शोधप्रबन्ध के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् शिष्य की लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के तीनों भागों में से प्रत्येक में संतोशजनक रिपोर्ट प्राप्त करने पर शिष्य को 'रा.आ.वि. का सदस्य पाठ्यक्रम' का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उसका अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की जाती है।

सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिष्य अपने अध्ययन के अन्त में सीखे गए विषय की उल्लेखनीय बातों अर्थात् विशेष रोगों का उपचार, औषधियों एवं विशिष्ट प्रकरणों का सारांश देते हुए एक मोनोग्राफ तैयार करता है जो 25 पृष्ठों से अधिक नहीं होता और वह परीक्षा से एक माह पूर्व इसे विद्यापीठ को भेजता है। शिष्यों से अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान देखे गए कुछ रुचिकर मामलों पर विशेष केस रिर्पोट/औषध भेजने के लिए भी कहा जाता है। परीक्षा दो भागों में होती हैः–

(क) तीन घंटों की लिखित परीक्षा

(ख) मौखिक परीक्षा।

लिखित व मौखिक परीक्षा के लिए मोनोग्राफ, केस रिपोर्ट और मासिक रिकार्ड शीटें के आधार पर बनती हैं। शिष्य के प्रशिक्षण अवधि के लिए उसके गुरु से शिष्य के आन्तरिक मूल्यांकन के लिए भी कहा जाता है। लिखित व मौखिक परीक्षा, प्रत्येक में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने वाले सफल अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। असफल अभ्यर्थियों को तीन माह की अवधि के लिए उनके गुरु के पास पुनः भेजा जाता है। इस अवधि के बाद, उन्हें पुनः

परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। गुरु के पास अतिरिक्त समय तक रहने के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं दी जाती है।

उत्तीर्ण शिष्यों को दीक्षान्त समारोह में प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

4.1.6. उपलब्धियां:

अभी तक एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के 71 शिष्यों एवं सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के 1549 शिष्यों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं।

4.2. दीक्षान्त समारोह

विद्यापीठ सफल अभ्यर्थियों को यथोचित मान्यता प्रदान करने तथा आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में योग्य अभ्यर्थियों को मान्यता प्रदान करने एवं प्रोत्साहन देने जैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तीर्ण शिष्यों को प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ विख्यात विद्वानों एवं वैद्यों को आयुर्वेद की प्रगति हेतु उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) और जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार) से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोह का आयोजन करता है।

4.3. अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) एवं जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफटाइम अचीवमेंट) सम्मान

विद्यापीठ अपने उद्देश्यों में से एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वानों और विभिन्न पारम्परिक आयुर्वेदिक कर्माभ्यासियों को उनकी विद्वत विशेषज्ञता और शिक्षा, अनुसन्धान, रोगी की देखभाल और/अथवा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान करता है। यह एक मानद सम्मान है, जिसमें प्रत्येक रत्नसदस्य को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के दीक्षान्त समारोह में एक प्रशस्तिपत्र द्वारा अभिनन्दन किया जाता है और एक शॉल व एक कलश/स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष शासी निकाय द्वारा विद्वानों के जीवनवृत्तों के आधार पर इन अध्येतावृत्तिओं का निर्धारण किया जाता है। अभी तक 362 विद्वानों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की अध्येतावृत्ति प्रदान की जा चुकी है।

वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित विद्वानों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गईः

1. वैद्य प्रमोद सावंत, गोवा
2. वैद्य चतुर्भुज भुयून, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
3. वैद्य मुकुल पटेल, जामनगर (गुजरात)
4. डॉ. के.के. अग्रवाल, जयपुर (राजस्थान)
5. प्रो. मोहन लाल जायसवाल, जयपुर (राजस्थान)
6. वैद्य नारायण मोहंती, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
7. डॉ. रामदास म्हालूजी अव्हाड, कोपरगॉव (महाराष्ट्र)
8. वैद्य मधुसूदन देशपांडे, भोपाल (मध्य प्रदेश)
9. वैद्य लक्ष्मीकांत द्विवेदी, जयपुर (राजस्थान)
10. प्रो. के.एस. धीमान, जामनगर (गुजरात)
11. प्रो. के.एन. द्विवेदी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
12. डॉ. जयप्रकाश नारायण, बैंगलुरु (कर्नाटक)
13. वैद्य पी.एस. ताथेड, मुम्बई (महाराष्ट्र)

ब) जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार)

आयुर्वेद की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित दो प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक विद्वानों को जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ पुरस्कार से सम्मानित किया गयाः–

1. वैद्य विनय कुमार शर्मा, देहरादून (उत्तराखंड)
2. वैद्य सी.एच.एस. शास्त्री, विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)

अभी तक 24 विद्वानों को जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ प्रदान की जा चुकी है।

4.4. राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी

विद्यापीठ प्रत्येक वर्ष एक ऐसे रोग के विषय पर एक सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित करता है, जिसमें आयुर्वेदिक निदान एवं उपचार के लिए विचारों का आदान–प्रदान, विचार–विमर्श तथा चिकित्सा संबंधी अनुभव को प्रसारित करना अपेक्षित है। अब तक, विभिन्न विषयों पर 28 सम्मेलन/संगोष्ठियां आयोजित किए जा चुके हैं जैसे–क्षार–सूत्र, हृदय–रोग, आयुर्वेदिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विकास, नाड़ी विज्ञान, आशुकारी आयुर्वेदिक औषधियां एवं तकनीक, शोथहर एवं जीवाणु नाशक आयुर्वेदिक औषधियां, एड्स, थायरॉयड रोग, रसायन तथा वृक्क एवं अन्य मूत्र विकार, यकृत पैत्तिक एवं प्लीहा रोग, मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य, वातव्याधि, मोटापा, महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य रक्षा, हृदय रोग निवारण, त्वक् रोगों का उपचार, कैंसर (2), स्वतः रोग प्रतिरक्षा क्षमता, बस्ति कर्म, प्रमेह (मधुमेह), खेल चिकित्सा में आयुर्वेद की भूमिका, दीर्घायु के लिए आयुर्वेद, एसडीजी–3 की प्राप्ति हेतु आयुर्वेद, आयुर्वेद आहार–स्वस्थ भारत का आधार और तृण धान्य का समकालीन परिपेक्ष्य में उपयोग।

4.5. आयुर्वेद के अध्यापकों एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रीय सम्भाषा कार्यशालाएं

अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत कर रहे शिष्यों, कनिष्ठ शिक्षकों एवं युवा वैद्यों का यह आम अनुभव रहा है कि पाठ्यपुस्तकों के विषयों/शीर्षकों पर उनके सामने कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिनके लिए व्याख्या/स्पष्टीकरण, परस्पर वार्ता और वैज्ञानिक समझ अपेक्षित है। कुछ महाविद्यालयों में जहाँ अनुभवी एवं योग्य संकायों की कमी है, वहाँ विद्यार्थी आयुर्वेद की अवधारणाओं और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता को समझने का लगातार प्रयास करते हैं।

विद्यार्थियों द्वारा बार–बार यह मुद्दा उठाया जाता है और उस पर तर्क दिया जाता है कि कुछ ऐसे विषयों को जिनकी मौजूदा वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या नहीं की जा सकती है, पाठ्यक्रम/ग्रन्थों (पाठ्यपुस्तकों) से हटा दिया जाए, क्योंकि वे वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं।

परन्तु ऐसे निर्णय पर पहुँचने से पहले यह आवश्यक समझा गया कि शिष्यों एवं प्रख्यात विद्वानों तथा अनुभवी वैद्यों में परस्पर बातचीत की व्यवस्था की

जानी चाहिए, जिससे शंका के ऐसे मुद्दों पर विचार–विमर्श का अवसर मिल सके। यह पाया गया है कि किसी विशिष्ट विषय/शीर्षक पर आयोजित नेमी संगोष्ठियां उसी विषय पर विचार–विमर्श करने तक सीमित रहती हैं और कई बार समय के अभाव में विद्यार्थियों एवं भागीदारों की शंकाएं दूर करने में अक्षम रहती हैं। शिक्षण के क्षेत्र में प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन को शामिल करके एवं लोगों की स्वास्थ्य रक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से दैनिक कर्माभ्यास में उन्हें लागू करने से पेशेवरों में आज के ज्ञान में प्राचीन विचारों के अनुप्रयोग के सम्बन्ध में प्रश्न उठने की पूरी सम्भावना है।

इन कार्यशालाओं में संहिताओं, निघंटुओं, चिकित्सा ग्रन्थों तथा आयुर्वेद की अन्य पाठ्य पुस्तकों के चुने गए विषयों पर शिष्यों से ऐसे प्रश्न आमंत्रित किये जाते हैं जिन पर वे स्पष्टीकरण चाहते हैं। शिष्यों से प्रश्न मिलने पर उन्हें ऐसे आयुर्वेदिक विद्वानों (साधन सम्पन्न व्यक्तियों) के पास भेजा जाता है, जिन्हें उस विषय का समुचित ज्ञान हो और जो उनकी शंकाओं का समाधान कर सकते हों। प्रश्नोत्तरों को एक पुस्तक के रूप में समेकित करके और वैज्ञानिक विचार–विमर्श के लिए कार्यशाला में वितरित किया जाता है। प्रश्नकर्ताओं और विशेषज्ञों को कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा अभी तक 25 सम्भाशा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है तथा कार्यशाला में विचार–विमर्श किये गए प्रश्नोत्तर वाली पुस्तकें तैयार कर उनका विमोचन भी किया जा चुका है।

4.6. संहिता आधारित औषधीय निदान विषय पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2012 में आयुर्वेद शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान के स्तरों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक संस्थानों के सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि कई संस्थानों के नैदानिक अभिलेखों में दशविध परीक्षा, स्रोतस परीक्षण आदि जैसी सूचना नहीं थी। संहिताओं पर आधारित औषधीय रोग निदान की कला और आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन तरीके विलुप्त हो रहे हैं। कई अध्यापकों के साथ ही स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने आयुर्वेदिक रोग निदान के तरीकों की यह कला सीखने में रुचि दिखाई है।

उपर्युक्त विषय को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों द्वारा संहिताओं (ग्रन्थों) पर आधारित आयुर्वेदिक रोग निदान के तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन उपलब्ध करवाने के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था।

आयुर्वेद हमारे देश की एक स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है और यह भारत में कई सदियों से प्रयोग में है। जनता के लिए कई उपचार पद्धतियां, चिकित्सा पद्धतियाँ एवं औषधियाँ मौजूद हैं। बहुत से कर्माभ्यासी या तो अपने पूर्वजों से परम्परागत ज्ञान प्राप्त करके अथवा स्वयं के अनुभव से आयुर्वेद का कर्माभ्यास कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं। रोगी देख–भाल के क्षेत्र में उन्हें जो ज्ञान एवं कौशल प्राप्त है, उसे युवा वैद्यों को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, रोग निदान और उपचार में आयुर्वेद के इस ज्ञान की आयुर्वेद की अवधारणाओं के अनुसार ही व्याख्या किये जाने की आवश्यकता है।

4.7. आयुर्वेद के स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए 'शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसरों' पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि वैश्विक वैज्ञानिक साहित्य में आयुर्वेद की हिस्सेदारी मामूली है अर्थात् आयुर्वेद का योगदान बहुत कम है। प्रतिवर्ष आयुर्वेद में बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर (पी.जी.) और विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) पूरा करने वालों के बावजूद प्रकाशित अनुसन्धान की संख्या नगण्य रहती है। इसका कारण यह है कि आयुर्वेद में किये गए अनुसन्धान का स्तर अच्छा नहीं रहता, जो प्रकाशन के योग्य नहीं होता। यह भी पाया गया कि आयुर्वेद में अच्छे स्तर का अनुसन्धान न किया जाना मूल रूप से आयुर्वेद के स्नातकोत्तर शिष्यों द्वारा अनुसन्धान विषयों की अच्छी जानकारी न होने का परिणाम है। रा.आ.वि. ने इस अन्तराल को महसूस किया और आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए अनुसन्धान विधियों/शोध पद्धतियों, पाण्डुलिपि लेखन और साथ ही आजीविका अवसर संबंधी मार्गदर्शन पर केन्द्रित करते हुए एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया है।

4.8. चरक आयतनमः (आयुर्वेद के स्नातक और स्नातकोत्तर अध्येताओं के लिए 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम)

संहिता आयुर्वेद का आधार है। वे आयुर्वेद की सबसे नैदानिक शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकें हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि उनकी नैदानिक प्रासंगिकता को ठीक से समझाया और सिखाया नहीं गया हैं। फलस्वरूप, वे सैद्धांतिक पाठ्य पुस्तकों के रूप में माना जाता है।

चरक संहिता कायचिकित्सा का मूल पाठ है, चरक आयतनम कार्यक्रम चरक संहिता की प्रमाणिक नैदानिक समझाने और नैदानिक अभ्यास में इसकी प्रासंगिकता प्रदान करने का एक प्रयास हैं।

4.9. प्रकाशन

विद्यापीठ आयुर्वेद की कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है, जो जन–साधारण में जागरूकता पैदा करती हैं और साथ ही आयुर्वेद एवं सम्बद्ध विज्ञानों के विद्यार्थियों तथा पेशेवरों के लिए भी उपयोगी हैं। यह विद्यापीठ, आवश्यक पुनरीक्षा एवं विशेषज्ञ–समिति की संस्तुतियों तथा शासी निकाय से अनुमोदन लेने के पश्चात्, अपने शिष्यों के शोध प्रबन्धों का प्रकाशन भी करता है। रा.आ.वि. ने दो वर्षीय पाठ्यक्रम वाले अपने शिष्यों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्धों पर आधारित चार पुस्तकों सहित अभी तक 26 स्मारिकाएं और 17 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। सम्भाषा कार्यशालाओं से संबंधित पच्चीस प्रश्नोत्तरी वाली पुस्तकों का प्रकाशन भी इस विद्यापीठ द्वारा किया गया है।

5. तकनीकी रिपोर्ट (वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित क्रिया–कलाप)

5.1. <u>वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें</u>:

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान शासी निकाय की दो बैठकें तथा स्थायी वित्त समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं थी। विवरण निम्नवत् है :–

(अ) शासी निकाय की बैठकः

वर्ष के दौरान शासी निकाय की दो बैठकें (48वीं और 49वीं शासी निकाय बैठक) क्रमशः 07 नवम्बर, 2022 और 07 दिसम्बर, 2022 को आयोजित की गई थी। ब्यौरा निम्नलिखित हैः

07 नवम्बर, 2022 को आयोजित शासी निकाय की 48वीं बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1. वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा–अध्यक्ष
2. श्री प्रमोद कुमार पाठक, विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय
3. श्री जयदीप कुमार मिश्रा, अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
4. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
5. वैद्य मुकुल पटेल, कुलपति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर
6. डॉ. के.के. अग्रवाल, जयपुर
7. वैद्य सुभाष रानाडे, पुणे
8. वैद्य राजेश गुप्ता, सावंतवाडी
9. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
10. वैद्य राकेश शर्मा, एनसीआईएसएम, नई दिल्ली
11. डॉ. गोविंद प्रसाद उपाध्याय, नागपुर
12. वैद्य सदानंद पी. सर्देशमुख, पुणे
13. प्रो. मोहन लाल जायसवाल, जयपुर
14. श्री यश वीर सिंह, उप सचिव, आयुष मंत्रालय–विशेष आमंत्रित
15. श्री भवानी शंकर कोठारी, अवर सचिव, आयुष मंत्रालय–विशेष आमंत्रित
16. डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय एवं निदेशक, राआवि–सदस्य सचिव

शासी निकाय की 48वीं बैठक में लिये गए प्रमुख निर्णयः

शासी निकाय की 48वीं बैठक 07 नवम्बर, 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गयीं थीः

1. वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।
2. एनआईएफटीईएम, कुंडली, सोनीपत में "रेडी टू ईट (आरटीई), आयुर्वेद बेकरी उत्पाद, आयुर्वेद पर आधारित खाद्य सुदृढ़ीकरण" पर दो अल्पकालिक व्यावहारिक प्रशिक्षण का अनुमोदन किया गया।
3. केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर और एस.एस.एन. आयुर्वेद कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, नृसिंहनाथ, पाइकमाल, ओडिशा के सहयोग से ओडिशा के गंधमर्दन हिल्स में द्रव्यगुण–औषधीय पौधों के शिक्षकों, पीएचडी शोधकर्ताओं और पीजी विद्वानों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया।
4. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), नई दिल्ली के सहयोग से आयुर्वेद में शिक्षाविदों के लिए अनुसंधान पद्धति और वैज्ञानिक लेखन पर कार्यशाला आयोजित करने का अनुमोदन किया गया।
5. राष्ट्रीय संगोष्ठी, दीक्षांत समारोह और शिष्योपनयन आयोजित करने के लिए अनुमोदित किया गया।
6. 08 से 11 दिसम्बर, 2022 तक गोवा में आयोजित विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (डब्लूएएस) में सभी गुरुजनों और शिष्यों की भागीदारी के लिए स्वीकृति।

07 दिसम्बर, 2022 को आयोजित शासी निकाय की 49वीं बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1. वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा–अध्यक्ष
2. वैद्य प्रमोद पी. सावंत, माननीय मुख्यमंत्री, पणजी, गोवा
3. वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, विशेष आमंत्रित
4. श्री प्रमोद कुमार पाठक, विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय

5. श्री राज कुमार, निदेशक, आईएफडी और अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व
6. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
7. वैद्य मुकुल पटेल, कुलपति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर
8. वैद्य सुभाष रानाडे, पुणे
9. वैद्य राजेश गुप्ता, सावंतवाडी
10. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
11. वैद्य राकेश शर्मा, एनसीआईएसएम, नई दिल्ली
12. डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय एवं निदेशक, राआवि–सदस्य सचिव

शासी निकाय की 49वीं बैठक में लिये गए प्रमुख निर्णयः

शासी निकाय की 49वीं बैठक 07 दिसम्बर, 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गयीं थीः

1. राआवि द्वारा तैयार खाद्य पदार्थों को आईआईटीएफ एवं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (डब्लूएसी) में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।
2. आयुष मंत्रालय के ई–औषधि पोर्टल के लिए एक आईटी सलाहकार नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया।
3. सत्र 2022–23 के लिए गुरुजनों एवं शिषयों के चयन का अनुमोदन किया गया।

(ब) स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकः

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान स्थायी वित्त समिति की तीन बैठकें (यानी 40वीं, 41वीं और 42वीं बैठकें) दिनांक 29 जून, 2022, 01 दिसम्बर, 2022 और 20 मार्च, 2023 को स्थायी वित्त समिति के पदेन सदस्यों के साथ आयोजित की गई थीं।

29 जून, 2022 को आयोजित 40वीं स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1. श्री प्रमोद कुमार पाठक, विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय–पदेन सदस्य
2. श्री राज कुमार, निदेशक, आईएफडी और अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व
3. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
4. वैद्य दीनानाथ उपाध्याय, पुणे
5. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
6. डॉ. अनुपम–निदेशक, राआवि

स्थायी वित्त समिति की 40वीं बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयः

स्थायी वित्त समिति की 40वीं बैठक 29 जून, 2022 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गई थीं:

1. वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों का अनुमोदन किया गया।
2. वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।
3. निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन किया गयाः

   - एनआईएफटीईएम, कुंडली, सोनीपत में "रेडी टू ईट (आरटीई), आयुर्वेद बेकरी उत्पाद, आयुर्वेद पर आधारित खाद्य सुदृढ़ीकरण" पर दो अल्पकालिक व्यावहारिक प्रशिक्षण।

   - चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और अभ्यासकर्ताओं के लिए दो दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक अग्नि कर्म और रक्त–मोक्षण पर और एक आयुष में बौद्धिक उचित अधिकारी (आईपीआर) पर एवं प्रत्येक कार्यक्रम के लिए ₹ 2.00 लाख रूपये की लागत।

   - केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर और एस.एस.एन. आयुर्वेद कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, नृसिंहनाथ, पाइकमाल,

ओडिशा के सहयोग से ओडिशा के गंधमर्दन हिल्स में द्रव्यगुण–औषधीय पौधों के शिक्षकों, पीएचडी शोधकर्ताओं और पीजी विद्वानों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यक्रम के लिए ₹ 7.00 लाख रूपये की लागत।

4. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के सहयोग से आयुर्वेद में शिक्षाविदों के लिए अनुसंधान पद्धति और वैज्ञानिक लेखन पर ₹7.00 लाख रूपये की वित्तीय सीमा के साथ 06 कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुमोदन किया गया।

01 दिसम्बर, 2022 को आयोजित 41वीं स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1. श्री प्रमोद कुमार पाठक, विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय–पदेन सदस्य
2. अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार या उनके प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन
3. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
4. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
5. श्री यश वीर सिंह, उप सचिव, आयुष मंत्रालय–विशेष आमंत्रित
6. श्री भवानी शंकर कोठारी, अवर सचिव, आयुष मंत्रालय–विशेष आमंत्रित
7. डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय एवं निदेशक, राआवि

स्थायी वित्त समिति की 41वीं बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयः

स्थायी वित्त समिति की 41वीं बैठक 01 दिसम्बर, 2022 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गई थींः

1. निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन किया गयाः

- देश के विभिन्न क्षेत्रों यानी नई दिल्ली, पुणे, भोपाल, वाराणसी, हैदराबाद और बेंगलुरु में आयुष चिकित्सकों और आयुर्वेद बिरादरी के लिए छह एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम।
- स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरकआयतनम)।
- नई दिल्ली में ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से एक दिवसीय ज्ञान गंगा संगोष्ठी।

2. राआवि द्वारा तैयार खाद्य पदार्थों को आईआईटीएफ एवं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (डब्लूएसी) में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।
3. आयुष मंत्रालय के ई–औषधि पोर्टल के लिए एक आईटी सलाहकार नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया।
4. राआवि की शासी निकाय (जीबी) और स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के गैर–आधिकारिक सदस्यों की बैठक शुल्क बढ़ाने की स्वीकृति और यह भी सुझाव दिया गया कि इस मामले को सचिव और माननीय मंत्री जी की स्वीकृति के लिए फाइल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

20 मार्च, 2023 को आयोजित 42वीं स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1. श्री प्रमोद कुमार पाठक, विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय–पदेन सदस्य
2. श्री जयदीप कुमार मिश्रा, अपर सचिव एंड वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन
3. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
4. वैद्य वर्षा देशपांडे, कराड
5. डॉ. वन्दना सिरोहा, निदेशक, राआवि–विशेष आमंत्रित
6. सुश्री आशा चौहान, निदेशक, आयुर्वेद प्रभाग–विशेष आमंत्रित
7. डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय एवं निदेशक, राआवि

स्थायी वित्त समिति की 42वीं बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयः

स्थायी वित्त समिति की 42वीं बैठक 20 मार्च, 2023 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गई थीं:

1. भवन परिसर के निर्माण के लिए अ.भा.आ.म. को अग्रिम राशि देने का अनुमोदन किया गया और यह भी सुझाव दिया गया कि इसे विचार और सहमति के लिए आयुष मंत्रालय के माध्यम से आईएफडी को फाइल पर प्रस्तुत किया जाए।

5.2. गुरु शिष्य परम्परा

(क) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)

सीआरएवी गुरुजनों का चयनः

वर्ष 2022–23 में नए सत्र के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम में गुरुजनों की नियुक्ति हेतु 05 दिसम्बर, 2022 को 'विज्ञापन एवं दृष्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.)' के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर सभी चयनित प्रमुख समाचारपत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। भावी वैद्यों/विद्वानों से 60 नए आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

27 जनवरी, 2023 को आयोजित शासी निकाय की एक उप–समिति, जिसमें प्राप्त आवेदनों की जांच एवं सूचीबद्ध/चयन करने के लिए, शासी निकाय के अध्यक्ष, रा.आ.वि. के अनुमोदन से निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

1. वैद्य मुकुल पटेल, कुलपति, गु.आ.वि., जामनगर – शासी निकाय के सदस्य
2. वैद्य राकेश शर्मा, अध्यक्ष, नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड, एनसीआईएसएम – शासी निकाय के सदस्य
3. वैद्य राजेश गुप्ता, सावंतवाडी – शासी निकाय के सदस्य
4. डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय एवं निदेशक, आरएवी – सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति ने आवेदनों की जांच की और प्रदर्शन और सूचना, चर्चा और प्रतिक्रिया, पात्रता मानदंड, निरीक्षण रिपोर्ट, सम्मति, फीडबैक आदि के आधार पर 60 आवेदकों में से 17 नामों को सूचीबद्ध किया। उप–समिति ने सत्र 2021–22 के 70 गुरुजनों का भी मूल्यांकन किया एवं सत्र 2021–22 के 66 मौजूदा गुरुजनों को सत्र 2022–23 हेतु विचार करने के लिए सुझाव दिया था।

निम्नलिखित 83 गुरुजनों ने अपनी स्वीकृति दी थी जिनमें 79 व्यक्तिगत गुरु और 04 संस्थागत गुरु शामिल थे। इस वर्ष के लिए सी.आर.ए.वी के लिए सूचीबद्ध गुरुजनों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रमांक	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	विषय
1.	डॉ. बी. प्रभाकरन, कन्नूर (केरल)	अगद तंत्र
2.	डॉ. एन. कृष्णैया, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	बाल रोग
3.	डॉ. जयसुख रामजीभाई मकवाना, राजकोट (गुजरात)	दंत चिकित्सा
4.	डॉ. एल. सुचरिता, बेंगलुरु (कर्नाटक)	स्त्री रोग
5.	डॉ. एन.वी. श्रीवत्स, पलक्कड़ (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा
6.	डॉ. विजयन नांगेलिल, कोथमंगलम (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा
7.	डॉ. मैथ्यूज जोसेफ, मुवत्तूपूझा (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा और खेल चोट प्रबंधन
8.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	अस्थि चिकित्सा

9.	डॉ. ए. राघवेंद्र आचार्य, उडुपी (कर्नाटक)	क्षारसूत्र एवं मर्म चिकित्सा
10.	वैद्य देवेन्द्र कुमार शाह, अहमदाबाद (गुजरात)	क्षारसूत्र
11.	डॉ. के.वी.एस. रॉव, भिलाई (छत्तीसगढ़)	क्षारसूत्र
12.	डॉ. मनोरंजन साहू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
13.	डॉ. हर्षवर्धन जोबनपुत्र, नाडियाड (गुजरात)	क्षारसूत्र
14.	डॉ. एम. भास्कर रॉव, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	क्षारसूत्र
15.	डॉ. रमन सिंह, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
16.	डॉ. हेम राज शर्मा, ऊना (हिमाचल प्रदेश)	क्षारसूत्र
17.	डॉ. लालता प्रसाद, बरेली (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
18.	डॉ. एस. दत्तात्रेय राव, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	क्षारसूत्र
19.	डॉ. सतपाल गुप्ता, अंबाला छावनी (हरियाणा)	क्षारसूत्र
20.	डॉ. नागेंद्र पाल, मंडी (हिमाचल प्रदेश)	क्षारसूत्र

21.	वैद्य आलोक मोहनलाल गुप्ता, यवतमाल (महाराष्ट्र)	क्षारसूत्र
22.	डॉ. कोसाराजू वेंकट चलपति राव, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	क्षारसूत्र
23.	डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मेसी
24.	वैद्य विवेक दत्तात्रेय साने, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मेसी
25.	वैद्य सूर्य प्रकाश शर्मा, कोलकता (पश्चिम बंगाल)	फार्मेसी
26.	वैद्य शशिकुमार नेचियल, पलक्कड़ (केरल)	फार्मेसी
27.	डॉ. डी. रामानाथन, त्रिशूर (केरल)	फार्मेसी
28.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	नेत्र चिकित्सा
29.	डॉ. हेमकांत शिवाजीराव बाविस्कर, जलगाँव (महाराष्ट्र)	नेत्र चिकित्सा
30.	श्रीधरीयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एर्नाकुलम (केरल) (डॉ. एन. नारायण नम्बूदरी)	नेत्र चिकित्सा (संस्थागत गुरू)
31.	आर्य वैद्य चिकित्सालयम् एवं अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (डॉ. रामकुमार)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)

32.	आर्य वैद्य शाला, कोट्टक्कल (केरल) (डॉ. पी.एम. वारीयर और डॉ. राजगोपालन के.वी.)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)
33.	श्रीमती मनीबेन अमृतलाल हरगोवन सरकारी आयुर्वेद अस्पताल, अहमदाबाद (गुजरात) (डॉ. वर्षा दवे)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)
34.	वैद्य अनंत सदानंद निमकर, सतारा (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
35.	डॉ. मणि भूषण कुमार, पटना (बिहार)	कायचिकित्सा
36.	वैद्य बिनोद जोशी, हलद्वानी (उत्तराखंड)	कायचिकित्सा
37.	वैद्य नामधर शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
38.	डॉ. रमेश आर. वारीयर, मदुरै (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
39.	डॉ. वी. श्रीकुमार, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा
40.	डॉ. रविशंकर परवजे, दक्षिणकंनडा (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
41.	डॉ. रामदास म्हालुजी अव्हाड़, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
42.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, करोल बाग (नई दिल्ली)	कायचिकित्सा

43.	वैद्य ताराचन्द शर्मा, रोहिणी (नई दिल्ली)	कायचिकित्सा
44.	वैद्य नरेन्द्र नारायणदास गुजराती, जलगाँव (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
45.	डॉ. गंजम कृश्ण प्रसाद, सिकंदराबाद (तेलंगाना)	कायचिकित्सा
46.	डॉ. मधुसूदन देशपाण्डे, भोपाल (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा
47.	डॉ. सी.एम. श्रीकृष्णन्, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा
48.	डॉ. जगदीश्वरी प्रसाद मिश्रा ''बसंत'', सीतामढ़ी (बिहार)	कायचिकित्सा
49.	डॉ. संतोश भगवानराव नेवपुरकर, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
50.	डॉ. विनय वासुदेव वेलणकर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
51.	डॉ. पंचाभाई वी. दमानिया, जूनागढ़ (गुजरात)	कायचिकित्सा
52.	वैद्य अनिल भारद्वाज, चंडीगढ़	कायचिकित्सा
53.	वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, नोएड़ा (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा
54.	डॉ. मनोज कुमार शर्मा, कोटा (राजस्थान)	कायचिकित्सा

55.	डॉ. पंगला मुरलीधरन रामचंद्र भट, बेंगलुरु (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
56.	डॉ. प्रवीण प्रभाकर जोशी, धुले (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
57.	डॉ. रविन्द्र वात्स्यायन, लुधियाना (पंजाब)	कायचिकित्सा
58.	वैद्य महेश मधुसूदन ठाकुर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
59.	वैद्य उपेन्द्र दिगम्बर दीक्षित, पोंडा (गोवा)	कायचिकित्सा
60.	डॉ. पी.एम.एस. रविन्द्रनाथ, पलक्कड़ (केरल)	कायचिकित्सा
61.	वैद्य मुरलीधर पुरुषोत्तम प्रभुदेसाई, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
62.	वैद्य एम. प्रसाद, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा
63.	वैद्य सुविनय विनायक दामले, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
64.	वैद्य सत्य प्रकाश गुप्ता, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा
65.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
66.	वैद्य मल्हार प्रभाकर जोशी, सांगली (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा

67.	डॉ. ए.बी. शशिधरन नायर, कोट्टायम (केरल)	कायचिकित्सा
68.	वैद्य अनुपमा जयंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
69.	वैद्य (प्रो.) जी.जी. गंगाधरन, बेंगलुरु (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
70.	डॉ. रामावतार शर्मा, सीकर (राजस्थान)	कायचिकित्सा
71.	वैद्य (प्रो.) श्याम सुंदर शर्मा, भागलपुर (बिहार)	कायचिकित्सा
72.	डॉ. सावित्री संबामूर्ति गायत्री, बेंगलुरु (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
73.	वैद्य श्रीकृश्ण शर्मा खंडेल, जयपुर (राजस्थान)	कायचिकित्सा
74.	डॉ. टी. श्रीधर बैरी, उडुपी (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
75.	प्रो. (डॉ.) नारायण चंद्र दास, पुरी (उड़ीसा)	कायचिकित्सा
76.	डॉ. एम.बी. गुरुराजा, शिवमोगा (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
77.	डॉ. विनय वोरा, अहमदाबाद (गुजरात)	कायचिकित्सा
78.	डॉ. प्रीति छाबड़ा, जनक पुरी (नई दिल्ली)	कायचिकित्सा

79.	डॉ. ए.आर. रामदास, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
80.	वैद्य सतीश शामलाल भट्टड, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
81.	डॉ. प्रणव किरीतकुमार दवे, अहमदाबाद (गुजरात)	कायचिकित्सा
82.	वैद्य एस.एन. पाण्डे, उज्जैन (म.प्र.)	कायचिकित्सा
83.	वैद्य रविन्द्र बजाज, लुधियाना (पंजाब)	कायचिकित्सा

(ब) सीआरएवी पाठ्यक्रम के शिष्यों का प्रवेश एवं प्रशिक्षणः

इस वर्ष के दौरान शिष्यों को प्रवेश देने के उद्देश्य से 12 जनवरी, 2023 को पूरे देश के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अतिरिक्त सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों को इन विज्ञापनों की प्रतियाँ उनके सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित करने के लिए भेजी गई थी। विज्ञापनों की प्रतियाँ पाठ्य–विवरणिका एवं अन्य नियमावली के साथ सभी गुरुजनों एवं शासी निकाय के सदस्यों को भी भेजी गई थी।

विज्ञापन के प्रत्युत्तर में लगभग 1706 आवेदनपत्र प्राप्त हुए और उनकी जांच की गई थी। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 1676 पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र जारी किए गए थे। परीक्षा 05 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, वाराणसी और त्रिशूर के पूर्व अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों में

आयोजित की गई थी। छह केन्द्रों में कुल 1539 आवेदकों ने परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के लिए 100 वस्तुनिश्ठ प्रश्नों वाला प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया गया था। योग्यता के आधार पर कुल 225 शिष्य चुने गए थे।

निम्नलिखित 218 शिष्यों को 83 गुरुजनों के अधीन प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैंः

क्रमांक	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	विषय	शिष्यों की संख्या
1.	डॉ. बी. प्रभाकरन, कन्नूर (केरल)	अगद तंत्र	03
2.	डॉ. एन. कृष्णैया, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	बाल रोग	03
3.	डॉ. जयसुख रामजीभाई मकवाना, राजकोट (गुजरात)	दंत चिकित्सा	03
4.	डॉ. एल. सुचरिता, बेंगलुरु (कर्नाटक)	स्त्री रोग	03
5.	डॉ. एन.वी. श्रीवत्स, पलक्कड़ (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा	01
6.	डॉ. विजयन नांगेलिल, कोथमंगलम (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा	04
7.	डॉ. मैथ्यूज जोसेफ, मुवत्तूपूझा (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा और खेल चोट प्रबंधन	02
8.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	अस्थि चिकित्सा	03

9.	डॉ. ए. राघवेंद्र आचार्य, उडुपी (कर्नाटक)	क्षारसूत्र एवं मर्म चिकित्सा	02
10.	वैद्य देवेन्द्र कुमार शाह, अहमदाबाद (गुजरात)	क्षारसूत्र	03
11.	डॉ. के.वी.एस. रॉव, भिलाई (छत्तीसगढ़)	क्षारसूत्र	03
12.	डॉ. मनोरंजन साहू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	02
13.	डॉ. हर्षवर्धन जोबनपुत्र, नाडियाड (गुजरात)	क्षारसूत्र	02
14.	डॉ. एम. भास्कर रॉव, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	क्षारसूत्र	02
15.	डॉ. रमन सिंह, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	02
16.	डॉ. हेम राज शर्मा, ऊना (हिमाचल प्रदेश)	क्षारसूत्र	02
17.	डॉ. लालता प्रसाद, बरेली (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	03
18.	डॉ. एस. दत्तात्रेय राव, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	क्षारसूत्र	02
19.	डॉ. सतपाल गुप्ता, अंबाला छावनी (हरियाणा)	क्षारसूत्र	02
20.	डॉ. नागेंद्र पाल, मंडी (हिमाचल प्रदेश)	क्षारसूत्र	02

21.	वैद्य आलोक मोहनलाल गुप्ता, यवतमाल (महाराष्ट्र)	क्षारसूत्र	02
22.	डॉ. कोसाराजू वेंकट चलपति राव, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	क्षारसूत्र	02
23.	डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मेसी	02
24.	वैद्य विवेक दत्तात्रेय साने, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मेसी	03
25.	वैद्य सूर्य प्रकाश शर्मा, कोलकता (पश्चिम बंगाल)	फार्मेसी	01
26.	वैद्य शशिकुमार नेचियल, पलक्कड़ (केरल)	फार्मेसी	02
27.	डॉ. डी. रामानाथन, त्रिशूर (केरल)	फार्मेसी	03
28.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	नेत्र चिकित्सा	03
29.	डॉ. हेमकांत शिवाजीराव बाविस्कर, जलगाँव (महाराष्ट्र)	नेत्र चिकित्सा	02
30.	श्रीधरीयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एर्नाकुलम (केरल) (डॉ. एन. नारायण नम्बूदरी)	नेत्र चिकित्सा (संस्थागत गुरू)	07
31.	आर्य वैद्य चिकित्सालयम् एवं अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (डॉ. रामकुमार)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)	08

32.	आर्य वैद्य शाला, कोट्टक्कल (केरल) (डॉ. पी.एम. वारीयर और डॉ. राजगोपालन के.वी.)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)	08
33.	श्रीमती मनीबेन अमृतलाल हरगोवन सरकारी आयुर्वेद अस्पताल, अहमदाबाद (गुजरात) (डॉ. वर्षा दवे)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरू)	08
34.	वैद्य अनंत सदानंद निमकर, सतारा (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	01
35.	डॉ. मणि भूषण कुमार, पटना (बिहार)	कायचिकित्सा	02
36.	वैद्य बिनोद जोशी, हलद्वानी (उत्तराखंड)	कायचिकित्सा	02
37.	वैद्य नामधर शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	02
38.	डॉ. रमेश आर. वारीयर, मदुरै (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	04
39.	डॉ. वी. श्रीकुमार, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	02
40.	डॉ. रविशंकर परवजे, दक्षिणकंनडा (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	04
41.	डॉ. रामदास म्हालुजी अव्हाड़, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	04
42.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, करोल बाग (नई दिल्ली)	कायचिकित्सा	02

43.	वैद्य ताराचन्द शर्मा, रोहिणी (नई दिल्ली)	कायचिकित्सा	02
44.	वैद्य नरेन्द्र नारायणदास गुजराती, जलगाँव (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	03
45.	डॉ. गंजम कृश्ण प्रसाद, सिकंदराबाद (तेलंगाना)	कायचिकित्सा	03
46.	डॉ. मधुसूदन देशपाण्डे, भोपाल (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा	02
47.	डॉ. सी.एम. श्रीकृष्णन्, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	02
48.	डॉ. जगदीश्वरी प्रसाद मिश्रा ''बसंत'', सीतामढ़ी (बिहार)	कायचिकित्सा	01
49.	डॉ. संतोश भगवानराव नेवपुरकर, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
50.	डॉ. विनय वासुदेव वेलणकर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
51.	डॉ. पंचाभाई वी. दमानिया, जूनागढ़ (गुजरात)	कायचिकित्सा	04
52.	वैद्य अनिल भारद्वाज, चंडीगढ़	कायचिकित्सा	02
53.	वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, नोएड़ा (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा	02
54.	डॉ. मनोज कुमार शर्मा, कोटा (राजस्थान)	कायचिकित्सा	02

55.	डॉ. पंगला मुरलीधरन रामचंद्र भट, बेंगलुरु (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	02
56.	डॉ. प्रवीण प्रभाकर जोशी, धुले (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	03
57.	डॉ. रविन्द्र वात्स्यायन, लुधियाना (पंजाब)	कायचिकित्सा	02
58.	वैद्य महेश मधुसूदन ठाकुर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
59.	वैद्य उपेन्द्र दिगम्बर दीक्षित, पोंडा (गोवा)	कायचिकित्सा	03
60.	डॉ. पी.एम.एस. रविन्द्रनाथ, पलक्कड़ (केरल)	कायचिकित्सा	02
61.	वैद्य मुरलीधर पुरुषोत्तम प्रभुदेसाई, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
62.	वैद्य एम. प्रसाद, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	02
63.	वैद्य सुविनय विनायक दामले, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
64.	वैद्य सत्य प्रकाश गुप्ता, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा	02
65.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	04
66.	वैद्य मल्हार प्रभाकर जोशी, सांगली (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02

67.	डॉ. ए.बी. शशिधरन नायर, कोट्टायम (केरल)	कायचिकित्सा	03
68.	वैद्य अनुपमा जयंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	03
69.	वैद्य (प्रो.) जी.जी. गंगाधरन, बेंगलुरु (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	03
70.	डॉ. रामावतार शर्मा, सीकर (राजस्थान)	कायचिकित्सा	02
71.	वैद्य (प्रो.) श्याम सुंदर शर्मा, भागलपुर (बिहार)	कायचिकित्सा	01
72.	डॉ. सावित्री संबामूर्ति गायत्री, बेंगलुरु (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	02
73.	वैद्य श्रीकृश्ण शर्मा खंडेल, जयपुर (राजस्थान)	कायचिकित्सा	02
74.	डॉ. टी. श्रीधर बैरी, उडुपी (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	02
75.	प्रो. (डॉ.) नारायण चंद्र दास, पुरी (उड़ीसा)	कायचिकित्सा	03
76.	डॉ. एम.बी. गुरुराजा, शिवमोगा (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	02
77.	डॉ. विनय वोरा, अहमदाबाद (गुजरात)	कायचिकित्सा	02
78.	डॉ. प्रीति छाबड़ा, जनक पुरी (नई दिल्ली)	कायचिकित्सा	02

79.	डॉ. ए.आर. रामदास, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	04
80.	वैद्य सतीश शामलाल भट्टड, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	03
81.	डॉ. प्रणव किरीतकुमार दवे, अहमदाबाद (गुजरात)	कायचिकित्सा	02
82.	वैद्य एस.एन. पाण्डे, उज्जैन (म.प्र.)	कायचिकित्सा	02
83.	वैद्य रविन्द्र बजाज, लुधियाना (पंजाब)	कायचिकित्सा	02
कुल			218

5.3. आयुर्वेद के स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए 'शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसरों' पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि वैश्विक वैज्ञानिक साहित्य में आयुर्वेद की हिस्सेदारी मामूली है अर्थात् आयुर्वेद का योगदान बहुत कम है। प्रतिवर्ष आयुर्वेद में बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर (पी.जी.) और विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) पूरा करने वालों के बावजूद प्रकाशित अनुसन्धान की संख्या नगण्य रहती है। इसका कारण यह है कि आयुर्वेद में किये गए अनुसन्धान का स्तर अच्छा नहीं रहता, जो प्रकाशन के योग्य नहीं होता। यह भी पाया गया कि आयुर्वेद में अच्छे स्तर का अनुसन्धान न किया जाना मूल रूप से आयुर्वेद के स्नातकोत्तर शिष्यों द्वारा अनुसन्धान विषयों की अच्छी जानकारी न होने का परिणाम है। र.आ.वि. ने हाल ही में इस अन्तराल को महसूस किया है और

आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए अनुसन्धान विधियों/शोध पद्धतियों, पाण्डुलिपि लेखन और साथ ही आजीविका अवसर संबंधी मार्गदर्शन पर केन्द्रित करते हुए एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया है।

ये दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थे जिनमें आयुर्वेद एवं संबंद्ध विषयों के अनुसन्धान में उच्च दक्षता प्राप्त वरिष्ठ संकाय शामिल थे। पूरे देश के आयुर्वेद स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से भागीदार आमंत्रित किये जाते हैं। यह देखा गया कि आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्वानों द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की काफी प्रशंसा और मांग की गई। अब तक इन कार्यक्रमों में लगभग 200 आयुर्वेद स्नातकोत्तर विद्वानों को प्रशिक्षण दिया गया है।

राआवि ने शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसरों पर आयुर्वेद पीजी विद्वानों के लिए निम्नलिखित स्थानों पर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थेः

क्र.स.	**स्थान**	**अवधि**
1.	नई दिल्ली	22 से 24 अगस्त, 2022
2.	अहमदाबाद (गुजरात)	22 से 24 सितम्बर, 2022
3.	नागपुर (महाराष्ट्र)	03 से 05 नवम्बर, 2022
4.	भुवनेश्वर (ओडिशा)	24 से 26 नवम्बर, 2022
5.	बेंगलुरु (कर्नाटक)	15 से 17 दिसम्बर, 2022
6.	त्रिवेंद्रम (केरल)	19 से 21 जनवरी, 2023

5.4. चरक अयतनामः (आयुर्वेद के स्नातक और स्नातकोत्तर अध्येताओं के लिए 06 दिवसीय पूर्ण आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम)

संहिता आयुर्वेद का आधार है। वे आयुर्वेद की सबसे नैदानिक शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकें हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि उनकी नैदानिक प्रासंगिकता को ठीक प्रकार से समझाया और सिखाया नहीं जाता। फलस्वरूप, वे सैद्धांतिक पाठ्य पुस्तकों के रूप में माना जाता है। नैदानिक तरीकों को दवा की एलोपैथिक प्रणाली को समझने के अनुसार सिखाया जाता है। इस प्रक्रिया में आयुर्वेदिक चिकित्सक भूल गए हैं कि नैदानिक निदान की आयुर्वेदिक विधि निदान की वर्तमान विधि से काफी बेहतर है, जो मुख्य रूप से प्रयोगशाला पर निर्भर हैं। एलोपैथिक प्रणाली के अनुसार बीमारियों का निदान करने की प्रवृत्ति और आयुर्वेदिक फॉमूलेशन के साथ उपचार को विभिन्न बीमारियों के हर्बल उपचार के रूप में कहा जा सकता हैं जो वास्तविक अर्थ में आयुर्वेद नहीं हैं। इसलिए रोगी के निकट रहकर संहिता को समझना और शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार उपचार करने की रचना को सीखना महत्वपूर्ण हैं।

चरक संहिता कायचिकित्सा का मूल पाठ है, वर्तमान कार्यक्रम चरक संहिता की प्रमाणिक नैदानिक समझ और नैदानिक अभ्यास में इसकी प्रासंगिकता प्रदान करने के लिए रचना किया गया है। यह कार्यक्रम छात्रों को चरक संहिता में वर्णित जीवनशैली जीने और अनुभव करने का मौका भी देगा और मन और शरीर पर इसके सकारात्मक प्रभाव का अनुभव भी करेगा। आयुर्वेद के निष्ठावान गुरु चरक संहिता के आधार पर व्यावहारिक व क्रियाशील प्रशिक्षण प्रतिभागियों को प्रदान करेंगें। चरक संहिता की समझ की विधि और आधुनिक जीवन शैली

और आदतों के संदर्भ में इसकी व्याख्या छात्रों को वर्णित की जाएगी। चरक संहिता के कार्यक्रम में सएझाए गए विभिन्न औषधिय पौधों की पहचान करने का अनुभव का अवसर भी प्रदान करेगा, चरक आधारित नैदानिक निदान के अलावा चरक संहिता द्वारा वर्णित कुछ व्यंजनों का अनुभव करेंगे, जिनमें पौष्ठिक–औषधीय पदार्थों, आयुर्वेदिक दिनचर्या, चरक संहिता द्वारा वर्णित सरल सूत्रों की तैयारी, एकल द्रव्य चिकित्सा आदि हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए दो 06 दिवसीय संहिता प्रशिक्षण कार्यक्रम "चरकायतन" सफलतापूर्वक 100 प्रशिक्षुओं के लिए बेंगलुरु (कर्नाटक) और होशियारपुर (पंजाब) में आयोजित किया गया था।

5.5. एनआईएफटीईएम, कुंडली, सोनीपत में "रेडी टू ईट (आरटीई), आयुर्वेद बेकरी उत्पाद, आयुर्वेद पर आधारित फूड फोर्टिफिकेशन" पर अल्पकालिक व्यावहारिक प्रशिक्षण

वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और निफ्टम, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) द्वारा कुल पांच नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जिसमें रियोलॉजी, आरटीई (रेडी टू ईट) उत्पाद, चुकंदर के लड्डू, विभिन्न मिलेट्स के स्वस्थ्यप्रद और पौष्टिक व्यंजन, मिलेट्स का उपयोग करके बेक्ड उत्पादों का निर्माण और विकास, कुकीज़, मफिन, मिलेट्स आधारित न्यूट्री बार आदि पर प्रदर्शन के साथ–साथ क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा सैद्धांतिक व्याख्यान प्रदान किया गया था। कई शिक्षकों ने आयुर्वेदिक निदान पद्धति की इस कला को सीखने में अपनी रुचि दिखाई।

आयुर्वेद आहार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने अनूठी पहल की थी। राआवि ने ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से निम्नलिखित दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें विभिन्न विषय शामिल थे, जैसे–चावल, गेहूं और तेल फोर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए खाद्य और सुरक्षा मानक विनियमन और विज्ञापनों पर नियंत्रण, मिलेट्स और इसका महत्व, स्टार्ट–अप नवाचार और ऊष्मायन, एफएसएसएआई पंजीकरण और लाइसेंसिंग, सरकारी योजनाएं आदिः–

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिनांक
1	एनआईएफटीईएम–प्रशिक्षण कार्यक्रम	19 से 23 सितम्बर, 2022
2	एनआईएफटीईएम–प्रशिक्षण कार्यक्रम	13 से 17 फरवरी, 2023

5.6. शिक्षकों, पीएचडी शोधकर्ताओं, और द्रव्यगुण–औषधीय पादप अनुशासन के पीजी विद्वानों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर और एस.एस.एन. आयुर्वेद कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, नृसिंहनाथ, पाइकमाल, ओडिशा के सहयोग से 05 से 07 जनवरी, 2023 के दौरान **"क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से ओडिशा की गंधमर्दन पहाड़ियों पर वनस्पतियों की पहचान"** पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को फील्ड विजिट के माध्यम से गंधमर्दन हिल्स, पाइकमल, ओडिशा में वनस्पतियों की पहचान के बारे में ज्ञान और समझ प्रदान करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों, शोधकर्ताओं, पीएचडी और द्रव्यगुण–औषधीय पादप अनुशासन के पीजी

विद्वानों सहित लगभग 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कार्यक्रम के दौरान, द्रव्यगुण अनुशासन के शिक्षाविदों और विद्वानों को औषधीय पौधों का ज्ञान और समृद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए गंधमर्दन पहाड़ियों, ओडिशा के जैव–विविध क्षेत्र से अवगत कराया गया।

5.7. ज्ञान गंगा–एक ज्ञान यात्रा–साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला

(अ) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (रा.आ.वि.) प्रत्येक **गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे ''ज्ञान गंगा–एक ज्ञान यात्रा''** नामक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य प्रामणिक ज्ञान, सूचना का प्रसार करना और आयुर्वेद बन्धुत्व के ज्ञान और कौशल को आयुर्वेद के साथ–साथ समकालीन विज्ञान के क्षेत्र के दिग्गजों के साथ लाइव संवादात्मक सेशन के माध्यम से अद्यतन करना था। अब तक, विभिन्न विषयों पर 129 से अधिक वेबिनार आयोजित किए जा चुके थे।

100 वेबिनार पूरे होने पर, 31 मार्च, 2023 को अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन हॉल, धन्वन्तरि भवन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में "आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भारत में विदेशी फल और सब्जियां" विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित किया गया। 120 से अधिक उम्मीदवारों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया।

(ब) ''आज़ादी का अमृत महोत्सव'' की छत्रछाया में क्षेत्र विशिष्ट आयुर्वेद आहार का प्रचार–प्रसार

आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, भारत **''आज़ादी का अमृत महोत्सव''** बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। इसके संदर्भ में, राआवि द्वारा आम लोगों के लाभ

के लिए भी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया था, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए ज्ञान प्रदान करने से लेकर आम लोगों के बीच प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली संशमनी वटी और आयु–रक्षा किट के वितरण शामिल थे।

राआवि विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट खाद्य पदार्थों, मौसमी शासन के अनुसार खाद्य पदार्थों आदि के स्वास्थ्य लाभों के बारे में आम लोगों के बीच प्रामाणिक जानकारी प्रसारित करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट आयुर्वेद आहार श्रृंखला चला रहा था। हर महीने किसी भी क्षेत्रीय और उसके स्वास्थ्य लाभ को टेम्पलेट में दिखाया गया था और ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर लघु प्रचार वीडियो भी साझा किया जाता था।

वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गयेः

- आयुर्वेद आहार के लिए एफएसएसएआई विनियमन के बारे में जागरूकता के साथ–साथ आयुर्वेद आहार को बढ़ावा देने और आयुर्वेद विद्वानों, शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए राआवि द्वारा पूरे भारत में छह एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित किए गए थे। प्रत्येक संगोष्ठी में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और उन्हें जागरूक किया गया।
- स्वास्थ्य रखरखाव के लिए मिलेट्स के उपयोग पर हर महीने वेबिनार आयोजित किए गए थे।
- "आपकी रसोई के माध्यम से मिलेट्स व्यंजन" पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें प्रतिभागियों से वीडियो आमंत्रित किए गए थे। 20 से अधिक लोगों ने भाग लिया और मिलेट्स से बने विभिन्न क्षेत्रीय व्यंजनों और इसके स्वास्थ्य लाभों का प्रदर्शन किया।

5.8. प्रकाशन/पुस्तकों की बिक्री

वर्ष के दौरान विद्यापीठ ने **₹10,93,488/–(रुपये दस लाख तिरानवे हजार चार सौ अट्ठासी मात्र)** मूल्य के अपने प्रकाशनों की बिक्री की थी।

5.9. आयुर्वेद प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एटीएबी)

आयुर्वेद प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एटीएबी) भारत और विदेशों में संचालित आयुर्वेद पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित एक गुणवत्ता संवर्धन पहल है, जो एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 (पहले आईएमसीसी अधिनियम, 1970) या किसी अन्य नियामक संस्था के दायरे में नहीं आते हैं। राआवि को 05 दिसम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत के साथ–साथ विभिन्न देशों में संचालित विभिन्न आयुर्वेद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह एक स्वैच्छिक योजना है और संस्थान/प्रशिक्षण प्रदाता इस योजना को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यह दुनिया भर में चल रहे अनुकूलित/अनुकुलित आयुर्वेद पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाएगा। इसके तीन स्तर हैं:

स्तर 1 – आयुर्वेद पाठ्यक्रमों की सूची

पाठ्यक्रमों की सूची का उद्देश्य आयुर्वेद में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक सूची तैयार करना है, जिसका अंतिम उद्देश्य उन्हें औपचारिक मान्यता के ढांचे के तहत लाना है।

स्तर 2 – मूल मान्यता की स्व–घोषणा

यह प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए निर्धारित बुनियादी मान्यता मानक के अनुसार खुद का आकलन करने और स्व–मूल्यांकन के आधार पर अनुरूपता की घोषणा करने का एक अवसर है।

स्तर 3 – आयुर्वेद पाठ्यक्रमों की मूल मान्यता

यह एटीएबी के मूल प्रत्यायन मानक के तहत उनके पाठ्यक्रमों के स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से एक औपचारिक मान्यता है।

राष्ट्रीय स्तर पर 65 (पैसठ) आयुर्वेद पाठ्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 09 (नौ) आयुर्वेद पाठ्यक्रम 31.03.2023 तक विभिन्न स्तरों के तहत सूचीबद्ध किए गए थे।

5.10. अन्य क्रिया–कलाप

(अ) राष्ट्रीय आरोग्य, आयुर्वेद पर्व, व्यापार मेला और विज्ञान प्रदर्शनी में भागीदारीः

विद्यापीठ ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित पांच आरोग्य, छह आयुर्वेद पर्व, व्यापार मेला के साथ–साथ विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, जीएआईआईएस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, इत्यादि में भी भाग लिया था। विवरण निम्नलिखित हैः–

आरोग्य मेलेः

- राष्ट्रीय स्तरीय आरोग्य मेला 27 से 30 मई, 2022 तक उज्जैन (म.प्र.) में।
- राष्ट्रीय स्तरीय आरोग्य मेला 27 जुलाई से 02 अगस्त, 2022 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में।
- राज्य स्तरीय आरोग्य 18 से 21 अक्टूबर, 2022 तक आइजोल, मिजोरम में।
- डब्लूएसी और आरोग्य एक्सपो 08 से 11 दिसम्बर, 2022 तक गोवा में।

- एक्सपो और राष्ट्रीय आरोग्य 02 से 05 मार्च, 2023 तक गुवाहाटी, असम में।

आयुर्वेद पर्वः

- आयुर्वेद पर्व 22 से 24 सितम्बर, 2022 तक शिरडी, महाराष्ट्र में।
- आयुर्वेद पर्व 11 से 13 नवम्बर, 2022 तक नागपुर, महाराष्ट्र में।
- आयुर्वेद पर्व 23 से 25 दिसम्बर, 2022 तक रोहतक, हरियाणा में।
- आयुर्वेद पर्व 20 से 22 जनवरी, 2023 तक पुरी, ओडिशा में।
- आयुर्वेद पर्व 10 से 12 मार्च, 2023 तक मेरठ (उ.प्र.) में।
- आयुर्वेद पर्व 27 से 29 मार्च, 2023 तक चंडीगढ़ में।

अन्य कार्यक्रमः

- वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 20 से 22 अप्रैल, 2022 तक गांधीनगर, गुजरात में।
- एसएटीटीई का 29वां संस्करण 18 से 20 मई, 2022 तक ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में।
- 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आयुष प्रदर्शनी 21 से 26 जून, 2022 तक मैसूर, कर्नाटक में।
- अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 20 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में।
- व्यापार मेला 14 से 27 नवम्बर, 2022 तक आईआईटीएफ, नई दिल्ली में।
- भारत पर्व 26 से 31 जनवरी, 2023 तक नई दिल्ली में।

(ब) आयुर्ज्ञान योजना के एक घटक, आयुष में क्षमता निर्माण और सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन

यह विद्यापीठ प्रधान कार्यालय के रूप में आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित आयुर्ज्ञान योजना के सीएमई घटक को कार्यान्वित कर रहा है। ये सीएमई कार्यक्रम देश भर की चुनिंदा संस्थाओं में शिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों और आयुष तंत्र के अन्य कार्मिकों के ज्ञान को उन्नत बनाने और उन्हें संबंधित विषयों में रोग निदान, उपचार, औषध आदि के क्षेत्रों में प्रगति एवं अनुसन्धान परिणामों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किये गए थे। अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अलावा आयुष चिकित्सकों के लिए योग एवं आयुष के अन्य विषयों में पुनर्बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई थी।

वर्ष 2022–23 के दौरान, पात्र संस्थानों को प्रतिपूर्ति के साथ–साथ 65 सी.एम.ई कार्यक्रम/परियोजनाएं के संचालन/कार्यान्वयन के लिए कुल जी.आई.ए. ₹ 625.00 की निधियां जारी की गई थी।

इसके अलावा 2022–23 के दौरान, लंबित पड़े हुए ₹ 425 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का परिसमापन भी किया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान अध्यापकों एवं चिकित्सकों आदि के लिए आयुष के जारी किए गए सीएमई कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	कार्यक्रमों की संख्या
1	गुजरात	09
2	हरियाणा	01
3	हिमाचल प्रदेश	01
4	कर्नाटक	05
5	केरल	01
6	मध्य प्रदेश	05
7	महाराष्ट्र	15
8	मेघालय	02
9	ओडिशा	03
10	राजस्थान	06
11	तमिलनाडु	04
12	उत्तर प्रदेश	10
13	उत्तराखंड	02
14	पश्चिम बंगाल	1
कुल		**65**

6. बजट और व्ययः

वर्ष 2022–23 के दौरान विद्यापीठ को आयुष मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। विवरण इस प्रकार हैंः

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान मंत्रालय को वापस किया	वर्ष के दौरान मंत्रालय से प्राप्त किया	आंतरिक प्राप्तियाँ	कुल	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	अप्रयुक्त शेष
1	2	3	4	5	6 = 2+4+5–3	7	8 = 6–7
सामान्य	22.82	22.82	1880	2.42	1882.42	1784.00	98.42
वेतन	0.78	0.78	100	0	100	96.89	3.11
एसएपी	1.10	1.10	2	0	2	0.77	1.23
पूंजी	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**24.70**	**24.70**	**1982**	**2.42**	**1984.42**	**1881.66**	**102.76**

इस प्रकार, विद्यापीठ के पास 31 मार्च, 2023 को ₹102.76 लाख रुपये की अप्रयुक्त शेष राशि था और जीआईए पर अर्जित ब्याज ₹2.75 लाख रुपये था, जो कुल ₹ 105.51 लाख रुपये था, जिसे 2023–24 के दौरान मंत्रालय को वापस कर दिया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विद्यापीठ को अन्य निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त हुआ। विवरण इस प्रकार हैं–

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान मंत्रालय को वापस किया	वर्ष के दौरान मंत्रालय से प्राप्त किया	कुल	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	अप्रयुक्त शेष
1	2	3	4	5=2+4–3	6	7=5–6
सीएमई	5.51	5.22	0	0.29	0.29	0
सीएमई–आरएसबीके	62.37	0	0	62.37	6.21	56.16
सीएसएसएस	68.60	1.58	0	67.02	9.96	57.06
आयुष टॉक	5.14	2.72	0	2.42	2.42	0
कुल	**141.62**	**9.52**	**0**	**132.10**	**18.88**	**113.22**

7. पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम–1971 की धारा 20 (1) के अधीन, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (विद्यापीठ) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार संलग्न की गई उस वर्ष की तिथि को समाप्त किए गए तुलऩपत्र और आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा कर ली है। यह लेखापरीक्षा 2025–26 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। यह वित्तीय विवरण राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है, जो की हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है ।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में वर्गीकरण, अभिपुष्टि संबंधित सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों तथा प्रकटीकरण करने वाले मानकों इत्यादि के संबंध में लेखा–अभिक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की

टिप्पणियां मौजूद हैं। कानून, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने, अपनी लेखापरीक्षा को भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन इस तरह से करें, कि यह उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय विवरण मूर्त (वर्णीकृत) गलत विवरणों से स्वतंत्र हैं। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई धनराशि एवं प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच एक परीक्षण के आधार पर करना शामिल होता है। एक लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों एवं किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का आंकलन करना और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हम विश्वास करते है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है ।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह भी सूचित करते हैं कि:

(i) हमने वह सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए थे, जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में शामिल किए गये तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखे एवं प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किये गए हैं।

(iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा लेखा–बहियों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा ऐसी बहियों का जांच करने से पता चलता है ।

(iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :–

अ. सामान्य

अ.1 विद्यापीठ ने आईसीएआई के लेखा मानक 15 के तहत यथापेक्षित बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान नहीं किया था।

ब. सहायता अनुदान

वर्ष 2022–23 के दौरान विद्यापीठ को आयुष मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। विवरण इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान मंत्रालय को वापस किया	वर्ष के दौरान मंत्रालय से प्राप्त किया	आंतरिक प्राप्तियाँ	कुल	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	अप्रयुक्त शेष
1	2	3	4	5	6= 2+4+5–3	7	8=6–7
सामान्य	22.82	22.82	1880	2.42	1882.42	1784.00	98.42
वेतन	0.78	0.78	100	0	100	96.89	3.11
एसएपी	1.10	1.10	2	0	2	0.77	1.23
पूंजी	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**24.70**	**24.70**	**1982**	**2.42**	**1984.42**	**1881.66**	**102.76**

इस प्रकार, विद्यापीठ के पास 31 मार्च, 2023 को ₹102.76 लाख रुपये की अप्रयुक्त शेष राशि था और जीआईए पर अर्जित ब्याज ₹2.75 लाख रुपये था, जो कुल ₹105.51 लाख रुपये था, जिसे 2023–24 के दौरान मंत्रालय को वापस कर दिया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विद्यापीठ को अन्य निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त हुआ। विवरण इस प्रकार हैं–

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान मंत्रालय को वापस किया	वर्ष के दौरान मंत्रालय से प्राप्त किया	कुल	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	अप्रयुक्त शेष
1	2	3	4	5=2+4–3	6	7=5–6
सीएमई	5.51	5.22	0	0.29	0.29	0
सीएमई–आरएसबीके	62.37	0	0	62.37	6.21	56.16
सीएसएसएस	68.60	1.58	0	67.02	9.96	57.06
आयुष टॉक	5.14	2.72	0	2.42	2.42	0
कुल	**141.62**	**9.52**	**0**	**132.10**	**18.88**	**113.22**

स. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें विद्यापीठ के प्रबंधन के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी किया गया है।

v. पूर्ववर्ती परिच्छेदों में हमारे निरीक्षणों के अध्यधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल किये गए तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।

vi. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबन्ध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सही और सत्य स्थिति दर्शाते हैं।

(क) जहां तक इसका सम्बन्ध है यह 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के कार्यों से सम्बन्धित तुलनपत्र से हैः और

(ख) जहां तक इसका संबंध है उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष की आय एवं व्यय से है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(राजीव कुमार पाण्डेय)
लेखा परीक्षा महानिदेशक
(केंद्रीय व्यय)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.10.2023

अनुलग्नक

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तताः

विद्यापीठ में आंतरिक लेख परीक्षा विंग स्थापित नहीं है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की आंतरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015–16 तक किया गया है।

(2) आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताः

आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा आपत्तियों के लिए प्रबंधकों का उत्तर प्रभावी नहीं था, क्योंकि 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वर्ष मार्च, 2016 तक आंतरिक लेखा परीक्षा के 15 और 7 बाह्या लेखापरीक्षा पैराग्राफ बकाया थे।

(3) अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणालीः

अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन 31.03.2023 तक किया गया था।

(4) स्टॉकों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणालीः

पुस्तकों एवं प्रकाशनों, लेखन सामग्री और उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन 31.03.2023 तक किया गया था।

(5) सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितताः

दिनांक 31–3–2023 की स्थिति के अनुसार कोई भी सांविधिक देय छः माह से अधिक समय से बकाया नहीं था।

अस्वीकरण

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

धनराशि (रु)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र/पूंजीगत निधि एवं देयताएं			
समग्र /पूंजीगत निधि	1	57,94,238.00	57,67,527.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	2	1,53,33,115.00	1,13,44,042.00
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर–जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	7	4,21,10,404.00	3,61,75,245.00
कुल		**6,32,37,757.00**	**5,32,86,814.00**
परिसम्पत्तियाँ			
अचल परिसम्पतियाँ	8	13,92,442.00	16,07,404.00
निवेश–उद्दिष्ट/अक्षय निधि से	9	-	-
निवेश–अन्य	10	1,75,32,782.00	1,45,50,369.00
वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	4,43,12,533.00	3,71,29,041.00
विविध–व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		-	-
कुल		**6,32,37,757.00**	**5,32,86,814.00**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 24

आकस्मिक दायित्व व लेखा सम्बन्धी टिप्पणियाँ 25

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08–05–2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

धनराशि (रु.)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
बिक्री /सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	13	9,00,26,017.00	14,83,99,149.00
शुल्क/अंशदान	14	32,89,446.00	34,08,727.00
निवेश से आय (उद्दिष्ट/अक्षय निधि पर निवेश करने से आय। निधियों का निधियों में अन्तरण)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से होने वाली आय	16	10,93,488.00	9,26,808.00
अर्जित ब्याज	17	10,006.00	14,507.00
अन्य आय	18	4,06,513.00	4,208.00
तैयार माल के भण्डार और चालू कार्य में वृद्धि/ह्रास	19	-5,68,707.00	-5,25,294.00
कुल (क)		19,42,56,763.00	15,22,28,105.00
घटाएः मूल्यह्रास के कारण आंतरिक सृजन को जीआईए सामान्य में हस्तांतरित		2,41,673.00	2,64,165.00
कुल (क) ब्याज आय के हस्तांतरण के बाद		19,42,56,763.00	15,19,63,940.00
व्यय			
स्थापना व्यय	20	15,49,43,217.00	12,77,79,382.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	3,48,41,127.00	2,03,55,602.00
अनुदान, आर्थिक सहायता पर खर्च	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त में शुद्ध जोड़ अनुसूची 8 के तद्नुरूप)		2,41,673.00	2,64,165.00
कुल (ख)		19,00,26,017.00	14,83,99,149.00
खर्च की तुलना में आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख)		39,89,073.00	35,64,791.00
विशेष आरक्षित निधि में अन्तरित (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित निधि में/उससे अन्तरण			
अधिशेष/(घाटे) से बचे शेष को समग्र/पूंजीगतनिधि में अग्रेनीत किया गया		39,89,073.00	35,64,791.00

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 24

आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ 25

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08–05–2023

तुलनपत्र के लिए अनुसूचियाँ :

धनराशि (रु.)

अनुसूची–1– समग्र / पूंजीगतनिधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	57,67,527.00		48 05,086.00	
जोड़ें– समग्र / पूंजीगतनिधि के लिए अंशदान	26,711.00	57,94,238.00	9,62,441.00	57,67,527.00
वर्ष के अन्त में शेष		**57,94,238.00**		**57,67,527.00**

अनुसूची–2 आरक्षित और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
सामान्य आरक्षित निधि (खर्च की तुलना में आय की अधिकता)				
पिछले खाते के अनुसार	1,13,44,042.00		59,05,240.00	
जोड़ें:–प्रारंभिक स्टॉक का ऊपर की ओर सुधार	-		18,74,011.00	
जोड़ें:–वर्ष के दौरान जोड़ा गया	39,89,073.00	1,53,33,115.00	35,64,791.00	1,13,44,042.00
कुल		**1,53,33,115.00**		**1,13,44,042.00**

	निधि अनुसार ब्यौरा		कुल	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची–3–निर्धारित / बन्दोबस्ती निधियाँ				
क) निधियों का प्रारम्भिक शेष	-		-	
ख) निधियों के लिए अतिरिक्त	-		-	
i) दान / अनुदान				
ii) निधियों से किए गए निवेश से आय				
iii) अन्य परिवर्धन				
कुल (क + ख)		-		-
i) पूँजीगत व्यय	-		-	
– अचल परिसम्पत्ति				
– अन्य				
कुल				

ii) राजस्व व्यय – वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि – किराया – अन्य प्रशासनिक व्यय **कुल**	-		-	
कुल (ग)		-		-
वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार शुद्ध शेषः– (क+ख+ग)				

टिप्पणियाँ

1. अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को पृथक निधियों के रूप में दिखाया जाना है और उसे किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना है।

अनुसूची–4–प्रतिभूति सहित ऋण एवं उधार	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. केन्द्रीय सरकार	-		-	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-		-	
3. वित्तीय संस्थाएं	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
(ख) ब्याज उपार्जित एवं देय				
4. बैंक	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
– उपार्जित ब्याज एवं देयता				
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				
– उपार्जित ब्याज एवं देयता				
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ	-		-	
6. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	-		-	
7. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–5 प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार	-		-	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-		-	
3. वित्तीय संस्थाएं	-		-	
4. बैंक	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ	-		-	
6. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	-		-	
7. सावधि जमा	-		-	
8. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–6 आस्थगित ऋण दायित्वताएं	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) पूँजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसम्पत्तियों को दृष्टिबंधक रखकर रक्षित स्वीकृतियां	-		-	
(ख) अन्य	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–7 मौजूदा दायित्वताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) मौजूदा दायित्वताएं				
1. सांविधिक दायित्वताएं				
(क) भविष्य निधि में अंशदान				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,03,75,297.00		87,02,684.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	19,39,528.00		17,35,590.00	
घटाएं –वर्ष के दौरान आहरण	76,300.00	1,22,38,525.00	62,977.00	1,03,75,297.00
2. अन्य मौजूदा दायित्वताएं				
– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सामान्य)	98,41,557.00		22,81,636.00	
– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए वेतन)	3,11,086.00		77,641.00	
– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए स्वच्छ भारत अभियान)	1,23,435.00		1,10,651.00	
– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सीएमई)	-		5,51,562.00	

– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सीएमई आरएसबीके)	56,16,069.00		62,36,898.00	
– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सीएसएसएस)	-		68,60,186.00	
– अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए आयुष टॉक)	-		5,14,000.00	
– समग्र निधियाँ (सेवानिवृत्ति)	66,80,180.00		55,14,328.00	
– बयाना धनराशि	41,000.00		46,102.00	
– अन्य प्रभार शीर्ष	3,73,059.00		6,58,062.00	
– आयुष मंत्रालय को वापस किया जाने वाले 7वें सीपीसी का प्रभाव	57,06,450.00		11,61,057.00	
– व्यय देय	1,51,789.00		-	
– आयुष मंत्रालय को वापस किया जाने वाले जीआईए पर अर्जित ब्याज	2,75,302.00	2,91,19,927.00	6,21,973.00	2,46,34,096.00
कुल (क)		**4,13,58,452.00**		**3,50,09,393.00**
(ख) प्रावधान	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. ग्रेच्युटी	5,37,443.00		6,69,412.00	
2. संचित अवकाश भुगतान	2,14,509.00	7,51,952.00	4,96,440.00	11,65,852.00
		7,51,952.00	-	11,65,852.00
कुल (ख)		**11,65,852.00**		**11,65,852.00**
कुल (क +ख)		**4,21,10,404.00**		**3,61,75,245.00**

अनुसूची–8 : अचल सम्पत्ति वित्तीय वर्ष –2022–23

धनराषि (रु.)

विवरण	मूल्यह्रास दर	सकल सम्पत्तियां					मूल्यह्रास				शुद्ध कुल सम्पत्तियाँ	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वृद्धि (30.09. 2022 तक)	वृद्धि (30.09.2022 के बाद)	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अन्त तक कुल	चालू वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार	पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार
क) अचल परिसम्पत्ति												
1. संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	15%	9,899.08	-	-		9,899.08	5,440.44	669.00		6,109.44	**3,790.00**	**4,459.00**
2. फर्नीचर एवं फिक्सर	10%	12,82,379.82	-	-		12,87,379.82	6,13,918.53	67,346.00		6,81,264.53	**6,06,115.00**	**6,73,461.00**
3. कार्यालय उपकरण	15%	12,77,277.97	-	13,559.00		12,90,836.97	7,74,388.94	76,450.00		8,50,838.94	**4,39,998.00**	**5,02,889.00**
4. कम्प्यूटर एवं उससे सम्बद्ध उपकरण	40%	5,38,153	8,390.00	-		5,46,543.00	4,41,106.13	42,175.00		4,83,281.13	**63,263.00**	**97,048.00**
5. पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	4,10,970.09	4,762.00	-		4,15,732.09	3,96,185.46	7,819.00		4,04,004.46	**11,728.00**	**14,785.00**
6. वायु–शीतलन उपकरण	15%	4,78,600.40	-	-		4,78,600.40	1,69,593.40	46,351.00		2,15,944.40	**2,62,656.00**	**3,09,007.00**
7. विद्युत उपकरण	15%	16,499.00	-	-		16,499.00	0,743.37	863.00		11,606.37	**4,892.00**	**,755.00**
चालू वर्ष का योग		**40,18,779.36**	**13,152.00**	**13,559.00**	**0.00**	**40,45,490.36**	**24,11,376.27**	**2,41,673.00**	**0.00**	**26,53,049.27**	**13,92,442.00**	**16,07,404.00**
पिछला वर्ष		**30,56,338.36**	**5,56,596.00**	**4,05,845.00**	**0.00**	**40,18,779.36**	**21,47,211.28**	**2,64,165.00**	0.00	**24,11,376.27**	**16,07,404.00**	**9,09,128.00**
ख) पूँजीगत चालू कार्य												
कुल		**40,18,779.36**	**13,152.00**	**13,559.00**	**-**	**40,45,490.36**	**24,11,376.27**	**2,41,673.00**		**26,53,049.27**	**13,92,442.00**	**16,07,404.00**

अतिरिक्त अचल परिसम्पत्ति का विवरण

	क्रय करने की तारीख	उपयोग करने की तारीख	धनराशि (रु. में)
कार्यालय उपकरण	**28.10.2022**	**28.10.2022**	**5620.00**
	16.11.2022	**16.11.2022**	**2124.00**
	23.12.2022	**23.12.2022**	**1770.00**
	11.02.2023	**11.02.2023**	**4045.00**
कम्प्यूटर एवं उससे सम्बद्ध उपकरण	**13.06.2022**	**13.06.2022**	**8390.00**
पुस्तकालय की पुस्तकें	**14.09.2022**	**14.09.2022**	**4762.00**

अनुसूची–9 निर्धारित/बन्दोबस्ती निधियों से किए गए निवेश	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ में	-		-	
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ में	-		-	
3. शेयरों में	-		-	
4. ऋण पत्रों एवं बंध पत्रों में	-		-	
5. सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में	-		-	
6. अन्य (विनिर्दिष्ट की जानी है)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–10 निवेष – अन्य	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सावधि जमा				
– अंशदायी भविष्य निधि	1,04,01,605.00		96,56,650.00	
– समग्र निधि (सेवानिवृत्ति)	71,31,177.00	1,75,32,782.00	48,93,719.00	1,45,50,369.00
कुल		**1,75,32,782.00**		**1,45,50,369.00**

अनुसूची–11 मौजूदा परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. मौजूदा परिसम्पत्तियाँ,				
1. माल सूचियाँ				
– आयुर्वेदिक, संगोष्ठी और कार्यशाला पुस्तकें	13,07,003.00	13,07,003.00	18,75,710.00	18,75,710.00
2. हस्तगत नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	-		-	
3. बैंक शेषः				
– एसबीआई जीआईए सामान्य	57,40,049.00		51,89,908.00	
– एसबीआई अंशदायी भविष्य निधि	18,36,920.00		7,18,647.00	
– एसबीआई समग्र निधि	3,00,955.00		17,86,461.00	
– एसबीआई अन्य शुल्क–आरओटीपी	3,73,059.00		6,58,062.00	
– एसबीआई जीआईए सीएसएसएस	-		40,00,000.00	
– आईसीआईसीआई जीआईए सामान्य	2,27,55,539.00		1,23,61,875.00	
– आईसीआईसीआई जीआईए वेतन	3,11,086.00		77,642.00	
– आईसीआईसीआई जीआईए सीएमई	-		5,51,562.00	
– आईसीआईसीआई जीआईए आयुष टॉक	-		5,14,000.00	
– आईसीआईसीआई जीआईए सीएमई	56,16,069.00		62,36,898.00	

आरएसबीके				
– आईसीआईसीआई जीआईए सीएसएसएस	-		28,60,186.00	
– आईसीआईसीआई जीआईए स्वच्छ भारत अभियान	1,23,435.00	3,70,57,112.00	1,10,651.00	3,50,65,892.00
कुल (क)		**3,83,64,115.00**		**3,69,41,602.00**
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ				
1. नकद/अन्य प्रकार से वसूल किए जाने योग्य अग्रिम एवं अन्य धनराशियाँ				
– श्री एम.आर.गिरी से वसूली जाने वाली धनराशि	44,390.00		44,390.00	
– मोटर साइकिल अग्रिम	62,590.00		60,061.00	
– आकस्मिक अग्रिम	60,000.00		8,000.00	
– प्रतिभूति जमा – विज्ञान भवन	74,538.00		74,538.00	
		59,47,968.00		1,86,989.00
– त्योहार अग्रिम				
– पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार	450.00		450.00	
– घटाएं : वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि	-	450.00	-	450.00
कुल (ख)		**59,48,418.00**		**1,87,439.00**
कुल (क +ख)		**4,43,12,533.00**		**3,71,29,041.00**

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

धनराशि (रु.)

अनुसूची–12 बिक्री से आय	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
बिक्री	**-**		**-**	
कुल		**-**		**-**
अनुसूची–13 अनुदान/आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
(अटल अनुदान एवं प्राप्त आर्थिक सहायता(सब्सिडी)				
1. केन्द्रीय सरकार–				

जीआईए सामान्य				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	22,81,636.00		11,79,575.00	
जोड़ें–चालू वर्ष का आन्तरिक सृजन से मूल्यह्रास की ओर हस्तांतरित धनराशि	2,41,673.00		2,64,165.00	
जोड़ें–सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	18,80,00,000.00		14,00,00,000.00	
कुल सहायता अनुदान	19,05,23,309.00		14,14,43,740.00	
घटाएं – अनुदान पूंजीकृत	26,711.00		9,62,441.00	
	19,04,96,598.00		14,04,81,299.00	
घटाएं – आयुष मंत्रालय को वापस किए गए अप्रयुक्त अनुदान को खोलना।	22,81,636.00		11,79,575.00	
घटाएं – अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	98,41,557.00	17,83,73,405.00	22,81,636.00	13,70,20,088.00
जीआईए वेतन				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	77,641.00		6,84,820.00	
सरकार से प्राप्त अनुदान	1,00,00,000.00		1,00,00,000.00	
कुल सहायता अनुदान	1,00,77,641.00		1,06,84,820.00	
घटाएं – आयुष मंत्रालय को वापस किए गए अप्रयुक्त अनुदान को खोलना।	77,642.00		6,84,821.00	
घटाएं – अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	3,11,086.00	96,88,913.00	77,641.00	99,22,358.00
जीआईए सीएमई				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	5,51,562.00		6,00,000.00	
सरकार से प्राप्त अनुदान	-		-	
कुल सहायता अनुदान	5,51,562.00		6,00,000.00	
घटाएं – अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	5,22,662.00	28,900.00	5,51,562.00	48,438.00
<u>जीआईए सामान्य – स्वच्छ भारत अभियान</u>				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	1,10,651.00		1,83,602.00	
सरकार से प्राप्त अनुदान	2,00,000.00		2,00,000.00	
कुल सहायता अनुदान	3,10,651.00		3,83,602.00	
घटाएं – आयुष मंत्रालय को वापस किए गए प्रारंभिक अप्रयुक्त अनुदान।	1,10,651.00		1,83,602.00	
घटाएं – अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र	1,23,435.00	76,565.00	1,10,651.00	89,349.00

में लाया गया।				
जीआईए पूँजी				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	-		10,00,000.00	
सरकार से प्राप्त अनुदान	-		-	
कुल सहायता अनुदान	-		10,00,000.00	
घटाएं – आयुष मंत्रालय को वापस किए जाने वाला अप्रयुक्त अनुदान।	-	-	10,00,000.00	-
जीआईए सीएमई – आरएसबीके				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	62,36,898.00		45,67,000.00	
सरकार से प्राप्त अनुदान	-		19,13,000.00	
कुल सहायता अनुदान	62,36,898.00		64,80,000.00	
घटाएं – अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	56,16,069.00	6,20,829.00	62,36,898.00	2,43,102.00
जीआईए अन्य अनुदान – सीएसएसएस				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	68,60,186.00		37,00,000.00	
सरकार से प्राप्त अनुदान	-		40,00,000.00	
कुल सहायता अनुदान	68,60,186.00		77,00,000.00	
घटाएं – अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	1,58,231.00	9,95,505.00	68,60,186.00	8,39,814.00
	57,06,450.00			
जीआईए अन्य अनुदान – आयुष टॉक				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	5,14,000.00		-	
सरकार से प्राप्त अनुदान	-		7,50,000.00	
कुल सहायता अनुदान	5,14,000.00		7,50,000.00	
घटाएं – अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	2,72,100.00	2,41,900.00	5,14,000.00	2,36,000.00
कुल		**19,00,26,017.00**		**1,48,399,149.00**

अनुसूची–14–शुल्क/अंषदान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. पंजीकरण शुल्क	-		13,500	
2. आवेदन शुल्क* (पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से प्राप्त)	32,89,446.00	32,89,446.00	33,95,227.00	34,08,727.00
कुल		**32,89,446.00**		**34,08,727.00**

' आवेदन शुल्क की कुल आय रुपये 33,68,812/– में से रुपये 79,366/– चरक आयतनम प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उपयोग किया गया।

अनुसूची–15 निवेष से आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(उद्दिष्ट/बन्दोबस्ती निधियों के निवेश से निधि में आय का अन्तरण)				
1. ब्याज	-		-	
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बंध पत्रों (बाण्डों)/ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर				
2. लाभांश	-		-	
क) शेयरों पर				
ख) म्युचुअल फण्ड सिक्युरिटीज पर				
3. किराया	-		-	
4. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–16–रॉयल्टी, प्रकाशन से आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. रॉयल्टी से आय	-		-	
2. प्रकाशन से आय	10,93,488.00		9,26,808.00	
3. अन्य – डाक से आय	-	10,93,488.00	-	9,26,808.00
कुल		**10,93,488.00**		**9,26,808.00**

अनुसूची–17–अर्जित ब्याज	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बजट खातों एवं सावधि जमाओं पर :				
(क).अनुसूचित बैंकों में–भारतीय स्टेट बैंक**	-		-	
(ख). सावधि जमाओं पर ब्याज***	-	-	-	-
2. अन्य प्राप्तियों पर				
(क) शिक्षावृत्ति	7,477.00		11,978.00	
(ख) मोटर साइकिल अग्रिम	2,529.00	10,006.00	2,529.00	14,507.00
कुल		**10,006.00**		**14,507.00**

**जीआईए सामान्य रुपये 2,75,302/– का अर्जित ब्याज अनुसूची 7, वर्तमान देनदारियों के तहत

आयुष मंत्रालय के प्रति देयता के रूप में माना जाता है।

***कॉपर्स सावधि जमा पर अर्जित ब्याज रुपये 4,87,458/– सेवानिवृत्ति लाभों के लिए समायोजित किया गया।

अनुसूची–18–अन्य आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) वेतन/शिक्षावृत्ति की वसूली	4,05,465.00		-	
(ख) स्क्रैप की बिक्री	1,035.00			
(ग) विविध आय	13.00	4,06,513.00	4,208.00	4,208.00
कुल		**4,06,513.00**		**4,208.00**

अनुसूची–19–तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) आयुर्वेदिक, संगोष्ठी और कार्यशाला पुस्तकों के भण्डार का समापन।	13,07,003.00		18,75,710.00	
घटाएं– प्रारंभिक भण्डार का ऊपर की ओर शुद्धिकरण	-		18,74,011.00	
(ख) घटाएं– आयुर्वेदिक पुस्तकों का प्रारंभिक भण्डार।	18,75,710.00	-5,68,707.00	5,26,993.00	-5,25,294.00
शुद्ध वृद्धि/ (कमी) {क–ख}		**-5,68,707.00**		**-5,25,294.00**

अनुसूची–20–स्थापना व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
जीआईए सामान्य				
(क) मजदूरी	50,85,588.00		36,26,733.00	
(ख) वजीफा/शिक्षावृत्ति				
– शिष्यों को शिक्षावृत्ति	9,91,23,617.00		7,69,16,516.00	
(ग) व्यावसायिक सेवाएं				
– गुरुजनों को मानदेय	4,07,03,649.00		3,71,99,315.00	
– लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/व्यावसायिक शुल्क	3,41,450.00	14,52,54,304.00	1,14,460.00	11,78,57,024.00
जीआईए वेतन				
(क) वेतन				
– वेतन व्यय	94,24,419.00		87,94,167.00	
– अन्य भत्ते	-		7,945.00	
– कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ****	2,64,494.00	96,88,913.00	11,20,246.00	99,22,358.00
कुल		**15,49,43,217.00**		**12,77,79,382.00**

**** कुल सेवानिवृत्ति लाभ व्यय रुपये 7,51,952/– में से, रुपये 4,87,458/– आतंरिक सृजन से समायोजित (अर्थात् कॉपर्स सावधि जमा पर व्याज)।

अनुसूची–21: अन्य प्रषासनिक व्यय इत्यादि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
जीआईए सामान्य				
(क) कार्यालय व्यय				
– बैंक प्रभार	102.00		1,687.00	
– विविध व्यय	3,47,022.00		2,84,266.00	
– चिकित्सा व्यय	2,392.00		2,85,494.00	
– मरम्मत और रखरखाव	1,48,608.00		1,75,639.00	
– समाचारपत्र एवं पत्र–पत्रिकाएं	8,588.00		25,407.00	
– विद्युत एवं ऊर्जा	4,02,150.00		2,95,650.00	
– जल प्रभार	18,703.00		30,871.00	
– डाक प्रभार	3,016.00		6,005.00	
– दूरभाष एवं संचार प्रभार	79,732.00		61,198.00	
– किराया, दर एवं कर	17,80,986.00		-	
(ख) प्रकाशन				
– स्वीकृत छूट	3,56,794.00		2,93,306.00	
– मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5,52,137.00		5,15,222.00	
(ग) घरेलू यात्रा				
– यात्रा एवं वाहन व्यय	43,56,823.00		18,45,894.00	
(घ) विदेश यात्रा				
– यात्रा और वाहन व्यय	-		-	
(ड.) अन्य प्रशासनिक व्यय				
– शोध प्रबन्ध एवं परीक्षा पारिश्रमिक / बैठक–प्रभार / मानदेय / बैठक शुल्क	5,36,167.00		6,29,771.00	
– प्रत्यायन	55,23,782.00		41,67,463.00	
– सूचना प्रौद्योगिकी	1,54,458.00		2,47,381.00	
– दीक्षांत व्यय / सम्मेलन व्यय	41,97,473.00		40,04,298.00	
– सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधि	1,88,159.00		40,03,331.00	
– विश्व आयुर्वेद कांग्रेस	37,10,239.00		-	
– जीएआईआईएस	15,45,625.00		-	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम	44,93,500.00		11,45,036.00	
– ज्ञान गंगा कार्यक्रम	99,866.00		-	
– पद्म पुरस्कार विजेताओं का सम्मान	2,28,732		-	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम–सीसीआरएएस	34,47,225.00		-	
(च) विज्ञापन एवं प्रचार				
– विज्ञापन व्यय	6,95,149.00	3,28,77,428.00	8,80,980.00	1,88,98,899.00
जीआईए सामान्य–स्वच्छ भारत अभियान				
– स्वच्छ भारत अभियान	76,565.00	76,565.00	89,349.00	89,349.00
(ज) जीआईए सामान्य–अन्य योजनाएं				
– जीआईए आयुष टॉक	2,41,900.00		2,36,000.00	
– जीआईए सीएमई	28,900.00		48,438.00	
– जीआईए सीएसएसएस	9,95,505.00		8,39,814.00	
– जीआईए आरएसबीके	6,20,829.00	18,87,134.00	2,43,102.00	13,67,354.00
कुल		**3,48,41,127.00**		**2,03,55,602.00**

अनुसूची–22: अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क) संस्था/संगठनों को दिया गया अनुदान	-		-	
ख) संस्था/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–23: ब्याज	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क) सावधि ऋणों पर	-		-	
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार को सम्मिलित करते हुए)	-		-	
कुल		-		-

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे

धनराशि (रु)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारम्भिक शेष			**1.व्यय**		
भारतीय स्टेट बैंक–सामान्य	51,89,908.00	37,29,293.00	क) स्थापना व्यय (अनुसूची–20)	15,46,78,723.00	12,66,59,136.00
भारतीय स्टेट बैंक–वेतन	-	6,84,821.00		3,46,89,338.00	2,03,55,602.00
भारतीय स्टेट बैंक सामान्य स्वच्छ भारत अभियान	6,58,062.00	1,83,602.00	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21)		
भारतीय स्टेट बैंक में कॉपर्स	17,86,461.00	41,109.00	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राप्त धनराषि से किया गया भुगतान**	-	-
भारतीय स्टेट बैंक अन्य व्यय	-	3,23,659.00			
भारतीय स्टेट बैंक सीएमई	-	6,00,000.00	**III. किए गए निवेष एवं जमा**		
भारतीय स्टेट बैंक जीआईए पूँजी	-	10,00,000.00	क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि में से	,	-
भारतीय स्टेट बैंक सीएमई आरएसबीके	-	45,67,000.00	ख) प्रतिभूति जमा	74,-.00	74,538.00
भारतीय स्टेट बैंक सीएसएसएस	40,00,000.00	37,00,000.00	**IV. अचल परिसम्पत्ति/पूँजीगत प्रगति पर व्यय**		
आईसीआईसीआई सामान्य	1,23,61,875.00	83,59,010.00	क) अचल सम्पत्ति का क्रय	26,711.00	9,62,441.00
आईसीआईसीआई वेतन	77,642.00	-	ख) पूँजीगत प्रगति पर व्यय	-	-
आईसीआईसीआई सीएमई	5,51,562.00	-	**V. अधिशेष धनराशि/ऋण की वापसी**		
आईसीआईसीआई आयुष टॉक	5,14,000.00	-	क) अनुदान की वापसी	34,22,922.00	30,47,998.00
आईसीआईसीआई सीएमई आरएसबीके	62,36,898.00	-	**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**		
आईसीआईसीआई सीएसएसएस	28,60,186.00	-	**VII. अन्य भुगतान**		
आईसीआईसीआई सामान्य स्वच्छ भारत अभियान	1,10,651.00	-	क) आकस्मिक एवं अन्य अग्रिम	31,78,061.00	31,78,061.00
II.प्राप्त अनुदान – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			ख) अन्य प्रभार शीर्ष	20,86,858.00	20,86,858.00
			ग) मंत्रालय को वापस किया गया बचत खाता पर ब्याज	6,92,162.00	6,92,162.00
क) सामान्य	18,00,00,000.00	14,00,00,000.00	घ) मंत्रालय को वापस किया गया कॉर्पस सावधि जमा पर ब्याज	1,68,658.00	1,68,658.00
ख) वेतन	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00	ड़) मंत्रालय को वापस किया गया अन्य व्यय बचत खाता पर ब्याज	78,739.00	78,739.00
ग) स्वच्छ भारत अभियान	2,00,000.00	2,00,000.00	च) मंत्रालय को वापस किया गया–7वां सीपीसी प्रभाव	11,45,000.00	11,45,000.00
घ) आयुष टॉक	-	7,50,000.00	छ) ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण	-	-

ड़) जीआईए पूँजी	-	-			
च) सीएमई आरएसबीके	-	19,13,000.00			
छ) अन्य अनुदान – सीएसएसएस	-	40,00,000.00			
III.**निवेशों से आय**					
क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि में से	-	7,93,764.00			
ख) प्रतिभूति जमा	75,-.00	75,276.00			
IV.**प्राप्त ब्याज**			ज) भुगतान किया गया टीडीएस	54,12,782.00	54,12,782.00
क) बचत खाते से प्राप्त ब्याज	2,75,302.00	6,21,973.00	**अन्तिम शेष**		
ख) शिक्षावृत्ति वसूली से प्राप्त ब्याज	7,477.00	11,978.00	भारतीय स्टेट बैंक – सामान्य	57,40,049.00	51,89,908.00
ग) अन्य प्रभार से ब्याज सीएमई	-	-	भारतीय स्टेट बैंक में कॉपर्स	3,00,955.00	17,86,461.00
V. **अन्य आय**			भारतीय स्टेट बैंक वेतन	3,73,059.00	-
क) वेतन/शिक्षावृत्ति की वसूली	32,89,446.00	45,56,284.00	भारतीय स्टेट बैंक सामान्य स्वच्छ भारत अभियान	-	-
ख) विविध आय	10,93,488.00	9,26,808.00	भारतीय स्टेट बैंक अन्य व्यय	2,27,55,539.00	6,58,062.00
ग) आवेदन शुल्क	13.00	4,208.00	भारतीय स्टेट बैंक सीएमई	3,11,086.00	-
घ) पुस्तकों की बिक्री	4,05,465.00	-	भारतीय स्टेट बैंक जीआईए पूँजी	1,23,435.00	-
ड़) पंजीकरण शुल्क	1,035.00	-	भारतीय स्टेट बैंक सीएमई आरएसबीके	56,16,069.00	-
च) डाक आय	-	13,500.00	भारतीय स्टेट बैंक सीएसएसएस	-	40,00,000.00
VI.**अन्य प्राप्तियां**			आईसीआईसीआई सामान्य	-	1,23,61,875.00
क) बयाना राशि	16,000.00	22,102.00	आईसीआईसीआई वेतन	-	77,642.00
ख) आकस्मिक एवं अन्य अग्रिम	87,22,839.00	32,19,051.00	आईसीआईसीआई सीएमई	57,40,049.00	5,51,562.00
ग) अन्य प्रभार शीर्ष	25,10,000.00	25,00,000.00	आईसीआईसीआई आयुष टॉक	3,00,955.00	5,14,000.00
घ) एमएसीएओ से वसूली गयी अग्रिम	2,70,886.00	-	आईसीआईसीआई सीएमई आरएसबीके	3,73,059.00	62,36,898.00
ड़) भुगतान किया गया टीडीएस	72,94,341.00	54,12,782.00	आईसीआईसीआई सीएसएसएस	-	28,60,186.00
कुल	**25,64,33,537.00**	**19,82,09,220.00**	**कुल**	**25,64,33,537.00**	**19,82,09,220.00**

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08–05–2023

अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

धनराशि (रु)

दायित्व		धनराशि	परिसम्पतियाँ		धनराशि
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान (कर्मचारियों का)			**बैंक में शेष**		
पिछले वर्ष के अनुसार	61,54,247.00		सावधि जमा में		1,04,01,605.00
जोड़ें–वर्ष के दौरान	8,09,690.00		बचत खाते में		18,36,920.00
घटाएं–आहरण	70,000.00				
जोड़े–कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	4,62,764.00	73,56,701.00			
अंशदायी भविष्य निधि में योगदान (नियोक्ता का)					
पिछले वर्ष के अनुसार	42,21,050.00				
जोड़े–वर्ष के दौरान	3,67,830.00				
घटाएं–निकासियाँ	6,300.00				
जोड़ें–नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज	2,99,244.00	48,81,824.00			
कुल		**1,22,38,525.00**	**कुल**		**1,22,38,525.00**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय के लेखे

व्यय		धनराशि	आय		धनराशि
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	4,62,764.00		बैंक से ब्याज		13,717.00
नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	2,99,244.00	7,62,008.00	सावधि जमा पर ब्याज		44,955.00
बैंक शुल्क		4.72	ब्याज के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ का योगदान एवं अंशदान		10,64,870.72
नियोक्ता के योगदान		3,61,530.00			
कुल		**11,23,542.72**	**कुल**		**11,23,542.72**

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे

प्राप्तियाँ		धनराशि	भुगतान		धनराषि
प्रारम्भिक शेष					
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	61,54,247.00		अग्रिम – श्री राम नारायण		70,000.00
अंशदायी भविष्य निधि में योगदान	42,21,050.00	1,03,75,297.00	अतिशय योगदान – सुश्री दीपा सूद		6,300.00
कर्मचारियों का अंशदान/ वापसी	8,09,690.00				
नियोक्ता का योगदान	3,67,830.00	11,77,520.00	**बैंक में शेष**	73,56,701.00	
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	4,62,764.00		अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	48,81,824.00	1,22,38,525.00
नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	2,99,244.00	7,62,008.00	अंशदायी भविष्य निधि में योगदान		
कुल		**1,23,14,825.00**	**कुल**		**1,23,14,825.00**

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08–05–2023

अनुसूची –24 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जहाँ कहीं भी अन्यथा कहा गया और लेखा प्रणाली की प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. माल–सूची मूल्यांकन :

मालसूची बहियों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया गया है।

3. अचल परिसम्पत्तियाँ

i) अचल परिसम्पत्तियाँ, अधिग्रहण की लागत के अनुसार बताई गई हैं, जिनमें अधिग्रहण से संबंधित करों, भाड़े और प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया गया है।

ii) गैर–मौद्रिक अनुदानों के जरिए प्राप्त अचल परिसम्पत्तियों को सामान्य निधि के लिए तत्सम्बन्धी ऋण द्वारा बताए गये मूल्य पर पूँजीकृत किया गया है।

4. सरकारी अनुदान

अचल परिसम्पत्तियाँ की खरीद के संबंध में सरकारी अनुदान पूँजीकृत अनुदान के रूप में माने गए हैं।

5. राजस्व मान्यता

i) पुस्तकों की बिक्री में व्यापार संबंधी कटौती एवं छूट शामिल है।

ii) सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) पर प्राप्त ब्याज को लेखा बहियों में समायोजित नहीं किया गया है क्योंकि इनपर परिपक्वता अवधि में विचार किया जाता है।

6. मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की गई हैं।

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08–05–2023

अनुसूची –25 : आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ

1 चालू दायित्व

जीआईए सामान्य, जीआईए एसएपी, जीआईए वेतन, जीआईए सीएमई, जीआईए पूँजी, जीआईए सीएमई आरएसबीके, जीआईए सीएसएसएस और जीआईए आयुष टॉक के लिए अप्रयुक्त अनुदान को चालू दायित्व के रूप में दिखाया गया है।

2 चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम राशि

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम राशि का व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में वसूली संबंधी एक मूल्य होता है, जो कम से कम तुलनपत्र में दर्शायी गई कुल धनराशि के बराबर होता है।

3 जहाँ–कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के तत्सम्बन्धी आंकड़े पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किए गये हैं।

4 चालू वर्ष के आंकड़ों को रुपयों में पूर्णांकित किया गया है और अनुरूपता बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को 31–03–2022 तक लिया गया है।

5 अनुसूची 1 से 25 संलग्न कर दिये गए हैं और ये 31–03–2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखे का एक अभिन्न अंग हैं।

6 वित्तीय वर्ष 2011–12 से अचल संपत्तियों की मान्यता पद्धति को डब्लूडीवी पद्धति से बदल कर सकल ब्लॉक कर दिया गया है और डब्लूडीपी 31.03.2010 (मूल्यह्रास से पहले) को वित्तीय वर्ष 2011–12 में सकल ब्लॉक के रूप में माना गया है।

7 "अनुसूची 11" के तहत ऋण और अग्रिम, मोटर साइकिल अग्रिम के रूप में श्री संजय ठाकुर को रुपये 62,590/– की राशि का भुगतान किया गया। 2007–08 से मोटर साइकिल अग्रिम पर 10% की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। अग्रिम में रुपये 25,292/– की मूल धनराशि और उस पर रुपये 37,298/– का अर्जित ब्याज शामिल है। साथ ही, मामला

न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण त्योहार की अग्रिम राशि के रूप में रुपये 450/– की राशि भी उनसे वसूल की जाएगी।

8 "अनुसूची 11" के तहत ऋण और अग्रिम, रुपये 44,390/– की राशि श्री एम.आर. गिरि के वसूली योग्य है क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

9 "अनुसूची 11" के तहत ऋण और अग्रिम, चैंपियन सेक्टर योजना के तहत वेबसाइट विकास के लिए एनआईसीएसआई को रुपये 57,06,450/– की राशि का भुगतान किया गया और अगले साल काम पूरा करने के लिए एक्सटेंशन मिल गया है और उसे उस संबंधित वर्ष में पूंजीकृत किया जाएगा और कॉर्पस का हिस्स बनाया जाएगा।

10 वर्ष के दौरान, डाक आय रुपये 38,467/– को डाक खर्चों के खिलाफ समायोजित किया गया है।

11 चालू वर्ष से रुपये 4,87,458/– के कॉर्पस सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को समायोजित करने के बाद, रुपये 7,51,952/– के सेवानिवृत्ति लाभ व्यय को शेष राशि रुपये 2,64,494/– को सेवानिवृत्ति लाभ "अनुसूची 20" के तहत दिखाया गया है।

12 "अनुसूची 21" के अनुसार, अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय, विभिन्न परियोजनाओं (आहार, चरक आयतनम, प्रशिक्षण कार्यक्रम) के तहत विभिन्न राज्यों में हुआ।

13 राजस्व (अनुदान) को वास्तविक उपयोग किए गए अनुदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

14 चालू वर्ष के वित्तिय आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

15 देय व्यय में भवन किराया रुपये 1,28,218/–, टेलीफोन रुपये 1,691/–, विद्युत रुपये 19,380/– और जल व्यय रुपये 2,500/– शामिल हैं।

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08–05–2023

(From Left to Right) Dr. Kousthubha Upadhyaya, Adviser (Ay.) Ministry of Ayush & Director, RAV, Vaidya Devinder Triguna, President, Governing Body of RAV, Vaidya Pramod P. Sawant, Hon'ble Chief Minister, Goa and Member of Governing Body, RAV, Hon'ble Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Union Cabinet Minister, Ministry of Ayush & Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Shri Munjpara Mahendrabhai Kalubhai, Hon'ble Minister of State, Ministry of Ayush & Ministry of Women & Child Development, Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush and Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush Inaugurating the Convocation Function of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth by Singing The National Anthem Held on 16th March, 2023 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

(From Left to Right) Dr. Kousthubha Upadhyaya, Adviser (Ay.) Ministry of Ayush & Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Vaidya Devinder Triguna, President, Governing Body of RAV, Vaidya Pramod P. Sawant, Hon'ble Chief Minister, Goa and Member of Governing Body, RAV, Hon'ble Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Union Cabinet Minister, Ministry of Ayush & Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Shri Munjpara Mahendrabhai Kalubhai, Hon'ble Minister of State, Ministry of Ayush & Ministry of Women & Child Development, Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush and Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush Releasing The Souvenir of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth held on 16th March, 2023 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

(From Left to Right) Dr. Vandana Siroha, Taking the Charge of Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Dr. Kousthubha Upadhyaya, Adviser (Ay.) Ministry of Ayush & Director, RAV, Vaidya Devinder Triguna, President, Governing Body of RAV, Vaidya Pramod P. Sawant, Hon'ble Chief Minister, Goa and Member of Governing Body, RAV, Hon'ble Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Union Cabinet Minister, Ministry of Ayush & Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Shri Munjpara Mahendrabhai Kalubhai, Hon'ble Minister of State, Ministry of Ayush & Ministry of Women & Child Development, Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush and Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush Held on 16th March, 2023 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

Dr. Kousthubha Upadhyaya, Adviser (Ay.) Ministry of Ayush & Director, RAV Thanked and Took a Group Photo with all the RAV and Supporting Staff for Successful Conduction of 28th National Seminar, 26th Convocation and Shishyopanayaniya Programme of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth Held on 16th-17th March, 2023 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

CONTENT

S.No.	Subject	Page No.
(i)	**Preface**	87
1	**Introduction**	89
2	**Objectives of the Vidyapeeth**	89
3	**Committees**	90
	(i) Governing Body	90
	(ii) Standing Finance Committee	92
4	**Functions of the Vidyapeeth**	92
	(i) Guru Shishya Parampara	93
	(ii) Convocation	99
	(iii) Awards of Fellowship & Life Time Achievement	99
	(iv) Conferences/Seminars	100
	(v) Interactive Workshops	101
	(vi) Samhita Based Training Programme	102
	(vii) Training Programme on Research Methodology, Manuscript writing and Career opportunities	102
	(viii) Charak Ayatanam (6-days programme)	103
	(ix) Publications	103
	(x) Ayurveda Training Accreditation Board (ATAB)	103
5	**Technical Report** (Activities conducted during the year 2022-23)	104
	(i) Meetings	104
	(ii) Course of Guru Shishya Parampara	109

	(iii) Training Programme on Research Methodology, Manuscript writing and Career opportunities	122
	(iv) Charak Ayatanam (6-days programme)	123
	(v) Short term hand on Training on "Ready to Eat (RTE), Ayurveda Bakery Products, Food fortification based on Ayurveda"	124
	(vi) Three day training programme for Teachers, PhD Researchers & PG Scholars of Dravyaguna-Medicinal Plant Disciplines	125
	(vii) GYAN GANGA – A Knowledge Voyage – Weekly Webinar Series	125
	(viii) Publications/Sale of Books	127
	(ix) Ayurveda Training Accreditation Board (ATAB)	127
	(x) Other Activities	128
6	**Budget & Expenditure**	131
7	**Separate Audit Report**	132
8	**Accounts**	137
	(i) Balance Sheet as on 31-3-2023	137
	(ii) Income & Expenditure Account as on 31-3-2023	138
	(iii) Schedules forming part of Balance Sheet as on 31-3-2023	139
	(iv) Receipt & payments Account as on 31-3-2023	150
	(v) Contributory Provident Fund- Receipts & Payments Accounts, Income & Expenditure Accounts and Balance Sheet as on 31-3-2023	152
	(vi) Significant Accounting Policies	154
	(vii) Contingent Liabilities and Notes on Accounts	155

PREFACE

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV), an autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India was constituted in 1988 with an objective of revival of classical practical and textual knowledge of Ayurveda through ancient Gurukula method of learning. The targeted learners here are the fresh graduates and post graduates of Ayurveda still desirous of making themselves more proficient in classical Ayurvedic practices and principles. MRAV (Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) and CRAV (Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) are two such courses which have been started by RAV to fulfill the objectives of making Ayurvedic students more versed with classical, practical and textual knowledge. So far 1549 and 71 students have completed their CRAV and MRAV respectively. For the session 2022-23, 218 students are being trained under 83 Gurus under CRAV Course. Students receive practical training in various disciplines of Ayurveda under the guidance of RAV empanelled gurus of Ayurveda throughout the country.

For upgrading the skills of Ayurveda teachers in Ayurvedic classical methods of patient examination and subsequent treatment, RAV after perceiving the gap, has started a programme to train Ayurvedic teachers in classical diseases diagnostic methods. The focus here is on young faculties belonging to the clinical branches in order to make them proficient in such methods for its subsequent use in their clinical practice. So far, total 19 such diagnostic training programmes have been conducted at various places in the country till the year 2022-23.

During the year 2022-23, Vidyapeeth conducted its 26th Convocation along with regular activity of two days National Seminar. The Convocation addressed given by Vaidya Pramod P. Sawant, Hon'ble Chief Minister, Goa and Member of Governing Body, RAV. The occasion was also graced by Hon'ble Union Cabinet Minister, Ministry of Ayush & Ministry of Ports, Shipping and Waterways Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Minister of State, Ministry of Ayush & Ministry of Women & Child Development Shri Munjpara Mahendrabhai Kalubhai and Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush. This year, the seminar was conducted on "Usage of Trina Dhanya (Millets) in contemporary lifestyle". The seminar was attended by many distinguished authorities of Ayurveda. The event was marked by key note

addresses on various topics by eminent scholars of Ayurveda and research paper presentation by research scholars of Ayurveda. About 20 Research Papers have been presented in the seminar along with 03 Poster presentations. A souvenir containing full text of all the 23 papers was also released at the occasion.

RAV also functions as a nodal agency to the Central Sector Scheme for Continuing Medical Education (CME). During 2022-23, total GIA of ₹ 625.00 lakhs have been released for conducting/implementing the 65 CME programmes/projects along with reimbursement to eligible institutions.

RAV is also evolving many new mechanisms to strengthen its various activities of imparting training in Ayurveda. It is also continuously exploring gaps in existing system and the ways to fill these gaps. A regular monitoring of RAV activities is also being done through various feedback and midterm appraisal mechanisms. RAV is continuously striving to excel in its field. It is striving to emerge as a dedicated centre of excellence in the area of Ayurveda skill enhancement and capacity building in the country & globally through Education, Training, Research and Evaluation. RAV is taking many new initiatives in this direction which are supposed to produce tangible results in future. The Annual Report for the year 2022-23 on the activities and achievements of the Vidyapeeth along with the audit report is being presented.

(Dr. Vandana Siroha)
Director

INTRODUCTION

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV) is an autonomous organization under the Ministry of Ayush, Govt. of India. It is fully funded by the Government of India. It is registered with the Registrar, Societies, Delhi Administration under Societies Registration Act, 1860 vide 11th February 1988. It started functioning from the year 1991 at Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi -110 026.

The Vidyapeeth was established with the main aim to preserve and arrange transfer of Ayurvedic knowledge possessed by eminent Ayurvedic scholars and practitioners, to the younger generation through the Indian traditional Guru Shishya method of education and knowledge transfer. The principal objective is to make new generation Ayurveda scholars proficient in Ayurvedic classical texts and clinical practices.

2. THE OBJECTIVES OF THE VIDYAPEETH

1. To promote the knowledge of Ayurveda.
2. To formulate schemes for continuing education and conducting examinations for the purpose in various disciplines of Ayurveda.
3. To institute due recognition to successful candidates.
4. To recognize and encourage merit in various branches of Ayurveda.
5. To undertake academic work in Ayurveda of National & International importance.
6. To organize workshops and seminars in various branches of Ayurveda.
7. To maintain liaison with Professional Associations, Societies, Colleges and Universities for raising standards of Ayurvedic Education.
8. To secure and manage funds and endowments for the promotion of Ayurveda and implementation of continuing education in Ayurveda.
9. To conduct experiments of new methods of Ayurvedic education in order to arrive at satisfactory standards of education.

10. To institute professorships, other faculty position fellowships, research cadre positions and scholarships etc. for realizing the objectives of the Vidyapeeth, etc.

3. COMMITTEES

3.1. GOVERNING BODY

As per Memorandum of Association and orders of Government of India, the affairs of the Vidyapeeth are managed by its Governing Body consisting of 16 members including the President. The Governing Body (GB) was reconstituted by the Government of India as under for a period of five (5) years w.e.f. 20th February, 2019.

President of Governing Body

1. **Vaidya Devinder Triguna, (Padmabhusan Awardee)**
   30 – Sukhdev Vihar,
   New Delhi -110 025

Government of India Nominees (Ex-officio)

2. **Special Secretary (Ayush),**
   Ministry of Ayush,
   New Delhi

3. **Additional Secretary & FA,**
   Ministry of Health & F.W.,
   New Delhi

4. **Adviser (Ayurveda),**
   Ministry of Ayush,
   New Delhi

5. **Vice Chancellor,**
   Gujarat Ayurved University,
   Jamnagar (Gujarat)

Experts nominated by Government of India

6. **Vd. Pramod P. Sawant,**
   Hon'ble Chief Minister,
   Civil Secretariat
   Panaji (Goa)

7. **Dr. K.K. Aggarwal,**
   Jaipur (Rajasthan)

8. **Dr. Subhash Ranade,**
   Pune (Maharashtra)

9. **Vd. Varsha Deshpande,**
   Karad (Maharashtra)

10. **Vd. Rajesh Gupta,**
    Sawantwadi (Maharashtra)

Members nominated by All India Ayurveda Congress (AIAC)

11. **Vd. Rakesh Sharma**
    NCISM, New Delhi

12. **Vd. Dinanath Upadhyay,**
    Pune (Maharashtra)

13. **Vd. Govind Prasad Upadhyay,**
    Nagpur (Maharashtra)

One Member from Fellows of RAV

14. **Vd. Sadanand P. Sardeshmukh,**
    Pune (Maharashtra)

One Member from alumni of RAV

15. **Prof. Mohan Lal Jaiswal,**
    Jaipur (Rajasthan)

Member Secretary

16. **Director, RAV**

3.2. STANDING FINANCE COMMITTEE

The Ministry of Ayush reconstituted Standing Finance Committee (SFC) on 20th January, 2019 for 05 years, co-terminus with the tenure of the Governing Body. The composition of SFC is as follows:

1	**Special Secretary (Ayush),** Ministry of Ayush, Ayush Bhawan, 'B' Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110 023	Chairman (Ex-officio)
2	**Additional Secretary & FA or his representative,** Ministry of Health & F.W., Nirman Bhawan, New Delhi-110 011	Member (Ex-officio)
3	**Adviser (Ayurveda), Or Joint Adviser (Ayurveda), Or Deputy Adviser** Ministry of Ayush, Ayush Bhawan, 'B' Block, GPO Complex, INA, New Delhi- 110 023	Member (Ex-officio)
4	**Vd. Dinanath Upadhyay,** (A member of GB from experts) Pune (Maharashtra)	Member (Nominated)
5	**Vd. Varsha Deshpande,** (A member of GB from experts) Karad (Maharashtra)	Member (Nominated)
6	**Director,** Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi	Member Secretary

4. FUNCTIONS OF THE VIDYAPEETH

In furtherance of its objectives, the Vidyapeeth runs two types of courses under Guru Shishya Parampara viz. CRAV and MRAV. To run these

courses, it empanels eminent scholars of Ayurveda and Vaidyas as Gurus and select Shishyas having formal qualifications in Ayurveda desired for the courses. Besides this, Vidyapeeth also holds seminars/workshops, publishes literature and offers recognition/felicitation to the eminent scholars of Ayurveda. **The MRAV Course is temporarily not operational.**

4.1. GURU SHISHYA PARAMPARA

Guru Shishya Parampara is the traditional residential method of education wherein the Shishya lives in the vicinity of his Guru and undertakes the studies in a one to one manner by accompanying the guru in his regular routine clinical work. This system vanished with the disappearance of Gurukula. RAV realized that in Ayurveda, this method of knowledge transfer had been very effective and hence the Vidyapeeth is making efforts to revive this system through its courses.

In institutional form of learning only relevant portions of the Samhitas (classical texts of Ayurveda) are being taught in the form of syllabus. On the contrary, the Guru Shishya Parampara programme of RAV provides the students to study whole text to get adequate knowledge of selected Samhita and its Teeka (commentary) and exposes them traditional skills of the Ayurvedic practices. The Shishyas get sufficient time for interaction with the guru and get a live demonstration upon the patients, herbs or formulations during the course of the study.

4.1.1. COURSES:

(A) Acharya Guru Shishya Parampara (Two-year course of Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth-MRAV)

This is an academic programme based upon literary research imparting the knowledge of Ayurvedic Samhitas and commentaries to participants. The main aim of this course is to prepare good teachers, research scholars and experts in Ayurveda Samhitas. The Shishya studies the Samhita, related to his/her specialization in PG course under the guidance of the Guru for a period of 2 years. The Vidyapeeth started this course in 1992 with an objective of preparing the post graduate doctors as experts in classical texts of Ayurveda.

Candidates possessing adequate theoretical and practical knowledge and good understanding of Sanskrit are admitted to this course. At the end of the course, they are required to submit a dissertation which is regarded as a contribution of the Shishya. Though, the Shishya studies the entire Samhita (text) under the expert guidance of Guru, he/she writes dissertation only on prescribed chapters/topics as suggested by Vidyapeeth in consultation with respective Guru in order to avoid duplication of the same work.

(B) Chikitsak Guru Shishya Parampara (One-year course of Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth-CRAV)

This course was started in February, 1999. This course has the duration of one year for both Ayurvedic graduates and postgraduates. In this course, the candidates possessing Ayurvedacharya (BAMS) or equivalent degree/PG in Ayurveda are selected for training under eminent practicing Vaidyas, who are empanelled as Chikitsak/Institutional Gurus. During the course of study, the students learn the procedures like Nadi Pariksha, Aushadhi Nirman, Ksharsutra, Panchakarma, treatment of diseases, Netra Chikitsa, Asthi Chikitsa pertaining to the Ayurvedic system. Every month, the trainees are required to prepare record of the patients they studied for its subsequent submission to RAV. The work done by the Shishyas like patient history sheets, monthly study reports etc. is examined in Vidyapeeth. Suggestions for improvement are communicated to the Shishyas through their respective Gurus.

4.1.2. GURUS:

(A) Guru for Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (MRAV) course:

Scholars fulfilling the following criteria are appointed as Gurus-

A person is eligible to be appointed as Guru for MRAV course, who is a retired Professor of Ayurveda possessing PG or Ph.D qualification with good published recognized research work and excellent academic experience Or a retired Director of Research Institution of Ayurveda Or any other person of eminence in Ayurveda having held the post of departmental head of the State, Central/Autonomous organization and other office of repute with vast knowledge and adequate experience in academic or any specialty of Ayurveda Or eminent scholar of Ayurveda.

The Guru should be above 60 years of age, proficient in Sanskrit and in classical texts of Ayurveda. Further, he/she must have very special knowledge and skills to justify selection. In the subject of Dravyaguna, Rasa-Shastra, Bhaishjya Kalpana and other clinical subjects, the Gurus should have basic facility for demonstration or should have access to such facility/Institution in the near vicinity.

(B) Guru for Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV) course:

Eligibility criteria for Gurus (CRAV)

Following two eligibility criteria have been adopted for selection of CRAV Gurus:

1. Criteria for Individual Gurus.
2. Criteria for Institutional Gurus.

1. Criteria for Individual Gurus:

i. Ayurveda practitioners enrolled in any State Register of Indian Medicine under Section 17 of IMCC Act, 1970.

ii. Age not below 50 years.

iii. Having a minimum standing of 20 years of Ayurvedic general or specialized clinical practice in any clinical branch of Ayurveda.

iv. Shall not be employed at any place and in any position on regular basis. This condition is not barring the honorary positions other than employment.

v. Ayurveda practioners' aspirant to be a RAV Guru should have minimum OPD of 40 patients per day.

vi. In case of surgical practice besides OPD of 25 patients per day, the Vaidya must be performing at least 15 surgical/ para-surgical/ Ksharsutra/ Agni Karma procedures daily.

vii. In case of Ayurvedic Pharmacy, the Vaidya should have his own pharmacy with a minimum standing of 20 years.

viii. Willingness to train the young Ayurvedic doctors through a hands-on training method and to share their clinical knowledge and skills without any reservation.

ix. Gurus with or without IPD can be given upto 02 students and with occupancy of IPD of 20 beds and above can be given upto 04 students.

2. Criteria for Institutional Gurus (Institutional Training Centres):

i. Declared as Centre of Excellence by Ministry of Ayush.

ii. Ayurvedic hospital with at least 50 IPD beds and 200 OPD patients per day.

iii. The centre should have a minimum 10 years of standing.

iv. The centre should be of good repute and should be well known for its Ayurvedic management of various specialized conditions.

v. In case of a pharmacy, it should have a GMP certification, facility for drug quality monitoring and an R&D department.

vi. The institution authorities should be ready to give every access to CRAV students to all the places which are related to their clinical/ pharmacy training.

vii. Up to 08 students may be given to such institutions and the chief physician/doctor of the institution and/or other senior doctors will be in-charge of training of Shishya.

(C) Empanelment:

The selection of Guru of any course is done by a Search Committee comprising of experts nominated by the Governing Body or its President. The Committee scrutinizes bio-data of scholars and Vaidyas and selects the Guru after proper discussion on his/her competence and recommends to Governing Body for empanelment. After the approval of the Governing Body the letter of empanelment is sent to guru whenever vacancy arises after receiving his/her willingness for teacher-ship and adherence to rules of the Vidyapeeth and ascertaining that facilities for training are available with him/her. Selection of

Guru is purely on temporary basis for the period of one term i.e. one year in CRAV course and two years in MRAV course. The Governing Body or a Committee chaired by President, Governing Body reviews the work of Guru and accords extension whenever necessary. The appointment stands completed when there is no student under the Guru or when all the students under him/her have completed their studies/duration of study.

4.1.3. SHISHYAS:

The advertisement for admission to CRAV course was given in newspapers on all India basis, inviting applications from eligible candidates.

As per the rules of RAV, candidates with Ayurvedacharya (BAMS) or an equivalent degree are selected in CRAV course. The maximum age limit for admission in this course is 30 years for U.G. degree holders and 32 years for P.G. degree holders. Relaxation up to 35 years is given to permanently employed doctors duly sponsored by Government. The qualifications of candidates must have been recognized by CCIM.

After the scrutiny of the applications received, the eligible candidates are called for a written test. Various aspects of syllabus of graduate course with special emphasis on clinical subjects are covered in the written test based on objective questions. In the selection of the Shishya, the merit of the student, distance of 250 km (between Gurus and Students) and the preference of subject/Guru are taken into the consideration. Preference is given to Medical Officers in CRAV course.

The selected candidates are required to submit a Bond to the effect that in the event of the student leaving the course in the middle or if the student is expelled for violation of rules of the Vidyapeeth, the whole amount of stipend received from the Vidyapeeth shall be refunded with 12% interest thereon. On having completed the formalities, the Shishyas are placed under the tutelage of concerned Gurus located in different parts of the country for training.

4.1.4. Honorarium and Stipend:

There is a provision of payment of honorarium to Gurus and stipend to Shishyas during the training period every month. Each guru is given 2-4 students for training. The honorarium to Guru is ₹ 15,820/- only plus DA 6th CPC at the rates applicable from time to time plus ₹ 5,000/- upto two students.

If any Guru has more than two students, he/she shall be paid an extra honorarium at ₹ 2,000/- only per student. Similarly, the stipend for CRAV students is ₹ 15,820/- only plus DA 6th CPC at the rates applicable from time to time. For MRAV students the stipend is ₹ 15,820/- only plus DA 6th CPC at the applicable rates plus ₹ 2,500/- only.

4.1.5. Examination:

For the course of MRAV, the final examination is conducted at the end of 2 years in three parts:-

(a) Evaluation of thesis prepared by the Shishya

(b) Written examination of 03 hours duration

(c) Viva - voce.

The evaluation of thesis is done on approval/rejection basis. After the thesis is approved, the Shishya is examined by written examination and viva-voce. Having obtained satisfactory report in each of the three parts of examination the Shishya is declared to have completed his/her studies successfully for the award of Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth i.e. MRAV.

For the course of CRAV, the Shishya at the end of the study shall prepare a monograph of not more than 25 pages on summary of salient features of his/her learning viz. treatment of special diseases, medicines and special cases etc. and submit it to the Vidyapeeth one-month prior to the examination. They are also asked to submit a Special Case Report/Drug on some interesting case they have seen during their training period. The examination comprises of two parts:-

(a) Written examination of 03 hours duration

(b) Viva-voce.

The monograph, the case report and the monthly record sheets becomes the basis for written examination and viva-voce. An Internal Assessment of the student from his Guru for the period of his training is also asked. The candidate, who secures satisfactory report in Written and Viva-voce separately, is declared passed. Unsuccessful candidates are asked to report again to their guru for a

period of three months. After this period, they are required to appear in the examination again. No stipend is paid for this additional stay with Guru.

Successful students are awarded the certificates in the Convocation.

4.1.6. Achievements:

So far, 71 students in MRAV and 1549 students in CRAV have completed their courses.

4.2. CONVOCATION

In order to fulfill the objectives of the Vidyapeeth viz. to institute due recognition to successful candidates and to recognize and encourage merit in various branches of Ayurveda, the Vidyapeeth holds Convocation every year for awarding certificates to passing out students and to felicitate eminent scholars and Vaidyas with Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (FRAV) and Life Time Achievement Award for their significant contribution to the progress of Ayurveda.

4.3. AWARD OF FELLOWSHIP & LIFE TIME ACHIEVEMENT

For achieving one of its objectives, the Vidyapeeth awards Fellowship to the eminent scholars of Ayurveda and practitioners of various traditional Ayurvedic practices in recognition of their scholarly expertise and contribution in the field of education, research, patient care and/or literature. This is an honorary recognition and a felicitation with a Citation, a Shawl and a Kalash/Memento presented to each awardees in the Convocation of RAV. Every year, the Governing Body determines these fellowships on the basis of the bio-data of scholars. So far, 362 scholars have been awarded Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (FRAV).

During the year 2022-23 following scholars have been awarded as FRAV:

1. Vaidya Pramod Sawant, Goa
2. Vaidya Chaturbhuj Bhuyun, Bhubaneshwar (Odisha)
3. Vaidya Mukul Patel, Jamnagar (Gujarat)
4. Dr. K.K. Aggarwal, Jaipur (Rajasthan)

5. Prof. Mohan Lal Jaiswal, Jaipur (Rajasthan)
6. Vaidya Narayan Mohanty, Bhubaneshwar (Odisha)
7. Dr. Ramdas Mhaluji Avhad, Kopargaon (Maharashtra)
8. Vaidya Madhusudan Deshpande, Bhopal (Madhya Pradesh)
9. Vaidya Laxmikant Dwivedi, Jaipur (Rajasthan)
10. Prof. K.S. Dhiman, Jamnagar (Gujarat)
11. Prof. K.N. Dwivedi, Varanasi (Uttar Pradesh)
12. Dr. Jayaprakash Narayan, Bengaluru (Karnataka)
13. Vaidya P.S. Tathed, Mumbai (Maharashtra)

B) LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD

Two eminent Ayurvedic scholars were also felicitated with Life Time Achievement awards for their significant contribution to the progress of Ayurveda:-

1. Vaidya Vinay Kumar Sharma, Deharadun (Uttarakhand)
2. Vaidya C.H.S. Sastri, Vijayawada (Andhra Pradesh)

So far, 24 Ayurvedic scholars have been awarded Life Time Achievement (LTA).

4.4. NATIONAL CONFERENCE /SEMINAR

The Vidyapeeth conducts every year a Conference/Seminar on a topic that requires discussion and exchange of the views and dissemination of clinical experience on the diagnosis and treatment of the disease through Ayurveda. So far, 28 Conferences/Seminars have been conducted on different topics such as- Ksharasutra, Heart Diseases, Ayurvedic Education, Training and Development, Nadi Vigyan, Fast Acting Ayurvedic Medicines and Techniques, Shothahara Avam Jeevanu Nashak Ayurvedic Medicines, AIDS, Thyroid Disorders, Rasayana, Kidney and Urinary Disorders, Hepato-biliary & Splenic Disorders, Diabetes Mellitus, Mental Health, Vatavyadhi, Obesity, Reproductive Health of Women, Preventive Cardiology, Skin Diseases, Cancer (2), Autoimmune

Disorders, Basti Karma, Parmeah (Diabeties), Role of Ayurveda in Sports Medicine, Ayurveda for Longevity, Ayurveda for accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs)-3, Ayurveda Aahar-Swasth Bharat Ka Aadhar and Usage of Trina Dhanya (Millets) in contemporary lifestyle.

4.5 NATIONAL INTERACTIVE WORKSHOPS BETWEEN PG STUDENTS AND TEACHERS OF AYURVEDA

It is the common experience of students, junior teachers and young doctors, who in the beginning of their professional career come across certain points of topics/subjects in texts, which may require clarification/explanation, interpretation and scientific understanding. In some of the colleges, where the faculty is deficient of experienced and qualified staff, the students constantly make efforts to understand the concepts of Ayurveda and their practical utility.

It is frequently raised and argued by the students that some of the topics that cannot be explained in terms of present scientific understanding may be deleted from the syllabus/texts, as these are not relevant in the present context.

But before entering into such conclusion it is felt necessary that interactive session should take place between students and eminent scholars and experienced Vaidyas, where there could be an opportunity to discuss such points of doubt. It is observed that the routine seminars of specific subject/topic limit the discussion to that topic and many times fail to clarify the doubts of students and participants for lack of time. In the fields of learning involving study of ancient texts and applying them in day-to-day practice in order to promote health care of the people, there is every possibility of queries in the professionals regarding the applicability of ancient thoughts in the present day understanding.

Questions are invited from students on selected topics from the Samhitas, Nighantus, Chikitsa Granthas and other texts of Ayurveda, on which they require clarification. On receipt of the questions from the students, these are sent to those Ayurvedic scholars (resource persons) who have sound knowledge of that subject and who can clarify their doubts. The questions and answers are compiled in the form of a book and distributed in the workshop for scientific

discussion. The questioners and experts are invited to participate in the workshop.

So far, RAV has conducted 25 such Interactive Workshops and released books of Questions and Answers discussed in the workshop.

4.6 NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA TEACHERS ON SAMHITA BASED CLINICAL DIAGNOSIS

In a survey of Ayurveda Institutes conducted by RAV and Ayush to assess the standards of Ayurveda Education and Educational Institute in the year 2012, it was observed that the information such as Dashavidha Pariksha, Srotas Parikshan etc. was lacking in Clinical case records at many institutes. The art of clinical diagnosis based on Samhitas and classical methodology described in Ayurveda is disappearing. Many teachers as well as PG students showed their interest in learning this art of Ayurvedic Diagnostic methods.

In view of above, a novel training programme has been initiated by RAV during the year 2013-14 for providing practical demonstration of Samhita (text)-based clinical methods of examination by eminent scholars in the field.

Ayurveda is indigenous medicine of our country and it is practiced in India for several centuries. There are number of treatment procedures, therapies and medicines in public domain. Many practitioners, either gained knowledge traditionally from their forefathers or out of their own experience, are practicing Ayurveda and benefitting the local populations. The knowledge and skills possessed by them in patient care should be transmitted to present young doctors. Further, the knowledge of Ayurveda is required to be interpreted as per the concepts of Ayurveda in diagnosis and treatment.

4.7. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA PG SCHOLARS ON RESEARCH METHODOLOGY, MANUSCRIPT WRITING AND CAREER OPPORTUNITIES

This is a common observation that Ayurveda has a minimal share in the global scientific literature. Despite of large number of PG and Ph.Ds being produced in Ayurveda every year, the number of published research remains minimal. The reason is poorly conducted research in Ayurveda which do not

possess a merit of publication. This was also observed that the poor research conduction in Ayurveda is basically an outcome of poor acquaintance of research methods by the Ayurveda PG students. RAV has realized this gap and has designed a specific programme for Ayurveda PG scholars focusing upon research methods, manuscript writing and also the guidance upon career opportunities.

4.8. CHARAKA AYATANAM: (6 Days complete residential training programme for Undergraduate and Post Graduate Scholars of Ayurveda)

Samhita are the base of Ayurveda. They are most clinical classical text books of Ayurveda. However, it has been observed that their clinical relevance is not understood and taught the way it should have been. Therefore, it is important to understand Samhita on bedside and learn to design the treatment as per classical texts.

Charak Samhita being the basic text of Kayachikitsa, the Charaka Ayatanam program has been designed to provide authentic clinical understanding of Charak Samhita and its relevance in clinical practice.

4.9. PUBLICATIONS

The Vidyapeeth has been publishing certain books of Ayurveda, which cater to general public in creating awareness and also useful to students and professionals of Ayurveda and allied sciences. The Vidyapeeth also publishes the thesis of its students after necessary review and recommendation by the Expert Committee and approval by the Governing Body. RAV has so far published 26 souvenirs and 17 books including, four based on thesis submitted by its students of two-year course. Twenty five question-answer books pertaining to interactive workshops were also published by the Vidyapeeth.

4.10. Ayurveda Training Accreditation Board (ATAB)

Ayurveda Training Accreditation Board (ATAB), a Quality Enhancement Initiative set up by Ministry of Ayush for accreditation of Ayurveda courses operating in India and abroad, which do not fall under the purview of NCISM Act 2020 (earlier IMCC Act, 1970) or any other regulatory body. RAV has been notified as nodal agency for various Ayurveda professional courses operating in India as well as various countries through the

Gazette notification dated 05th December, 2019. It is a voluntary scheme and the Institute/training providers are free to opt the scheme. It will bring uniformity among the tailored/ customized Ayurveda courses running across the globe.

5. TECHNICAL REPORT (Activities conducted during 2022-23)

5.1 MEETINGS HELD DURING THE YEAR:

During the year, two meetings of Governing Body and three meetings of Standing Finance committee were conducted. Details are as under:

(A) Meetings of Governing Body:

During the year, two meetings of Governing Body (i.e. 48th & 49th GB meeting) were convened on 07th November, 2022 and 07th December, 2022 respectively as per details given below:

48th Governing Body meeting held on 07th November, 2022

The following members were present in the meeting

1. Vd. Devinder Triguna-President
2. Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush
3. Shri Jaideep Kumar Mishra, Additional Secretary & FA, Ministry of Health and F.W.
4. Vd. Manoj Nesari, Adviser (Ayurveda), Ministry of Ayush
5. Vd. Mukul Patel, Vice Chancellor, Gujarat Ayurved University, Jamnagar
6. Dr. K.K. Aggarwal, Jaipur
7. Vd. Subhash Ranade, Pune
8. Vd. Rajesh Gupta, Swanatwadi
9. Vd. Varsha Deshpande, Karad
10. Vd. Rakesh Sharma, NCISM, New Delhi
11. Vd. Govind Prasad Upadhyay, Nagpur

12. Vd. Sadanand P. Sardeshmukh, Pune

13. Prof. Mohan Lal Jaiswal, Jaipur

14. Shri Yash Veer Singh, Deputy Secretary, MoA-Special Invitee

15. Shri Bhawani Shankar Kothari, Under Secretary, MoA-Special Invitee

16. Dr. Kousthubha Upadhyaya, Advisor (Ay.), MoA & Director, RAV-Member Secretary

Major decisions taken in 48th meeting of GB:

A 48th Meeting of G.B.was held on 07th November, 2022 wherein following important recommendations was approved:

1. Approved the Annual Accounts for the year 2021-22.
2. Approval for two short term hands on training on "Ready to Eat (RTE), Ayurveda Bakery Products, Food fortification based on Ayurveda" at NIFTEM, Kundli, Sonipat.
3. Approval for three day training programme for Teachers, Ph.D Researchers & PG Scholars of Dravyaguna-Medicinal plant disciplines at Gandhamardan Hills of Odisha in association with Central Ayurveda Research Institute, Bhubaneswar and S.S.N. Ayurveda College & Research Institute, Nrusinghnath, Paikmal, Odisha.
4. Approval for conducting workshop on Research Methodology and Scientific Writing for academicians in Ayurveda in collaboration with Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), New Delhi.
5. Approval for conducting National Seminar, Convocation and Shishyopanayaniya.
6. Approval for participation of all Gurus and Shishyas in WAC held at Goa from 08th to 11th December, 2022.

49th Governing Body meeting held on 07th December, 2022

The following members were present in the meeting

1. Vd. Devinder Triguna-President
2. Vd. Pramod P. Sawant, Hon'ble Chief Minister, Panji, Goa
3. Vd. Rajesh Kotecha, Secretary, MoA-Special Invitee
4. Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush
5. Shri Raj Kumar, Director, IFD and representing by Additional Secretary & FA, Ministry of Health and F.W.
6. Vd. Manoj Nesari, Adviser (Ayurveda), Ministry of Ayush
7. Vd. Mukul Patel, Vice Chancellor, Gujarat Ayurved University, Jamnagar
8. Vd. Subhash Ranade, Pune
9. Vd. Rajesh Gupta, Swanatwadi
10. Vd. Varsha Deshpande, Karad
11. Vd. Rakesh Sharma, NCISM, New Delhi
12. Dr. Kousthubha Upadhyaya, Advisor (Ay.), MoA & Director, RAV-Member Secretary

Major decisions taken in 49th meeting of GB:

A 49th Meeting of G.B.was held on 07th December, 2022 wherein following important recommendations was approved:

1. Approval for food items prepared by RAV to present in IITF and WAC.
2. Approved to engage one IT consultant for e-aushadhi portal, Ministry of Ayush.
3. Approval for selection of Gurus and Shishyas for the session 2022-23.

(B) Standing Finance Committee (SFC) meeting:

During the year, three meetings of Standing Finance Committee (i.e. 40th, 41st & 42nd Meetings) were conducted with ex-officio members of the SFC on 29th June, 2022, 01st December, 2022 and 20th March, 2023.

40th Standing Finance Committee (SFC) held on 29.06.2022

The following members were present in the meeting:-

1. Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush- Ex-officio Member
2. Shri Raj Kumar, Director, IFD and representing by Additional Secretary & FA, Ministry of Health and F.W.
3. Vd. Manoj Nesari, Advisor (Ayu.), Ministry of Ayush
4. Vd. Dinanath Upadhyay, Pune
5. Vd. Varsha Deshpande, Karad
6. Dr. Anupam, Director, RAV

Major decisions taken in 40th meeting of SFC:

A 40th meeting of SFC was held on 29th June, 2022 wherein following important recommendations were approved:

1. Approved the Budget Estimates for the year 2022-23.
2. Approved the Annual Accounts for the year 2021-22.
3. Approval for Training Programmes:
    - Two short term hands on training on "Ready to Eat (RTE), Ayurveda Bakery Products, Food fortification based on Ayurveda" at NIFTEM, Kundli, Sonipat @ Rs. 3.5 lakh each.
    - Two two day Training Programme one on Agni Karma & Rakta-mokshana and one on Intellectual Proper Rights (IPR) in Ayush for Doctors, Researchers and Practitioners @ Rs. 2.00 lakh each.
    - Three day training programme for Teachers, Ph.D Researchers & PG Scholars of Dravyaguna-Medicinal plant disciplines at Gandhamardan Hills of Odisha in association with Central Ayurveda Research Institute, Bhubaneswar and S.S.N. Ayurveda College & Research Institute, Nrusinghnath, Paikmal, Odisha @ Rs. 7.00 lakh.

4. Approval for conducting 06 workshops on Research Methodology and Scientific Writing for academicians in Ayurveda in collaboration with CCRAS with a financial cap of Rs. 7.00 lakh each.

41st Standing Finance Committee (SFC) held on 01.12.2022

The following members were present in the meeting:-

1. Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush- Ex-officio Member
2. Additional Secretary & FA or his Representative, Ministry of Health & F.W, Nirman Bhawan
3. Vd. Manoj Nesari, Advisor (Ayu.), Ministry of Ayush
4. Vd. Varsha Deshpande, Karad
5. Shri Yash Veer Singh, Deputy Secretary, MoA-Special Invitee
6. Shri Bhawani Shankar Kothari, Under Secretary, MoA-Special Invitee
7. Dr. Kousthubha Upadhyaya, Advisor (Ay.), MoA & Director, RAV

Major decisions taken in 41st meeting of SFC:

A 41st meeting of SFC was held on 01st December, 2022 wherein following important recommendations were approved:

1. Approval for Training Programmes:
   - Six One Day Sensitization Programme for Ayush Doctors and Ayurveda Fraternity at different regions of the country i.e. New Delhi, Pune, Bhopal, Varanasi, Hyderabad and Bengaluru.
   - Samhita based training programme for Undergraduate/Post-graduate students (Charakaayatan).
   - One Day Gyan Ganga Seminar through offline mode at New Delhi.
2. Approval for food items prepared by RAV to present in IITF & WAC.
3. Approved to engage one IT Consultant for e-aushadhi portal, Ministry of Ayush.
4. Approval to enhance the sitting fee of Non-Official Members of Governing Body (GB) and Standing Finance Committee (SFC) of RAV

and also suggested that this matter has to be submitted on file for approval of Secretary and Hon'ble Minister.

42nd Standing Finance Committee (SFC) held on 20.03.2023

The following members were present in the meeting:-

1. Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush- Ex-officio Member
2. Shri Jaideep Kumar Mishra, Additional Secretary & FA, Ministry of Health & F.W, Nirman Bhawan
3. Vd. Manoj Nesari, Advisor (Ayu.), Ministry of Ayush
4. Vd. Varsha Deshpande, Karad
5. Dr. Vandana Siroha, Director, RAV-Special Invitee
6. Shri Raj Kumar, Director (IFD), MoA-Special Invitee
7. Ms. Asha Chauhan, Director, Ayurveda Division, MoA-Special Invitee
8. Dr. Kousthubha Upadhyaya, Advisor (Ay.), MoA & Director, RAV

Major decisions taken in 42nd meeting of SFC:

A 42nd meeting of SFC was held on 20th March, 2023 wherein following important recommendations were approved:

1. Approval for giving advance to AIAC for building premises and also suggested that it may be submitted on file to IFD through Ministry of Ayush for consideration and concurrence.

5.2 GURU SHISHYA PARAMPARA

(A) Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV)

Selection of the CRAV Gurus:

In order to begin the new session of Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV) course for the year 2022-23 an advertisement was brought out on 05th December, 2022 in the selected newspapers on all India bases through DAVP for appointment of Gurus for the course. 60 fresh applications were received from prospective Vaidyas/ Scholars.

A Sub-Committee of Governing Body held on 27th January, 2023 consisting of following members was formed with the approval of President of G.B., RAV for scrutinizing and selection of Gurus:

1. Vd. Mukul Patel, VC, GAU, Jamnagar - G.B. Member
2. Vd. Rakesh Sharma, President, Ethics and Registration Board, NCISM - G.B. Member
3. Vd. Rajesh Gupta, Sawantwadi - G.B. Member
4. Dr. Kousthubha Upadhyaya, Advisor (Ay.), MoA & Director, RAV - Member Secretary

The above committee scrutinized the applications and shortlisted 17 names out of 60 fresh applicants on the bases of performance and information, interaction and feedback, eligibility criteria, visitation, willingness, feedbacks etc. The Sub-Committee had also evaluated the list of 70 Gurus of 2021-22 and suggests 66 Existing Gurus of session 2021-22 for consideration for the year 2022-23.

The following 83 Gurus had given their acceptance comprising of 79 Individual Gurus and 04 Institutional Gurus had been selected. The details of the empanelled gurus for CRAV for this year are as under:

S.No.	Name and Place of Gurus	Subject
1.	Dr. B. Prabhakaran, Kannur (Kerala)	Agada Tantra
2.	Dr. N. Krishnaiah, Tirupati (Andhra Pradesh)	Bal Roga
3.	Dr. Jaysukh R. Makwana, Rajkot (Gujarat)	Danta Chikitsa
4.	Dr. L. Sucharitha, Bengaluru (Karnataka)	Stree Roga
5.	Dr. N.V. Sreevaths, Palakkad (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa

6.	Dr. Vijayan Nangelil, Kothamanagalam (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa
7.	Dr. Mathews Joseph, Muvattupuzha (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa & Sports Injury Management
8.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum (Kerala)	Asthi Chikitsa
9.	Dr. A. Raghavendra Acharya, Udupi (Karnataka)	Ksharsutra and Marma Chikitsa
10.	Vd. Devendra Kumar Shah, Ahmedabad (Gujarat)	Ksharsutra
11.	Dr. K.V.S. Rao, Bhilai (C.G.)	Ksharsutra
12.	Dr. Manoranjan Sahu, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra
13.	Dr. Harshvardhan Jobanputra, Nadiad (Gujarat)	Ksharsutra
14.	Dr. M. Bhaskar Rao, Tirupati (Andhra Pradesh)	Ksharsutra
15.	Dr. Raman Singh, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra
16.	Dr. Hem Raj Sharma, Una (H.P.)	Ksharsutra
17.	Dr. Lalta Prasad, Bareilly (U.P.)	Ksharsutra
18.	Dr. S. Dattatray Rao, Tirupati (Andhra Pradesh)	Ksharsutra
19.	Dr. Sat Pal Gupta, Ambala (Haryana)	Ksharsutra

20.	Dr. Nagender Pal, Mandi (Himachal Pradesh)	Ksharsutra
21.	Vd. Alok Mohanlal Gupta, Yavatmal (M.S.)	Ksharsutra
22.	Dr. Kosaraju Venkata Chalapathi Rao, Vijayawada (Andhra Pradesh)	Ksharsutra
23.	Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune (M.S.)	Pharmacy
24.	Vd. Vivek Dattatraya Sane, Pune (M.S.)	Pharmacy
25.	Vd. Surya Prakash Sharma, Kolkata (West Bengal)	Pharmacy
26.	Vd. Sasikumar Nechiyal, Palakkad (Kerala)	Pharmacy
27.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur (Kerala)	Pharmacy
28.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur (Kerala)	Netra Chikitsa
29.	Dr. Hemkant Shivajirao Baviskar, Jalgaon (M.S.)	Netra Chikitsa
30.	Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital & Research Centre, Ernakulam (Kerala) (Dr. N. Narayanan Namboothiri)	Netra Chikitsa (Institutional Guru)
31.	Arya Vaidya Chikitsalayam and Research Institute, Coimbatore (Tamilnadu) (Dr. Ramkumar)	Kayachikitsa (Institutional Guru)

32.	Arya Vaidya Sala, Kottakkal, Kerala (Dr. P.M. Varier and Dr. Rajagopalan K.V.)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
33.	Smt. Maniben Amrutlal Hargovan Government Ayurveda Hospital, Ahmedabad (Gujarat) (Dr. Varsha Dave)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
34.	Vd. Anant Sadanand Nimkar, Satara (M.S.)	Kayachikitsa
35.	Dr. Mani Bhushan Kumar, Patna (Bihar)	Kayachikitsa
36.	Vd. Binod Joshi, Haldwani (Uttarakhand)	Kayachikitsa
37.	Vd. Namadhar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa
38.	Dr. Ramesh R. Varier, Madurai (Tamilnadu)	Kayachikitsa
39.	Dr. V. Sreekumar, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa
40.	Dr. Ravishankar Pervaje, Dakshinakannada (Karnataka)	Kayachikitsa
41.	Dr. Ramdas M. Avhad, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa
42.	Vd. Ashwani Kumar Sharma, Karol Bagh (New Delhi)	Kayachikitsa
43.	Vd. Tarachand Sharma, Rohini (New Delhi)	Kayachikitsa
44.	Vd. Narendra Narayandas Gujarathi, Jalgaon (M.S.)	Kayachikitsa

45.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (Telangana)	Kayachikitsa
46.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (M.P.)	Kayachikitsa
47.	Dr. C.M. Sreekrishnan, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa
48.	Dr. Jagadeeshwari Prasad Mishra "Basant", Sitamarhi (Bihar)	Kayachikitsa
49.	Dr. Santosh Bhagwanrao Nevpurkar, Aurangabad (M.S.)	Kayachikitsa
50.	Dr. Vinay Vasudeo Welankar, Thane (M.S.)	Kayachikitsa
51.	Dr. Panchabhai V. Damaniya, Junagadh (Gujarat)	Kayachikitsa
52.	Vd. Anil Bhardwaj, Chandigarh	Kayachikitsa
53.	Vd. Achyut Kumar Tripathi, Noida (U.P.)	Kayachikitsa
54.	Dr. Manoj Kumar Sharma, Kota (Rajasthan)	Kayachikitsa
55.	Dr. Pangala Muralidhara Ramachandra Bhat, Bengaluru (Karnataka)	Kayachikitsa
56.	Dr. Pravin Prabhakar Joshi, Dhule (M.S.)	Kayachikitsa
57.	Dr. Ravindra Vatsyayan, Ludhiana (Punjab)	Kayachikitsa
58.	Vd. Mahesh Madhusudan Thakur, Thane (M.S.)	Kayachikitsa

59.	Vd. Updendra Digambar Dixit, Ponda (Goa)	Kayachikitsa
60.	Dr. P.M.S. Raveendranath, Palakkad (Kerala)	Kayachikitsa
61.	Vd. Muralidhar Purushottam Prabhudesai, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa
62.	Vd. M. Prasad, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa
63.	Vd. Suvinay Vinayak Damale, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa
64.	Vd. Satya Prakash Gupta, Moradabad (U.P.)	Kayachikitsa
65.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa
66.	Vd. Malhar Prabhakar Joshi, Sangli (M.S.)	Kayachikitsa
67.	Dr. A.B. Sasidharan Nair, Kottayam (Kerala)	Kayachikitsa
68.	Vd. Anupama Jayant Deopujari, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa
69.	Vd. (Prof.) G.G. Gangadharan, Bengaluru (Karnataka)	Kayachikitsa
70.	Dr. Ramavatar Sharma, Sikar (Rajasthan)	Kayachikitsa
71.	Vd. (Prof.) Shyam Sunder Sharma, Bhagalpur (Bihar)	Kayachikitsa
72.	Dr. Savithri Sambamurthy Gayitri, Bengaluru (Karnataka)	Kayachikitsa

73.	Vd. Shrikrishna Sharma Khandel, Jaipur (Rajasthan)	Kayachikitsa
74.	Dr. T. Shridhara Bairy, Udupi (Karnataka)	Kayachikitsa
75.	Prof. (Dr.) Narayan Chandra Dash, Puri (Odisha)	Kayachikitsa
76.	Dr. M.B. Gururaja, Shivamoga (Karnataka)	Kayachikitsa
77.	Dr. Vinay Vora, Ahmedabad (Gujarat)	Kayachikitsa
78.	Dr. Preeti Chhabra, New Delhi	Kayachikitsa
79.	Dr. A.R. Ramadas, Coimbatore (Tamilnadu)	Kayachikitsa
80.	Vd. Satish Shamlal Bhattad, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa
81.	Dr. Pranav Kiritkumar Dave, Ahmedabad (Gujarat)	Kayachikitsa
82.	Vd. S.N. Pande, Ujjain (Madhya Pradesh)	Kayachikitsa
83.	Vd. Ravinder Bajaj, Ludhiana (Punjab)	Kayachikitsa

(B) Admission and Training of the CRAV Students:

In order to admit the students (Shishyas) during the year an advertisement was brought out in all the leading newspapers all over the country on 12th January, 2023. Besides this, the copies of advertisement were sent to all the Graduate and Post Graduate Ayurveda Colleges/Universities to display it on their Notice-Board. The copies of advertisement were also sent to all

Gurus and members of the Governing Body along with prospectus and other rules.

In response of the Advertisement about 1706 applications were received and scrutinized. Admit Cards were issued to all 1676 eligible candidates for appearing in written test which was conducted at pre-approved examination centres at New Delhi, Pune, Jaipur, Bengaluru, Varanasi and Thrissur on 05th February, 2023. Total 1539 applicants appeared for the tests at six centres. Question paper for written test containing 100 objective-type questions was prepared in Hindi and English. Total 225 candidates were selected on the basis of their merit.

The following 218 students are receiving the training under 83 Gurus. The details are as under:-

S.No.	Name and Place of Gurus	Subject	No. of Students
1.	Dr. B. Prabhakaran, Kannur (Kerala)	Agada Tantra	03
2.	Dr. N. Krishnaiah, Tirupati (Andhra Pradesh)	Bal Roga	03
3.	Dr. Jaysukh R. Makwana, Rajkot (Gujarat)	Danta Chikitsa	03
4.	Dr. L. Sucharitha, Bengaluru (Karnataka)	Stree Roga	03
5.	Dr. N.V. Sreevaths, Palakkad (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa	01
6.	Dr. Vijayan Nangelil, Kothamanagalam (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa	04
7.	Dr. Mathews Joseph, Muvattupuzha (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa and Sports Injury Management	02
8.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum (Kerala)	Asthi Chikitsa	03
9.	Dr. A. Raghavendra Acharya, Udupi (Karnataka)	Ksharsutra and Marma Chikitsa	02

10.	Vd. Devendra Kumar Shah, Ahmedabad (Gujarat)	Ksharsutra	03
11.	Dr. K.V.S. Rao, Bhilai (C.G.)	Ksharsutra	03
12.	Dr. Manoranjan Sahu, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra	02
13.	Dr. Harshvardhan Jobanputra, Nadiad (Gujarat)	Ksharsutra	02
14.	Dr. M. Bhaskar Rao, Tirupati (Andhra Pradesh)	Ksharsutra	02
15.	Dr. Raman Singh, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra	02
16.	Dr. Hem Raj Sharma, Una (H.P.)	Ksharsutra	02
17.	Dr. Lalta Prasad, Bareilly (U.P.)	Ksharsutra	03
18.	Dr. S. Dattatray Rao, Tirupati (Andhra Pradesh)	Ksharsutra	02
19.	Dr. Sat Pal Gupta, Ambala (Haryana)	Ksharsutra	02
20.	Dr. Nagender Pal, Mandi (Himachal Pradesh)	Ksharsutra	02
21.	Vd. Alok Mohanlal Gupta, Yavatmal (M.S.)	Ksharsutra	02
22.	Dr. Kosaraju Venkata Chalapathi Rao, Vijayawada (Andhra Pradesh)	Ksharsutra	02
23.	Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune (M.S.)	Pharmacy	02
24.	Vd. Vivek Dattatraya Sane, Pune (M.S.)	Pharmacy	03
25.	Dr. Surya Prakash Sharma, Kolkata (West Bengal)	Pharmacy	01
26.	Vd. Sasikumar Nechiyal, Palakkad (Kerala)	Pharmacy	02

27.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur (Kerala)	Pharmacy	03
28.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur (Kerala)	Netra Chikitsa	03
29.	Dr. Hemkant Shivajirao Baviskar, Jalgaon (M.S.)	Netra Chikitsa	02
30.	Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital & Research Centre, Ernakulam (Kerala) (Dr. N. Narayanan Namboothiri)	Netra Chikitsa (Institutional Guru)	07
31.	Arya Vaidya Chikitsalayam and Research Institute, Coimbatore (Tamilnadu) (Dr. Ramkumar)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	08
32.	Arya Vaidya Sala, Kottakkal, Kerala (Dr. P.M. Varier and Dr. Rajagopalan K.V.)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	08
33.	Smt. Maniben Amrutlal Hargovan Government Ayurveda Hospital, Ahmedabad (Gujarat) (Dr. Varsha Dave)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	08
34.	Vd. Nimkar Anant Sadanand, Satara (M.S.)	Kayachikitsa	01
35.	Dr. Mani Bhushan Kumar, Patna (Bihar)	Kayachikitsa	02
36.	Vd. Binod Joshi, Haldwani (Uttarakhand)	Kayachikitsa	02
37.	Vd. Namadhar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	02
38.	Dr. Ramesh R. Varier, Madurai (Tamilnadu)	Kayachikitsa	04
39.	Dr. V. Sreekumar, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	02
40.	Dr. Ravishankar Pervaje, Dakshinakannada (Karnataka)	Kayachikitsa	04

41.	Dr. Ramdas M. Avhad, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa	04
42.	Vd. Ashwani Kumar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	02
43.	Vd. Tarachand Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	02
44.	Vd. Narendra Narayandas Gujarathi, Jalgaon (M.S.)	Kayachikitsa	03
45.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (Telangana)	Kayachikitsa	03
46.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (M.P.)	Kayachikitsa	02
47.	Dr. C.M. Sreekrishnan, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	02
48.	Dr. Jagadeeshwari Prasad Mishra "Basant", Sitamarhi (Bihar)	Kayachikitsa	01
49.	Dr. Santosh Bhagwanrao Nevpurkar, Aurangabad (M.S.)	Kayachikitsa	02
50.	Dr. Vinay Vasudeo Welankar, Thane (M.S.)	Kayachikitsa	02
51.	Dr. Panchabhai V. Damaniya, Junagadh (Gujarat)	Kayachikitsa	04
52.	Vd. Anil Bhardwaj, Chandigarh	Kayachikitsa	02
53.	Vd. Achyut Kumar Tripathi, Noida (U.P.)	Kayachikitsa	02
54.	Dr. Manoj Kumar Sharma, Kota (Rajasthan)	Kayachikitsa	02
55.	Dr. Pangala Muralidhara Ramachandra Bhat, Bengaluru (Karnataka)	Kayachikitsa	02
56.	Dr. Pravin Prabhakar Joshi, Dhule (M.S.)	Kayachikitsa	03

57.	Dr. Ravindra Vatsyayan, Ludhiana (Punjab)	Kayachikitsa	02
58.	Vd. Mahesh Madhusudan Thakur, Thane (M.S.)	Kayachikitsa	02
59.	Vd. Updendra Digambar Dixit, Ponda (Goa)	Kayachikitsa	03
60.	Dr. P.M.S. Raveendranath, Palakkad (Kerala)	Kayachikitsa	02
61.	Vd. Muralidhar Purushottam Prabhudesai, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa	02
62.	Vd. M. Prasad, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	02
63.	Vd. Suvinay Vinayak Damale, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa	02
64.	Vd. Satya Prakash Gupta, Moradabad (U.P.)	Kayachikitsa	02
65.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa	04
66.	Vd. Malhar Prabhakar Joshi, Sangli (M.S.)	Kayachikitsa	02
67.	Dr. A.B. Sasidharan Nair, Kottayam (Kerala)	Kayachikitsa	03
68.	Vd. Anupama Jayant Deopujari, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa	03
69.	Vd. (Prof.) G.G. Gangadharan, Bengaluru (Karnataka)	Kayachikitsa	03
70.	Dr. Ramavatar Sharma, Sikar (Rajasthan)	Kayachikitsa	02
71.	Vd. (Prof.) Shyam Sunder Sharma, Bhagalpur (Bihar)	Kayachikitsa	01
72.	Dr. Savithri Sambamurthy Gayitri, Bengaluru (Karnataka)	Kayachikitsa	02
73.	Vd. Shrikrishna Sharma Khandel, Jaipur (Rajasthan)	Kayachikitsa	02

74.	Dr. T. Shridhara Bairy, Udupi (Karnataka)	Kayachikitsa	02
75.	Prof. (Dr.) Narayan Chandra Dash, Puri (Odisha)	Kayachikitsa	03
76.	Dr. M.B. Gururaja, Shivamoga (Karnataka)	Kayachikitsa	02
77.	Dr. Vinay Vora, Ahmedabad (Gujarat)	Kayachikitsa	02
78.	Dr. Preeti Chhabra, New Delhi	Kayachikitsa	02
79.	Dr. A.R. Ramadas, Coimbatore (Tamilnadu)	Kayachikitsa	04
80.	Vd. Satish Shamlal Bhattad, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa	03
81.	Dr. Pranav Kiritkumar Dave, Ahmedabad (Gujarat)	Kayachikitsa	02
82.	Vd. S.N. Pande, Ujjain (Madhya Pradesh)	Kayachikitsa	02
83.	Vd. Ravinder Bajaj, Ludhiana (Punjab)	Kayachikitsa	02
Total			**218**

5.3. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA PG SCHOLARS ON RESEARCH METHODOLOGY, MANUSCRIPT WRITING AND CAREER OPPORTUNITIES

This is a common observation that Ayurveda has a minimal share in the global scientific literature. Despite of large number of PG and PhDs being produced in Ayurveda every year, the number of published research remains minimal. The reason is poorly conducted research in Ayurveda which do not possess a merit of publication. This was also observed that the poor research conduction in Ayurveda is basically an outcome of poor acquaintance of research methods by the Ayurveda PG students. RAV has realized this gap recently and has designed a specific programme for Ayurveda PG scholars focusing upon research methods, manuscript writing and also the guidance upon career opportunities.

This was the two day training programmes involving senior faculties of Ayurveda and allied disciplines who are highly proficient in research. Participants were invited from Ayurveda PG Colleges from whole of the country. It was seen that this training programme was highly appraised and demanded by Ayurveda PG scholars. Approximately, 200 Ayurveda PG students had been trained in this programme.

RAV had conducted these training programmes in following places for Ayurveda PG scholars on Research Methodology, Manuscript Writing and Career Opportunities:

S.No.	Place	Duration
1.	New Delhi	22nd to 24th August, 2022
2.	Ahmedabad (Gujarat)	22nd to 24th September, 2022
3.	Nagpur (Maharashtra)	03rd to 05th November, 2022
4.	Bhubaneswar (Odisha)	24th to 26th November, 2022
5.	Bengaluru (Karnataka)	15th to 17th December, 2022
6.	Trivandrum (Kerala)	19th to 21st January, 2023

5.4. CHARAK AYATANAM (6-days complete residential training programme for Undergraduate and Post Graduate Scholars of Ayurveda)

Samhita are the base of Ayurveda. They are most clinical classical text books of Ayurveda. However, it has been observed that their clinical relevance is not understood and taught the way it should have been. Consequently, they are perceived as theoretical text books. The clinical methods are taught according to understanding to allopathic system of medicine. In the process the Ayurvedic physicians have forgotten that Ayurvedic method of clinical diagnosis is much superior to present method of diagnosis, which is mainly laboratory dependent. The tendency to diagnose diseases as per allopathic system and treat with Ayurvedic formulation may be called as herbal treatment of various disease conditions which is not Ayurveda in real sense. Often, this

may lead to wrong diagnosis resulting in wrong treatment of the patient. Therefore, it is important to understand Samhita on bedside and learn to design the treatment as per classical texts.

Charak Samhita being the basic text of Kayachikitsa, the present programme has been designed to provide authentic clinical understanding of Charak Samhita and its relevance in clinical practice. The programme will also give an opportunity to the students to live and experience the lifestyle as described in Charak Samhita and also to experience its positive impact on mind and body. The stalwart Gurus of Ayurveda will provide hands on training to participants based on Charak Samhita. The method of understanding of Charak Samhita and its interpretation in reference to modern lifestyle and habits shall be described to the students. The programme will also provide an opportunity to experience the identification of various medicinal plants explained in Charak Samhita, experience few recipes described by Charak Samhita which have the potential as Nutraceuticals, the Ayurvedic dincharya, preparation of simple formulations mentioned in Charak Samhita, Ekal Dravya Chikitsa etc. in addition to charak based clinical diagnosis.

Two 6-day Samhita training programmes for Undergraduate/Post-graduate students during the financial year 2022-23 "Charakaayatan" was successfully conducted at Bengaluru (Karnataka) and Hoshiarpur (Punjab) for 100 trainees.

5.5. Short term hand on Training on "Ready to Eat (RTE), Ayurveda Bakery Products, Food fortification based on Ayurveda" at NIFTEM, Kundli, Sonipat

A total of five innovative training programs had been initiated by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth with MoU partner NIFTEM, Kundli, Sonipat, Haryana in the year 2023 providing the demonstration on Rheology, RTE (Ready to Eat) products, Beetroot Ladoos, Healthy & Nutritive recipes of various Millets, Formulation & Development of Baked Products using Millets, Cookies, Muffins, Millet-based Nutri Bars etc. along with theoretical lectures by eminent scholars in the field. Many teachers showed their interest in learning this art of Ayurvedic Diagnostic methods.

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth had taken a unique initiative to promote Ayurveda Aahar. RAV conducted the following two training programs through Offline mode which was inclusive of different topics i.e. Rice, Wheat & Oil Fortification, Food & Safety Standards Regulation for Packaging and Labeling and Control on Advertisements, Millets and its Importance, Start-up Innovation & Incubation, FSSAI Registration and Licensing, Govt. Schemes etc.:-

S.No	Training Programme	Date
1.	NIFTEM - Training Programme	19th- 23rd September, 2022
2.	NIFTEM - Training Programme	13-17th February, 2023

5.6. Three day training programme for Teachers, PhD Researchers & PG Scholars of Dravyaguna-Medicinal Plant Disciplines

Three days training programme on **"Identification of flora at Gandhamardan Hills of Odisha through field visit"** was organised by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth in association with Central Ayurveda Research Institute, Bhubaneswar and S.S.N. Ayurveda College & Research Institute, Nrusinghnath, Paikmal, Odisha during 05th to 07th January, 2023. The objective of the program was to impart knowledge and understanding to participants about identification of flora at Gandhamardan Hills, Paikmal, Odisha through field visit. Approximately 30 participants including Teachers, Researchers, PhD & PG scholars of Dravyaguna-Medicinal plant discipline had participated in the training program. During the program, the academicians and scholars from **Dravyaguna** discipline were exposed to the bio-diverse area of Gandhamardan Hills, Odisha to gain the knowledge and rich experience of the medicinal plants.

5.7. GYAN GANGA – A KNOWLEDGE VOYAGE – WEEKLY WEBINAR SERIES

(A) Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV) is organizing webinar series named **"Gyan Ganga–a knowledge Voyage" every Thursday at 3:30 pm**. The purpose of this webinar series is to disseminate authentic knowledge, information & to update the knowledge & skills of Ayurveda fraternity through live interactive session with stalwarts in the field of Ayurveda as well as

contemporary sciences. So far, 129 webinar had been organized on various different topics.

On completion of 100 Webinars, One-Day seminar was organized at AIAC Hall, Dhanwantari Bhavan, Punjabi Bagh, New Delhi on "Exotic Fruits & Vegetables in India from Ayurveda Perspective" on 31st March, 2023. More than 120 candidates participated with great zeal & fervor.

(B) Promotion of Region specific Ayurveda Ahara under the umbrella of "Azadi Ka Amrit Mahotsav"

To mark the 75 years of independence, India is celebrating **"Azadi Ka Amrit Mahotsav"** with great zeal**.** With reference to this, various activities had been organized by RAV also for the benefit of common people right from imparting knowledge for maintenance of good health, to the distribution of immune-boosting Sanshamnai Vati, and Ayu-Raksha kits among common people.

RAV was running Region specific Ayurveda Ahara series for disseminating the authentic information amongst common people about health benefits of various region specific foods, foods as per seasonal regime etc. Every month any regional & its health benefits were showcased in template & also short promotional video was shared over social media for wider dissemination of knowledge.

Following programmes had been organized during the year on various different topics:

- Six One-Day Seminars had been organized by RAV across India for the Ayurveda Scholars, Teachers and Clinicians to sensitize & promote Ayurveda Aahara along with the sensitization about FSSAI regulation for Ayurveda Aahara. In every seminar, more than 100 participants registered& had been sensitized.
- Webinars had been organized every month on Usage of Millets for health maintenance.
- An online competition was organized on **"Millet Recipes through your kitchen"** wherein videos had been invited from participants. More than 20 people participated & showcased various regional recipes made from Millets & its health benefits.

5.8. PUBLICATIONS/SALE OF BOOKS

During the year the Vidyapeeth sold its publications worth **₹ 10,93,488/- (Rupees Ten Lakh Ninety Three Thousand Four Hundred Eighty Eight Only)**.

5.9. Ayurveda Training Accreditation Board (ATAB)

Ayurveda Training Accreditation Board (ATAB) a Quality Enhancement Initiative set up by Ministry of Ayush for accreditation of Ayurveda courses operating in India and abroad, which do not fall under the purview of NCISM Act, 2020 (earlier IMCC Act, 1970) or any other regulatory body. RAV has been notified as nodal agency for various Ayurveda professional courses operating in India as well as various countries through the Gazette notification dated 05th December, 2019. It is a voluntary scheme and the Institute/training providers are free to opt the scheme. It will bring uniformity among the tailored/ customized Ayurveda courses running across the globe. It has three levels:

Level 1 – Listing of Ayurveda Courses

The listing of courses is to create an inventory of training courses available globally in Ayurveda, with the ultimate aim of bringing them under the framework of formal accreditation.

Level 2 – Self Declaration of Basic Accreditation

It is an opportunity to the training providers to assess themselves against the prescribed Basic Accreditation standard and declare conformity based on the self-assessment.

Level 3 – Basic Accreditation of Ayurveda Courses

It is a formal accreditation through an independent assessment of their courses under Basic Accreditation Standard of ATAB.

As on 31.03.2023, 65 (Sixty-five) Ayurveda courses at National level and 09 (Nine) Ayurveda courses at International level had been enlisted under various levels.

5.10. OTHER ACTIVITIES

(A) Participation in National Arogya, Ayurveda Parva, Trade Fair:

The Vidyapeeth had participated in Five Arogya Fair, Six Ayurveda Parva and a Trade fair organized by Ministry of Ayush, Government of India and also participated in WAC and GAIIS, National Ayurveda Day etc. Details are as under:-

Arogya Fairs:

- National level Arogya Fair held at Ujjain (M.P.) from 27th to 30th May, 2022.
- National level Arogya Fair held at Bangalore, Karnataka from 27th July to 02nd August, 2022.
- State Level Arogya held at Aizawl, Mizoram from 18th to 21st October, 2022.
- WAC and Arogya Expo. held at Goa from 08th to 11th December, 2022.
- Expo & National Arogya held at Guwahati, Assam 02nd to 05th March, 2023.

Ayurveda Parvs:

- Ayurveda Parv held at Shirdi, Maharashtra from 22nd to 24th September, 2022.
- Ayurveda Parv held at Nagpur, Maharashtra from 11th to 13th November, 2022.
- Ayurveda Parv held at Rohtak, Haryana from 23rd to 25th December, 2022.
- Ayurveda Parv held at Puri, Odisha from 20th to 22nd January, 2023.
- Ayurveda Parv held at Meerut (U.P.) from 10th to 12th March, 2023.
- Ayurveda Parv held at Chandigarh from 27th to 29th March, 2023.

Other Programmes:

- Global Ayush Investment and Innovation Summit held at Gandhinagar, Gujarat from 20th to 22nd April, 2022.
- 29th Edition of SATTE held at Greater Noida (U.P.) from 18th to 20th May, 2022.
- 8th International Yoga Day and Ayush Exhibition held at Mysuru, Karnataka from 21st to 26th June, 2022.
- National Ayurveda Day by AIAC held at New Delhi on 20th October, 2022.
- IITF held at New Delhi from 14th to 27th November, 2022.
- Bharat Parv held at New Delhi from 26th to 31st January, 2023.

(B) Monitoring and implementation of Central Sector scheme of Capacity Building and Continuing Medical Education (CME) in AYUSH a component of Ayurgyan Scheme:

The Vidyapeeth as Nodal Office has been implementing the CME component of Ayurgyan Scheme run by Ministry of Ayush. These CME programmes were conducted throughout the country in selected institutions with objectives of upgrading the knowledge of teachers, medical officers and other personnel of Ayush systems and providing them the information on advancements and research outcome in the fields of diagnosis, management, drugs etc. in concerned subjects. Orientation Training Programmes in Yoga and other Ayush subjects were also arranged for Ayush doctors besides other capacity building programs.

During 2022-23, total GIA of ₹ 625.00 lakhs have been released for conducting/implementing the 65 CME programmes/projects along with reimbursement to eligible institutions.

Also during 2022-23, pending Utilization Certificates (UC) amounting to ₹ 425 lakhs have been liquidated.

State-wise statement of releases of CME Programmes of Ayush for Teachers & Doctors etc. during the year- 2022-23

S.No.	Name of State	No. of Programmes
1.	Gujarat	9
2.	Haryana	1
3.	Himachal Pradesh	1
4.	Karnataka	5
5.	Kerala	1
6.	Madhya Pradesh	5
7.	Maharashtra	15
8.	Meghalaya	2
9.	Odisha	3
10.	Rajasthan	6
11.	Tamil Nadu	4
12.	Uttar Pradesh	10
13.	Uttarakhand	2
14.	West Bengal	1
Grand Total		**65**

6. Budget and Expenditure

During the year 2022-23, the Vidyapeeth received Grant-in-Aid from the Ministry of Ayush. Details are as under:

(₹ in lakh)

Particu-lars	Opening Balance	Refunded during the year to the Ministry	Received during the year from Ministry	Internal receipts	Total	Expend-iture incurred during the year	Unspent Balance
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 = 2+4+5-3**	**7**	**8=6-7**
General	22.82	22.82	1880	2.42	1882.42	1784.00	98.42
Salary	0.78	0.78	100	0	100	96.89	3.11
SAP	1.10	1.10	2	0	2	0.77	1.23
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Total	**24.70**	**27.70**	**1982**	**2.42**	**1984.42**	**1881.66**	**102.76**

Thus, Vidyapeeth had an unspent balance of ₹ 102.76 lakh as on 31 March, 2023 and interest earned on GIA was ₹ 2.75 lakh making a total of ₹ 105.51 lakh which was refunded to the Ministry during 2023-24.

In addition of above, Vidyapeeth received Grant for other earmarked purpose. Details are as under-

(₹ in lakh)

Particulars	Opening Balance	Refunded during the year to the Ministry	Received during the year from Ministry	Total	Expenditure incurred during the year	Unspent Balance
1	**2**	**3**	**4**	**5= 2+4-3**	**6**	**7=5-6**
CME	5.51	5.22	0	0.29	0.29	0
CME-RSBK	62.37	0	0	62.37	6.21	56.16
CSSS	68.60	1.58	0	67.02	9.96	57.06
AYUSH Talk	5.14	2.72	0	2.42	2.42	0
Total	**141.62**	**9.52**	**0**	**132.10**	**18.88**	**113.22**

7. SEPARATE AUDIT REPORT

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth for the year ended 31 March, 2023

We have audited the attached Balance Sheet of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (Vidyapeeth) as at 31 March 2023, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period up to 2025-26. These financial statements are the responsibility of the Vidyapeeth's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting

standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Vidyapeeth in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. General

A.1 Vidyapeeth had not made the provisions of retirement benefits on actuarial basis as required under Accounting Standard 15 of ICAI.

B. Grants-in-aid

During the year 2022-23, the Vidyapeeth received Grant-in-Aid from the Ministry of Ayush. Details are as under:

(₹ in lakh)

2	Opening Balance	Refunded during the year to the Ministry	Received during the year from Ministry	Internal receipts	Total	Expen-diture incurred during the year	Unspent Balance
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6= 2+4+5-3**	**7**	**8=6-7**
General	22.82	22.82	1880	2.42	1882.42	1784.00	98.42
Salary	0.78	0.78	100	0	100	96.89	3.11
SAP	1.10	1.10	2	0	2	0.77	1.23
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Total	**24.70**	**27.70**	**1982**	**2.42**	**1984.42**	**1881.66**	**102.76**

Thus, Vidyapeeth had an unspent balance of ₹ 102.76 lakh as on 31 March, 2023 and interest earned on GIA was ₹ 2.75 lakh making a total of ₹ 105.51 lakh which was refunded to the Ministry during 2023-24.

In addition of above, Vidyapeeth received Grant for other earmarked purpose. Details are as under-

(₹ in lakh)

Particu-lars	Opening Balance	Refunded during the year to the Ministry	Received during the year from Ministry	Total	Expend-iture incurred during the year	Unspent Balance
1	**2**	**3**	**4**	**5=2+4-3**	**6**	**7=5-6**
CME	5.51	5.22	0	0.29	0.29	0
CME-RSBK	62.37	0	0	62.37	6.21	56.16
CSSS	68.60	1.58	0	67.02	9.96	57.06
AYUSH Talk	5.14	2.72	0	2.42	2.42	0
Total	**141.62**	**9.52**	**0**	**132.10**	**18.88**	**113.22**

C. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of management of Vidyapeeth through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth as at 31 March 2023; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit
(Central Expenditure)

Place: New Delhi
Date: 13.10.2023

Annexure

1. Adequacy of internal audit system:

The Internal Audit wing is not established in the Vidyapeeth. The Ministry has conducted the internal audit of the Vidyapeeth up to 2015-16.

2. Adequacy of internal control system:

The management's response to internal and external audit objections was not effective as 15 paras of internal audit and 7 paras of external audit upto March, 2016 were outstanding as on 31 March, 2023.

3. System of physical verification of fixed assets:

The physical verification of fixed assets was conducted upto 31.03.2023.

4. System of physical verification of inventory:

The physical verification of book & Publications, stationery and consumable items was conducted upto 31.03.2023.

5. Regularity in payment of statutory dues:

No statutory dues were outstanding for more than six month as on 31.03.2023.

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2023

AMOUNT (RS.)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus/Capital Fund	1	57,94,238.00	57,67,527.00
Reserves And Surplus	2	1,53,33,115.00	1,13,44,042.00
Earmarked/Endowment Fund	3	-	-
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	4,21,10,404.00	3,61,75,245.00
TOTAL		**6,32,37,757.00**	**5,32,86,814.00**
ASSETS			
Fixed Assets	8	13,92,442.00	16,07,404.00
Investments - From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investments- Others	10	1,75,32,782.00	1,45,50,369.00
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	4,43,12,533.00	3,71,29,041.00
Misc. Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		**6,32,37,757.00**	**5,32,86,814.00**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

DIRECTOR

Place : New Delhi

Date : 08-05-2023

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

AMOUNT (RS.)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Income From Sales/Services	12	-	-
Grants/Subsidies	13	19,00,26,017.00	14,83,99,149.00
Fees/Subscription	14	32,89,446.00	34,08,727.00
Income From Investments (Income on Invest. from Earmarked/Endow. Funds Transferred to Funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	10,93,488.00	9,26,808.00
Interest Earned	17	10,006.00	1,4,507.00
Other Income	18	4,06,513.00	4,208.00
Increase/(Decrease) in Stock of Finished Goods and Work-In-Progress	19	-5,68,707.00	-5,25,294.00
TOTAL (A)		19,42,56,763.00	15,22,28,105.00
		2,41,673.00	
Less : Internal Generation Transferred to GIA General on account of Depreciation		-	2,64,165.00
TOTAL (A) after transfer of Interest Income		19,40,15,090.00	15,19,63,940.00
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	15,49,43,217.00	12,77,79,382.00
Other Administrative Expenses	21	3,48,41,127.00	2,03,55,602.00
Expenditure on Grants, Subsidies	22	-	-
Interest	23	-	-
Depreciation (Net Total at the year-end -Corresponding to Schedule 8)		2,41,673.00	2,64,165.00
TOTAL (B)		19,00,26,017.00	14,83,99,149.00
Balance Being Excess of Income over Expenditure (A-B)		39,89,073.00	35,64,791.00
Transfer to Special Reserve (Specify Each)			
Transfer to/from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS /(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		39,89,073.00	35,64,791.00
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

Place : New Delhi
Date : 08-05-2023

DIRECTOR

Schedules To The Balance Sheet

AMOUNT (RS.)

SCHEDULE 1 -CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year		Previous Year	
Balance as at the Beginning of the Year	57,67,527.00		48,05,086.00	
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund	26,711.00	57,94,238.00	9,62,441.00	57,67,527.00
Balance at the end of the year		**57,94,238.00**		**57,67,527.00**

SCHEDULE 2 -RESERVES AND SURPLUS:	Current Year		Previous Year	
General Reserves (Excess of Income over expenditure)				
As per Last Account	1,13,44,042.00		59,05,240.00	
Add: Upward Rectification of Opening Stock	-		18,74,011.00	
Add : Addition during the year	39,89,073.00	1,53,33,115.00	35,64,791.00	1,13,44,042.00
TOTAL		**1,53,33,115.00**		**1,13,44,042.00**

	FUND-WISE BREAK UP		TOTALS	
			Current Year	Previous Year
SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS				
a) Opening Balance of the Funds	-		-	
b) Additions to the funds:	-		-	
i) Donations/Grants				
ii) Income from Investments made on account of funds			-	
iii) Other Additions				
TOTAL (a+b)		-		-
i) Capital Expenditure	-		-	
-Fixed Assets				
-Others				
Total				
ii) Revenue Expenditure	-		-	
- Salaries,Wages and Allowances etc.				
- Rent				
- Other Administrative Expenses				
Total				
TOTAL (c)		-		-
NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)				

Notes

1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

2) Plan Funds received from the Central/State governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other funds.

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-		-	
2. State Government (Specify)	-		-	
3. Financial Institutions	-		-	
a) Term Loans				
b) Interest Accrued and Due			-	
4. Banks:	-		-	
a) Term Loans				
- Interest Accrued and Due				
b) Other Loans (Specify)				
-Interest Accrued and Due				
5. Other Institutions and Agencies	-		-	
6. Debentures and Bonds	-		-	
7. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 5 -UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-		-	
2. State Government (Specify)	-		-	
3. Financial Institutions	-		-	
4. Banks:	-		-	
a) Term Loans				
b) Other Loans (Specify)				
5. Other Institutions and Agencies	-		-	
6. Debentures and Bonds	-		-	
7. Fixed Deposits	-		-	
8. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES	Current Year		Previous Year	
a) Acceptances Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-		-	
b) Others	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Statutory Liabilities				
a) Contribution to Provident Fund				
As per last year Balance Sheet	1,03,75,297.00		87,02,684.00	
Addition during the year	19,39,528.00		17,35,590.00	
Less : Withdrawal during the year	76,300.00	1,22,38,525.00	62,977.00	1,03,75,297.00
2. Other Current Liabilities				
- Unutilized Grant (GIA General)	98,41,557.00		22,81,636.00	
- Unutilized Grant (GIA Salary)	3,11,086.00		77,641.00	
- Unutilized Grant (GIA Swachh Bharat Abhiyan)	1,23,435.00		1,10,651.00	
- Unutilized Grant (GIA CME)	-		5,51,562.00	
- Unutilized Grant (GIA CME RSBK)	56,16,069.00		62,36,898.00	
- Unutilized Grant (GIA CSSS)	-		68,60,186.00	
- Unutilized Grant (GIA Ayush Talk)	-		5,14,000.00	
- Corpus Funds (Retirement)	66,80,180.00		55,14,328.00	
- Earnest Money	41,000.00		46,102.00	
- Other Charges Head	3,73,059.00		6,58,062.00	
- Contribution towards Corpus for asset under development	57,06,450.00		-	
- Impact of 7th CPC to be refunded to Ministry of AYUSH	-		11,61,057.00	
- Expenses Payables	1,51,789.00		-	
- Interest earned on GIA to be refunded Ministry of AYUSH	2,75,302.00	2,91,19,927.00	6,21,973.00	2,46,34,096.00
TOTAL (A)		**4,13,58,452.00**		**3,50,09,393.00**

B. PROVISIONS		Current Year		Previous Year
2. Gratuity	5,37,443.00		6,69,412.00	
2. Leave Encashment	2,14,509.00	7,51,952.00	4,96,440.00	11,65,852.00
TOTAL (B)		**7,51,952.00**		**11,65,852.00**
TOTAL (A+B)		**4,21,10,404.00**		**3,61,75,245.00**

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS F.Y. 2022-23

AMOUNT (RS.)

DESCRIPTION	RATE OF DEPRECIATION	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
		Cost/ Valuation As At Beginning of The Year	Addition (upto 30.09.2022)	Addition (after 30.09.2022)	Deductions During The Year	Cost/ Valuation At The Year-End	As At The Beginning of The Year	DEP. During The Year	Deductions During The year	Total Up To The Year-End	As At The Current Year-End	As At The Previous Year-End
A. FIXED ASSETS :												
1. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	15%	9,899.08	-	-		9,899.08	5,440.44	669.00		6,109.44	**3,790.00**	**4,459.00**
2. FURNITURES, FIXTURES	10%	12,87,379.82	-	-		12,87,379.82	6,13,918.53	67,346.00		6,81,264.53	**6,06,115.00**	**6,73,461.00**
3. OFFICE EQUIPMENT	15%	12,77,277.97	-	13,559.00		12,90,836.97	7,74,388.94	76,450.00		8,50,838.94	**4,39,998.00**	**5,02,889.00**
4. COMPUTER/PERIPHERALS	40%	5,38,153	8,390.00	-		5,46,543.00	4,41,106.13	42,175.00		4,83,281.13	**63,263.00**	**97,048.00**
5. LIBRARY BOOKS	40%	4,10,970.09	4,762.00	-		4,15,732.09	3,96,185.46	7,819.00		4,04,004.46	**11,728.00**	**14,785.00**
6. AIR COOLING APPLIANCES	15%	4,78,600.40	-	-		4,78,600.40	1,69,593.40	46,351.00		2,15,944.40	**2,62,656.00**	**3,09,007.00**
7. ELECTRONIC EQUIPMENT	15%	16,499.00	-	-		16,499.00	10,743.37	863.00		11,606.37	**4,892.00**	**5 ,755.00**
TOTAL OF CURRENT YEAR		**40,18,779.36**	**13,152.00**	**13,559.00**	**0.00**	**40,45,490.36**	**24,11,376.27**	**2,41,673.00**	**0.00**	**26,53,049.27**	**13,92,442.00**	**16,07,404.00**
PREVIOUS YEAR		**30,56,338.36**	**5,56,596.00**	**4,05,845.00**	**0.00**	**40,18,779.36**	**21,47,211.28**	**2,64,165.00**	0.00	**24,11,376.27**	**16,07,404.00**	**9,09,128.00**
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS												
TOTAL		**40,18,779.36**	**13,152.00**	**13,559.00**	**-**	**40,45,490.36**	**24,11,376.27**	**2,41,673.00**		**26,53,049.27**	**13,92,442.00**	**16,07,404.00**

Detail of Addition of Fixed asset

	Date of Purchase	Put to use	Amount (Rs.)
Office Equipments	**28.10.2022**	**28.10.2022**	**5620.00**
	16.11.2022	**16.11.2022**	**2124.00**
	23.12.2022	**23.12.2022**	**1770.00**
	11.02.2023	**11.02.2023**	**4045.00**
Computer & Peripheral	**13.06.2022**	**13.06.2022**	**8390.00**
Library Books	**14.09.2022**	**14.09.2022**	**4762.00**

SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year		Previous Year	
1. In Government Securities	-		-	
2. Other Approved Securities	-		-	
3. Shares	-		-	
4. Debentures and Bonds	-		-	
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-		-	
6. Others (To be specified)	-		-	
TOTAL		**-**		**-**

SCHEDULE 10- INVESTMENTS - OTHERS	Current Year		Previous Year	
1. Fixed Deposit				
- Contributory Provident Fund	1,04,01,605.00		96,56,650.00	
- Corpus Fund (Retirement)	71,31,177.00	1,75,32,782.00	48,93,719.00	1,45,50,369.00
TOTAL		**1,75,32,782.00**		**1,45,50,369.00**

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT ASSETS:				
1. Inventories:				
- Ayurvedic, Semiinar & Workshop Books	13,07,003.00	13,07,003.00	18,75,710.00	18,75,710.00
2. Cash Balances in Hand (Including Cheques/Drafts and Imprest)	-		-	
3. Bank Balances:				
- SBI GIA General	57,40,049.00		51,89,908.00	
- SBI Contributory Provident Fund	18,36,920.00		7,18,647.00	
- SBI Corpus Fund	3,00,955.00		17,86,461.00	
- SBI Other Charges- ROTP	3,73,059.00		6,58,062.00	
- SBI GIA CSSS	-		40,00,000.00	
- ICICI GIA General	2,27,55,539.00		1,23,61,875.00	
- ICICI GIA Salary	3,11,086.00		77,642.00	
- ICICI GIA CME	-		5,51,562.00	
- ICICI GIA Ayush Talk	-		5,14,000.00	
- ICICI GIA CME RSBK	56,16,069.00		62,36,898.00	
- ICICI GIA CSSS	-		28,60,186.00	
- ICICI GIA SAP	1,23,435.00	3,70,57,112.00	1,10,651.00	3,50,65,892.00
TOTAL (A)		**3,83,64,115.00**		**3,69,41,602.00**

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Advances & other amounts recoverable in Cash/Kind				
- Amt. recoverable from Sh. M.R. Giri	44,390.00		44,390.00	
- Motorcycle Advance	62,590.00		60,061.00	
- Contingent Advance	60,000.00		8,000.00	
Advance for Website development	57,06,450.00			
- Security Deposit – Vigyan Bhawan	74,538.00		74,538.00	
		59,47,968.00		1,86,989.00
- Festival Advance				
- As per last year Balance Sheet	450.00		450.00	
- Less : Recovered during the year	-	450.00	-	450.00
TOTAL (B)		**59,48,418.00**		**1,87,439.00**
TOTAL (A+B)		**4,43,12,533.00**		**3,71,29,041.00**

Schedules To Profit & Loss Account

AMOUNT (RS.)

SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES	**Current Year**		**Previous Year**	
Sales	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 13- GRANTS/SUBSIDIES	**Current Year**		**Previous Year**	
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)				
1. Central Government-				
GIA GENERAL				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	22,81,636.00		11,79,575.00	
Add : Amount Transferred from Current year Internal Generations towards Dep.	2,41,673.00		2,64,165.00	
Add : Grant-In-Aid Received from Govt.	18,80,00,000.00		14,00,00,000.00	
Total Grant-In-Aid	19,05,23,309.00		14,14,43,740.00	
Less : Grant Capitalised	26,711.00		9,62,441.00	
	19,04,96,598.00		14,04,81,299.00	
Less: Opening Unutilised Grant refunded to Minsitry of AYUSH	22,81,636.00		11,79,575.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	98,41,557.00	17,83,73,405.00	22,81,636.00	13,70,20,088.00
GIA SALARY				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	77,641.00		6,84,820.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	1,00,00,000.00		1,00,00,000.00	
Total Grant-In-Aid	1,00,77,641.00		1,06,84,820.00	

Less: Opening Unutilised Grant refunded to Minsitry of AYUSH	77,642.00		6,84,821.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	3,11,086.00	96,88,913.00	77,641.00	99,22,358.00
GIA CME				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	5,51,562.00		6,00,000.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	-		-	
Total Grant-In-Aid	5,51,562.00		6,00,000.00	
Less: Refunded to Ministry	5,22,662.00	-	-	-
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet		28,900	5,51,562.00	48,438.00
GIA GENERAL - SWACHH BHARAT ABHIYAN				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	1,10,651.00		1,83,602.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	2,00,000.00		2,00,000.00	
Total Grant-In-Aid	3,10,651.00		3,83,602.00	
Less: Opening Unutilised Grant refunded to Minsitry of AYUSH	1,10,651.00		1,83,602.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	1,23,435.00	76,565.00	1,10,651.00	89,349.00
GIA CAPITAL				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	-		10,00,000.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	-		-	
Total Grant-In-Aid	-		10,00,000.00	
Less: Unutilised Grant refunded to Minsitry of AYUSH	-	-	10,00,000.00	-
GIA CME – RSBK				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	62,36,898.00		45,67,000.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	-		19,13,000.00	
Total Grant-In-Aid	62,36,898.00		64,80,000.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	56,16,069.00	6,20,829.00	62,36,898.00	2,43,102.00
GIA Other Grant - CSSS				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	68,60,186.00		37,00,000.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	-		40,00,000.00	
Total Grant-In-Aid	68,60,186.00		77,00,000.00	
Less: Refunded to Ministtry	1,58,231.00			
Less : Advance	57,06,450.00			
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	-	9,95,505.00	68,60,186.00	8,39,814.00

GIA Other Grant- Ayush Talk				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	5,14,000.00		-	
Grant-In-Aid Received from Govt.	-		7,50,000.00	
Total Grant-In-Aid	5,14,000.00		7,50,000.00	
Less: Refunded to Ministry	2,72,100.00			
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	-	2,41,900.00	5,14,000.00	2,36,000.00
TOTAL		**19,00,26,017.00**		**14,83,99,149.00**

SCHEDULE 14- FEES/SUBSCRIPTION	**Current Year**		**Previous Year**	
1. Registration Fees	-		13,500	
2. Application Fees				
(Received from candidates applied for courses)	32,89,446.00	32,89,446.00	33,95,227.00	34,08,727.00
TOTAL		**32,89,446.00**		**34,08,727.00**

* Out of total income of application fees of Rs. 33,68,812/-, Rs. 79,366/- utilized for Charakh Aayatnam trainning programe.

SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS	**Current Year**		**Previous Year**	
(Income on Invest. from Earmarked/ Endowment Funds Transferred to Funds)				
1. Interest	-		-	
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures				
2. Dividends:	-		-	
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3. Rents	-		-	
4. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION	**Current Year**		**Previous Year**	
1. Income from Royalty	-		-	
2. Income from Publications	10,93,488.00		9,26,808.00	
3. Others - Postal Income	-	10,93,488.00	-	9,26,808.00
TOTAL		**10,93,488.00**		**9,26,808.00**

SCHEDULE 17- INTEREST EARNED	Current Year		Previous Year	
1. On Savings Accounts and Fixed Deposits:				
a) With Scheduled Banks-State Bank of India **	-		-	
b) Interest on Corpus Fixed Deposit***	-	-	-	-
2. On Other Receivables:				
a) Stipend	7,477.00		11,978.00	
b) Motor Cycle Advance	2,529.00	10,006.00	2,529.00	14,507.00
TOTAL		**10,006.00**		**14,507.00**

** Interest earned on GIA General of Rs. 2,75,302/- considered as liability towards Ministry of AYUSH under Schedule 7, Current liabilities.

*** Interest earned on Corpus FD of Rs. 4,87,458/- adjusted towards Retirement benefits.

SCHEDULE 18- OTHER INCOME	Current Year		Previous Year	
a) Recovery of Stipend/Honorarium	4,05,465.00		-	
b) Sale of Scrap	1,035.00			
c) Miscellaneous Income	13.00	4,06,513.00	4,208.00	4,208.00
TOTAL		**4,06,513.00**		**4,208.00**

SCHEDULE 19- INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS	Current Year		Previous Year	
a) Closing Stock of Ayurvedic, Seminar & Workshop Books	13,07,003.00		18,75,710.00	
Less: Upward rectification of opening stock	-		18,74,011.00	
b) Less: Opening Stock of Ayurvedic Books	18,75,710.00	-5,68,707.00	5,26,993.00	-5,25,294.00
NET INCREASE/(DECREASE) [a-b]		**-5,68,707.00**		**-5,25,294.00**

SCHEDULE 20- ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year		Previous Year	
GIA General				
a) Wages	50,85,588.00		36,26,733.00	
b) Scholarship/Stipend				
- Stipend to Shishyas	9,91,23,617.00		7,69,16,516.00	
c) Professional Services				
- Honorarium to Gurus	4,07,03,649.00		3,71,99,315.00	
- Auditors Remuneration/Professional Fees	3,41,450.00	14,52,54,304.00	1,14,460.00	11,78,57,024.00
GIA Salary				
a) Salary				
- Salary Expenses	94,24,419.00		87,94,167.00	
- Other Allowances	-		7,945.00	
- Employees' Retirement and Terminal Benefits****	2,64,494.00	96,88,913.00	11,20,246.00	99,22,358.00
TOTAL		**15,49,43,217.00**		**12,77,79,382.00**

**** Out of total retirement benefit expenditure of Rs. 7,51,952/-, Rs. 4,87,458/- adjusted from Internal generation (i.e interest on corpus fixed deposit)

SCHEDULE 21 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year		Previous Year	
GIA General				
a) Office Expenses				
- Bank Charges	102.00		1,687.00	
- Misc. Expenses	3,47,022.00		2,84,266.00	
- Medical Exp.	2,392.00		2,85,494.00	
- Repairs and Maintenance	1,48,608.00		1,75,639.00	
- Newspaper & Periodicals	8,588.00		25,407.00	
- Electricity and Power	4,02,150.00		2,95,650.00	
- Water Charges	18,703.00		30,871.00	
- Postage charges	3,016.00		6,005.00	
- Telephone and Communication charges.	79,732.00		61,198.00	
- Rent, Rates and Taxes	17,80,986.00		-	
b) Publications				
- Discount Allowed	3,56,794.00		2,93,306.00	
- Printing & Stationery	5,52,137.00		5,15,222.00	
c) Domestic Travelling				
- Travelling and Conveyance Expenses	43,56,823.00		18,45,894.00	
d) Foreign Travelling				
- Travelling and Conveyance Expenses	-		-	
e) Other Administration Expenses				
- Thesis & Exam. Remun./S.C./ Honorarium/Sitting Fees	5,36,167.00		6,29,771.00	
- Accreditation	55,23,782.00		41,67,463.00	
- Information Technology	1,54,458.00		2,47,381.00	
- Convocation Exp./Conference Exp.	41,97,473.00		40,04,298.00	
- Social Responsibility Activity	1,88,159.00		40,03,331.00	
- World Ayurveda Congress	37,10,239.00		-	
- GAIIS	15,45,625.00		-	
- Trainning Programme's	44,93,500.00		11,45,036.00	
- Gyan Ganga Programme	99,866.00		-	
- Felicitation of padma Awardees	2,28,732.00		-	
-Trainning Program-CCRAS	34,47,225.00		-	
f) Advertisement & Publicity				
- Advertisement Exp.	6,95,149.00	3,28,77,428.00	8,80,980.00	1,88,98,899.00
g) GIA General- Swachta Action Plan				
- Swachta Action Plan	76,565.00	76,565.00	89,349.00	89,349.00
h) GIA General- Other Schemes				
- GIA Ayush Talk	2,41,900.00		2,36,000.00	
- GIA CME	28,900.00		48,438.00	
- GIA CSSS	9,95,505.00		8,39,814.00	
- GIA RSBK	6,20,829.00	18,87,134.00	2,43,102.00	13,67,354.00
TOTAL		**3,48,41,127.00**		**2,03,55,602.00**

SCHEDULE 22 :EXPENDITURE ON GRANTS,SUBSIDIES ETC.	**Current Year**		**Previous Year**	
a) Grants Given to Institutions/ Organisations	-		-	
b) Subsidies Given to Institutions/ Organisations	-		-	
TOTAL		**-**		**-**
SCHEDULE 23 : INTEREST	**Current Year**		**Previous Year**	
a) On Fixed Loans	-		-	
b) On other Loans (including Bank Charges)	-		-	
TOTAL		**-**		**-**

RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

AMOUNT (RS.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
Opening Balance			**I. Expenses**		
SBI General	51,89,908.00	37,29,293.00	a) Establishment Expenses (Schedule 20)	15,46,78,723.00	12,66,59,136.00
SBI Salary	-	6,84,821.00	b) Administrative Expenses (Schedule 21)	3,46,89,338.00	2,03,55,602.00
SBI General Swachh Bharat Abhiyan	6,58,062.00	1,83,602.00			
SBI Corpus	17,86,461.00	41,109.00	**II. Payments Made Against Funds For Various Projects**	-	-
SBI Other Charges	-	3,23,659.00			
SBI CME	-	6,00,000.00	**III. Investments & Deposits Made**		
SBI GIA Capital	-	10,00,000.00	a) Out of Earmarked/ Endowment funds	17,50,000.00	-
SBI CME RSBK	-	45,67,000.00	b) Security Deposit	-	74,538.00
SBI CSSS	40,00,000.00	37,00,000.00	**IV. Expenditure on Fixed Assets/Capital WIP**		
ICICI General	1,23,61,875.00	83,59,010.00			
ICICI Salary	77,642.00	-	a) Purchase of Fixed Assets	26,711.00	9,62,441.00
ICICI CME	5,51,562.00	-	b) Expenditure on Capital WIP	-	-
ICICI Ayush Talk	5,14,000.00	-	**V. Refund of Surplus Money/Loans**		
ICICI CME RSBK	62,36,898.00	-			
ICICI CSSS	28,60,186.00	-	a) Grant Refunded	34,22,922.00	30,47,998.00
ICICI General Swachh Bharat Abhiyan	1,10,651.00	-	**VI. Finance Charges (Interest)**	-	-
II. Grants Received - From Min. of Health & Family Welfare			**VII. Other Payments**		
a) General	18,80,00,000.00	14,00,00,000.00	a) Contingent & Other Advances	1,44,81,289.00	31,78,061.00
b) Salary	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00	b) Other Charges head	27,95,003.00	20,86,858.00
c) Swachh Bharat Abhiyan	2,00,000.00	2,00,000.00	c) Saving Bank Interest Refunded to Ministry	6,21,973.00	6,92,162.00

d) Ayush Talk	-	7,50,000.00	d) Refunded to Ministry- 7th CPC Impact	11,61,057.00	11,45,000.00
e) CME RSBK	-	19,13,000.00	e) Corpus FD Interest Refunded to Ministry	-	1,68,658.00
f) Other Grant - CSSS	-	40,00,000.00	f) Other Charges Saving Bank Interest Refunded to Ministry	-	78,739.00
III. Income on Investments from			g) TDS paid	72,94,341.00	54,12,782.00
a) Out of Earmarked/ Endowment funds	-	7,93,764.00	h) GST TDS paid	2,70,886.00	-
b) Security Deposit	-	75,276.00	i) Earnest Money given	21,102.00	-
IV. Interest Received			**Closing Balances**		
a) Interest on Saving Bank A/c	2,75,302.00	6,21,973.00	SBI General	57,40,049.00	51,89,908.00
b) Interest on Stipend recovered	7,477.00	11,978.00	SBI Corpus	3,00,955.00	17,86,461.00
			SBI Other Charges	3,73,059.00	6,58,062.00
V. Other Income			SBI CSSS	-	40,00,000.00
a) Application Fees	32,89,446.00	45,56,284.00	ICICI General	2,27,55,539.00	1,23,61,875.00
b) Sale of Books	10,93,488.00	9,26,808.00	ICICI Salary	3,11,086.00	77,642.00
c) Miscellaneous Income	13.00	4,208.00	ICICI General Swachh Bharat Abhiyan	1,23,435.00	1,10,651.00
d) Recovery of Stipend/Honorarium	4,05,465.00	-	ICICI CME RSBK	56,16,069.00	62,36,898.00
e) Sale of scrap	1,035.00	-	ICICI CME	-	5,51,562.00
f) Registration Fees	-	13,500.00	ICICI Ayush Talk	-	5,14,000.00
VI. Other receipts			ICICI CSSS	-	28,60,186.00
a) Earnest Money	16,000.00	22,102.00			
b) Contingent & Other Advances	87,22,839.00	32,19,051.00			
c) Other Charges head	25,10,000.00	25,00,000.00			
d) GST TDS paid	2,70,886.00	-			
e) TDS paid	72,94,341.00	54,12,782.00			
TOTAL	**25,64,33,537.00**	**19,82,09,220.00**	**TOTAL**	**25,64,33,537.00**	**19,82,09,220.00**

Place : New Delhi

Date : 08-05-2023

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth
DIRECTOR

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2023

AMOUNT (RS.)

Liabilities		Amount	Assets		Amount
CPF Subscription (Employees)			**Balance with Bank**		
As per last year	61,54,247.00		In Fixed Deposit		1,04,01,605.00
					18,36,920.00
Add: During the year	8,09,690.00		In Savings Account		
Less: Withdrawal	70,000.00				
Add: Interest on Employees Subs.	4,62,764.00	73,56,701.00			
CPF Contribution (Employers)					
As per last year	42,21,050.00				
Add: During the year	3,67,830.00				
Less: Excess Contribution adjustment	6,300.00				
Add: Interest on Employers Contribution	2,99,244.00	48,81,824.00			
Total		**1,22,38,525.00**	**Total**		**1,22,38,525.00**

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

Expenditure		Amount	Income		Amount
Interest on Employees Subscription	4,62,764.00		Interest from Bank		13,717.00
Interest on Employers Contribution	2,99,244.00	7,62,008.00	Interest from FD		44,955.00
Bank Charges		4.72	Contributed by RAV towards Interest & Contribution		10,64,870.72
Employers Contribution		3,61,530.00			
Total		**11,23,542.72**	**Total**		**11,23,542.72**

RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

Receipts		Amount	Payments		Amount
Opening Balances					
CPF Subscription	61,54,247.00		Advance – Ram Narayan		70,000.00
CPF Contribution	42,21,050.00	1,03,75,297.00			
Employees Subscription/Refund	8,09,690.00		Excess Contribution – Deepa Sood		6,300.00
Employer Contribution	3,67,830.00	11,77,520.00	**Closing Balance**		
			CPF Subscription	73,56,701.00	
Interest on Employees Subscription	4,62,764.00		CPF Contribution	48,81,824.00	1,22,38,525.00
Interest on Employer Contribution	2,99,244.00	7,62,008.00			
Total		**1,23,14,825.00**	**Total**		**1,23,14,825.00**

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

Place : New Delhi **DIRECTOR**

Date : 08-05-2023

SCHEDULE-24 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention

The financial statement have been prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. Inventory Valuation

Inventories of Books are valued at cost.

3. Fixed Assets

i) Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of taxes, freight incidental and direct expenses related to acquisition.

ii) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalised at value stated by corresponding credit to General Fund.

4. Government Grants

Government Grant in respect of purchase of fixed assets are treated as Grant Capitalized.

5. Revenue Recognition

i) Sale of Publication includes trade discount and rebate.

ii) Interest accrued on FDR has not been account for in books of accounts as the same is considered on maturity.

6. Depreciation

Depreciation on fixed assets is calculated as per rates prescribed by Income Tax Act.

For RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH

DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 08-05-2023

SCHEDULE-25 : CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1 Current Liabilities

Unutilised Grants for GIA General, GIA SAP, GIA Salaries and GIA CME RSBK has been shown under Current Liabilities.

2 Current Assets, Loans and Advances

The current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business equal at least to aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3 Corresponding figures for the previous year have been regrouped/re-arranged, wherever necessary.

4 Current Year Figures have been rounded off nearest to the rupees and Previous Year Figures have been taken as on 31.03.2023 so as to meet consistency.

5 Schedules 1 to 25 have been annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2023 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

6 Recognition of fixed assets method has been changed from WDV method to Gross Block since Financial year 2011-12 and WDV as on 31.03.2010(before depreciation) considered as Gross block in Financial year 2011-12

7 Loans and advances under "Schedule No. 11", an amount of Rs. 62,590/- paid to Mr. Sanjay Thakur towards motor cycle advance. A Simple interest @ 10% is charged on motor cycle advance since 2007-08. Advance consists of principal amount of Rs. 25,292/- plus accured interest of Rs. 37,298/- thereon. Also, an amount of Rs. 450/- recoverable towards festival advance from him as the matter is sub-judice.

8 Loans and advances under "Schedule No. 11", an amount of Rs. 44,390/- recoverable from Mr. M.R Giri as the matter is sub-judice.

9 Loans and advances under "Schedule No. 11", an amount of Rs. 57,06,450/- paid to NICSI for website development under Champion Sector Scheme and extension have been obtained for completion of work in next year and the same to be capitalzed in that respective year and become part of corpus.

10 Postal Income of Rs. 38,467/- adjusted against postal expenses during the year.

11 After adjusting Interest earned on Corpus FD of Rs. 4,87458/- from current year Retirement benefits expenditure of Rs. 7,51,952/- remaining balance of Rs. 2,64,494/- shown under Retirement Benifits - "Sch No. 20".

12 Expenditure on Trainning programmes under Other administrative expenses "Sch No. 21", occurred at various states under different projects (AAHAR, Charak Ayatanam, Training programme)

13 Revenue(Grant) is recognized on the basis of actual grant utilized.

14 Financial figures of current year has been rounded off to nearest rupee.

15 Expenses payable includes Building rent of Rs. 1,28,218/- , Telephone Rs. 1,691/-, Electricity Rs. 19,380/- and Water expenses Rs. 2,500/-

For RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH

DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 08-05-2023